लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]
Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[**खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं**
Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 30.12.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 36—गुरुवार, 7 अप्रैल, 1966/17 चैत्र, 1888 (शक)

No. 36—*Thursday, April* 7, 1966/*Chaitra* 17, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1011	दिल्ली में विदेशी शासकों की मूर्तियों का हटाया जाना	Removal of Statues of Erstwhile Foreign Rulers in Delhi .	6265–69
1012	कम्पनियों के लाभ	Profits of Companies . .	6269–73
1014	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for Central Government Employees . .	6273–78
1015	राज्यों को सहायता	Assistance to States .	6278–80
1016	डाक घर बचत बैंक	Post Office Savings Bank .	6280–82
1017	कृषि कार्यों के लिये बिजली	Power for Agricultural Purposes .	6282–84

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1013	दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय	D.V.C. Headquarters . .	6285
1018	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Central Government Employees . .	6285
1019	सरकारी क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं में बचत	Economy in Public Sector Power Projects . . .	6285–86
1020	स्वर्गीय प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री की समाधि	Samadhi of Late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri . .	6286
1021	कलकत्ता में आय-कर सम्बन्धी छापे	Income-Tax raids in Calcutta .	6286–87
1022	भारत में अमरीकी विनियोजन	U.S. Investment in India . .	6287
1023	नियंत्रणों के स्वरूप के सम्बन्ध में पुनर्विचार	Review of Structure of Controls	6287–88
1024	मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड, दिल्ली	M/s. Golcha Properties Ltd., Delhi	6288
1025	उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली के लिये नियतन	Allocation for Irrigation and Power in U.P. . . .	6288–89

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1026	एडवन्स इंश्योरेंस कम्पनी, बम्बई	Advance Insurance Company, Bombay	6289
1027	उद्योगपतियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Industrialists	6290
1028	पी० एल०-480 के अन्तर्गत निधि	P.L.-480 Funds	6290
1029	नियत से अधिक राशि का राज्यों द्वारा निकाला जाना (ओवरड्राफ्ट)	Over-Drafts by States	6290
1030	रामगंगा परियोजना	Ramganga Project	6290–91
1031	केरल में इदिक्की परियोजना	Idikki Project in Kerala	6291
1032	पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों का विकास	Development of Backward Districts of Eastern U. P.	6291–92
1033	तुंगभद्रा परियोजना	Tungabhadra Project	6292–93
1034	एक्मे फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली	Aceme Finance Pvt. Ltd., Delhi	6293
1035	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर	British India Corporation, Kanpur	6293–94
1036	बम्बई में व्यापार गृहों (बिजिनेस हाउस) पर छापे	Raids on Business Houses in Bombay	6294
1037	राष्ट्रीय तथा समन्वित परिवहन नीति	National and Coordinated Transport Policy	6294
1038	सरकारी भवनों के स्थापत्य डिजाइनों का महत्व	Importance of architectural designs of Government Buildings	6295
1039	भारत में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in India	6295

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3377	स्टाक एक्सचेंजों सम्बधी अमरीकी विशेषज्ञ	U. S. Experts on Stock Exchanges	6295–96
3378	कम तथा मध्यम आय-वर्ग गृह-निर्माण योजनाएं	Low and Middle Income Housing Schemes	6296
3379	सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण	Shifting of Government Offices	6296–97
3380	मैसूर में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Mysore	6297
3381	एरनाकुलम में तपेदिक के रोगियों को अनुदान	Grants to T. B. Patients in Ernakulam	6297–98
3382	नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान तथा हबीब बैंक	National Bank of Pakistan and Habib Bank	6298
3383	क्षय रोग से पीड़ित औद्योगिक मजदूरों के लिये अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था	T. B. Beds for Industrial Workers	6298–99

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pa
3384	कुरिची होमियोपैथी कालेज	Kurichi Homoeopathy College	6299
3385	त्रिवेन्द्रम आयुवेदिक कालिज यूनियन	Trivandrum Ayurvedic College Union	6299
3386	मल्टीविटामीन की गोलियां	Multi-Vitamin Tablets	6299–6300
3387	महाराष्ट्र की सिंचाई और बिजली की क्षमता	Irrigation and Power Potential of Maharashtra	6300
3388	महाराष्ट्र के लिये सहायता	Assistance to Maharashtra	6300–01
3389	महाराष्ट्र को सहायता	Assista ce to Maharastra	6301
3390	वज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के कर्मचारियों को क्वार्टर	Quarters to Employees of C.S.I.R.	6301
3391	केरल सरकार के कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन	Family Pension for Kerala Government Employees	6301–02
3392	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सम्बन्ध में अध्ययन दल	on C.P.W.D.	6302
3393	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली	Ramakrishnapuram, Delhi	6302–03
3394	महाराष्ट्र में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Maharashtra	6303
3395	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas	6303
3396	बूट पालिश करने वालों पर "तह-बाजारी" कर	Teh-Bazari Tax on Shoe Shine Boys	6303–04
3397	कर अपवंचन	Tax Evasion	6304
3398	फोर्ड फाउन्डेशन से सहायता	Ford Foundation Aid	6305
3399	दिल्ली में सरकारी अस्पताल	Government Hospitals in Delhi	6305–06
3400	अंश पूंजी (इक्विटी इन्वेस्टमेंट)	Equity Investment	6306
3401	बंगलोर के लिये कावेरी के जल का सम्भरण	Cauvery Water Supply to Bangalore	6306–07
3402	सिक्कों का तस्कर व्यापार	Smuggling of Coins	6307–08
3403	पश्चिमी घाट पर भूमि कटाव	Erosion on Western Sea Coast	6308
3404	हलाली परियोजना	Halali Project	6308
3405	मध्य प्रदेश में तवा परियोजना	Tawa Project in Madhya Pradesh	6308–09
3406	उत्तर प्रदेश का विकास	Development of U.P.	6309
3407	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम	Rural Industries Projects Programme in U. P.	6309
3408	पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास	Development of Eastern U.P.	6309–10
3409	उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	Flood Control Schemes in U. P.	6310

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3410	मुन्दडा की ब्रिटेन में सम्पत्ति के बारे में जांच	Enquiry into Mundhra's Holdings in U. K.	6310
3411	नदियों के पानी का प्रयोग	Use of River Waters	6311
3412	चौथी योजना के दौरान तापीय बिजली का उत्पादन	Thermal Power Production during Fourth Plan	6311–12
3413	सिचाई क्षमता का उपयोग	Utilisation of Irrigation Potential	6312
3414	राजस्थान को सहायता	Assistance to Rajasthan	6312
3415	राजस्थान में मकान बनाने के लिये ऋण	House Building Advances in Rajasthan	6312–13
3416	राजस्थान में गन्दी बस्तियों को हटाना	Slum Clearance in Rajasthan	6313
3417	राजस्थान के लिए अनुसंधान योजनाएं	Research Schemes for Rajasthan	6313–14
3418	क्षय रोग नाशक औषधियों	Anti-Tuberculosis Drugs	6314
3419	उड़ीसा का विकास	Development of Orissa	6314
3420	उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in Orissa	6314–15
3421	उड़ीसा में ग्रामीण गृह-निर्माण योजना	Rural Housing Scheme in Orissa	6315
3422	अफीम का निर्यात मूल्य	Export Price of Opium	6315
3423	विदेशों में वैध मुद्रा के रूप में भारतीय सिक्के	Indian Coins as Legal Tender Abroad	6315
3424	कम आय आवास वर्ग	Low Income Housing Group	6316
3425	सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Government Accommodation	6316
3426	सरकारी इमारतों का गिराया जाना	Demolition of Government Building	6316
3427	दुर्गापुर तथा बन्देल तापीय बिजली घर	Durgapur and Bandel Thermal Power Stations	6317
3428	दुर्गापुर और बन्देल तापीय बिजली घर	Durgapur and Bandel Thermal Power Stations	6317–18
3429	जनांकिकीय समस्याओं सम्बन्धी परिषद	Council for Demographic Problems	6318
3430	विकासशील देशों के लिये इस्तेमाल किये गये (सेकन्ड हैन्ड) उपकरण सम्बन्धी समिति	Committee on Secondhand Equipment for Developing Countries	6318–19
3431	नोटों की गड्डियों में नोटों की कमी	Shortage of Currency Notes in Packets	6319–20
3432	अफीम का तस्कर व्यापार	Opium Smuggling	6320–21

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3433	दिल्ली में चेचक उन्मूलन योजना	Small Pox Eradication Scheme in Delhi	6321
3434	चीन के उपभोक्ता माल का भारत में चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Chinese Consumer Goods into India . . .	6321–22
3435	दानेदार (क्रिस्टल) चीनी पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Crystal Sugar .	6322
3436	सिगारों के बनाने पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Manufacturing of Cigars	6322–23
3437	रेडियो सीलोन से विज्ञापन	Advertisment over Radio Ceylon	6323
3438	दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of Jhuggis in Delhi .	6323
3439	झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of Jhuggis. . . .	6324
3440	आन्ध्र प्रदेश को दुर्भिक्ष सहायता-कार्यों के लिये सहायता	Assistance to Andhra Pradesh for Famine Relief Works .	6324
3441	भाकड़ा बांध	Bhakra Dam . . .	6324–25
3442	क्षय रोग के उपचार के लिये घटिया किस्म की गोलियां	Sub-standard T.B. Tablets .	6325
3443	पालम हवाई अड्डे पर करेंसी नोटों का पकड़ा जाना	Seizure of Currency at Palam Airport	6325–26
3444	रामकृष्णपुरम, सेवा नगर और फरीदाबाद में दुकानें	Shops in Ramakrishnapuram, Sewa Nagar and Faridabad .	6326
3445	श्री एच० डी० मुंदड़ा से करों की वसूली	Realisation of Taxes from Shri H. D. Mundhra . . .	6326–27
3446	तस्कर व्यापार में संसद सदस्य की कार का प्रयोग	M. P.'s Car Involved in Smuggling	6327
3447	नोटों की गड्डियों में नोटों का कम पाया जाना	Shortage of Currency Notes in Packets	6327
3448	केरल वेतन आयोग	Kerala Pay Commission . .	6328
3449	महाराष्ट्र में बाढ़ों का नियंत्रण	Flood Control in Maharashtra	6328
3450	एडवान्स इन्शोरेंस कम्पनी	Advance Insurance Company .	6328–29
3451	केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभागों मे उप-निरीक्षक	Central Excise and Customs Sub-Inspectors	6329–30
3452	रामकृष्णपुरम में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Class IV Employees in Ramakrishnapuram . .	6330
3453	चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Class IV Government employees . . .	6330–31
3454	दिल्ली में अलाट न किये गये क्वार्टर	Unallotted Quarters in Delhi .	6331
3455	घड़ियों का तस्कर व्यापार	Smuggling in Watches . .	6331

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3456	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अमरीकी सहायता	U.S. Aid for Family Planning Programme	6332
3457	गर्भाशयान्तर गर्भनिशोधक युक्ति पर गोष्ठी	Seminar on I.U. C.D. .	6332
3458	चांदी का पकड़ा जाना	Seizure of Silver . . .	6332–33
3459	आनन्दपुर बांध परियोजना	Anandapur Barrage Project	6333
3460	सिंचाई कार्यक्रम	Irrigation Programme .	6333
3461	बीमा व्यापार	Insurance Business . . .	6333–34
3462	त्रिपुरा में गन्दी बस्तियां को हटाने की योजना	Slum Clearance Scheme in Tripura	6334
3463	सेंट कोलम्बस स्कूल, नई दिल्ली को भूमि बेचना	Sale of land to St. Columbus School, New Delhi. . .	6334
3464	सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाला व्याज	Interest on General Provident Fund	6334–35
3465	आय-कर अधिकारियों के पदों के लिये परीक्षा	I. T. O's Examination . .	6335
3466	आय-कर अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of I. T. O.s .	6335
3467	केरल राज्य बिजली बोर्ड का कर्मचारियों से झगड़ा	Kerala State Electricity Board's Disputes with Employees .	6336
3468	पलाई सेंट्रल बैंक	Palai Central Bank . . .	6336–37
3469	अगरताला में मेडिकल कालेज	Medical Collage at Agartala .	6337
3470	नेताओं की मूर्तियां	Statues of Leaders . . .	6337
3471	पेंच जल-विद्युत् तथा सिंचाई योजना	Pench Hydro Electric and Irrigation Schemes . . .	6337–38
3472	नागपुर तापीय बिजली घर	Nagpur Supper Thermal Power Station	6338
3473	सरकारी भवन	Government Buildings . .	6338–39
3474	हिन्दी में परिपत्रों आदि का जारी किया जाना	Issue of Circulars etc. in Hindi .	6339
3475	सरकारी मुद्रणालयों में हिंदी के काम की पाई	Printing of Hindi Jobs in Government Presses	6339
3476	भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का पद	Post of Comptroller and Auditor-General of India . . .	6339–40
3477	औषधियों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Drugs . .	6340
3478	इन्द्रपुरी के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी	C.G. H. S. Dispensary for Inderpuri	6340
3479	पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	Flood Control Schemes in Punjab	6340–41

तारांकित प्रश्न संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3481	गत्ते पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Straw Board	6341
3483	मंत्रालयों द्वारा खर्च	Expenditure by Ministries .	6341-42
3484	औषधियों का अपमिश्रण	Adulteration of Drugs .	6342-43
3485	तूतीकोरिन में तापीय विद्युत् संयंत्र	Thermal Power Plant at Tuticorin	6343
3486	कोटा में आय-कर कार्यालय भवन	Income-Tax Office Building at Kotah	6343
3487	कोटा डिवीजन में आय-कर की बकाया राशी	Incom-Tax Arrears in Kotah Division	6343-44
3488	नागपुर के मैसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद	M/s Sriram Durga Prasad of Nagpur	6344
3489	किदवई नगर (पूर्व) में सरकारी क्वार्टरों में पानी के मीटर	Water Meters for Government Quarters in Kidwai Nagar (East)	6344-45
3490	किदवई नगर (पूर्व) के सरकारी क्वार्टरों में पानी की सप्लाई	Water Supply to Government Quarters in Kidwai Nagar (East)	6345
3491	सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों को क्वार्टर खाली करने के नोटिस	Eviction Notices to Allottees of Government Quarters . .	6345-46
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . .	6346-47
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		President's Assent to Bills . .	6347
प्रधान मंत्री की विदेशी यात्रा के बारे में वक्तव्य—		Statement re: Prime Minister's Visit Abroad—	
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	6347-50
समितियों के लिए निर्वाचन—		Elections to Committees—	
	(1) प्राक्कलन समिति	(i) Estimates Committee. .	6353
	(2) लोक लेखा समिति	(ii) Public Accounts Committee	6354
बस्तर जिले के अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—		Motion re: Situation in Scheduled Areas of Bastar District—	
	श्री रंगा	Shri Ranga	6356-58, 6374-75
	श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya . .	6358-60
	श्री दाजी	Shri Daji . . .	6360-61
	श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhe Lal Vyas . .	6361-62
	श्री बड़े	Shri Bade	6362
	श्री फतेहसिंहराव गायकवाड	Shri Fatehsinhrao Gaekwad .	6362-63
	डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhavi .	6363-64
	श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh . . .	6364-65
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	6365-66
	श्री उइके	Shri Uikey	6366-67

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	6367-68
डा० उ० मिश्र	Dr. U. Misra . . .	6368
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	6368-70
श्री नि० चं० चतर्जी	Shri N. C. Chatterjee . .	6370-71
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta . .	6371 72
श्री नन्दा	Shri Nanda	6372-74
सभा का कार्य	Business of the House . .	6375
देश में खाद्यान्नों को निर्बाध लाने-ले जाने के बारे मे संकल्प—अस्वीकृत	Resolution re: Free Movement of Food-grains in the Country—*Negatived*	6376
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
चौरासीवाँ प्रतिवेदन	Eighty-fourth Report . .	6376
साम्यवादी चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध प्रशांत क्षेत्र में एकता के बारे में संकल्प—	Resolution re: Pacific Concord against Communist Chinese Expansionism—	
श्री रंगा	Shri Ranga . . .	6376-77

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 7 अप्रैल, 1966/17 चैत्र, 1888 (शक)
Thursday, April 7, 1966/Chaitra 17, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

+ Removal of Statues of Erstwhile Foreign Rulers in Delhi

***1011. Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Utiya :
Shri Vishram Prasad :
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Linga Reddy :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether a decision to remove the Statues of foreign rulers was taken ly after the statue of Lord Irwin was damaged;

(b) if so, the progress made in implementing the scheme to remove the statues of the erstwhile foreign rulers in Delhi; and

(c) the time by which all such statues are likely to be removed ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) No. The decision to remove statues of foreign rulers was taken in 1957.

(b) Nine out of the twelve such statues in Delhi have been removed.

(c) It is the policy of Government to remove the statues gradually.

Dr. Ram Manohar Lohia : The time by which the remaining three statues will be removed by Government and whether these will be removed during this month ?

Shri Mehr Chand Khanna : No, Sir.

Dr. Ram Manohar Lohia : By what time these will be removed or these will not be removed at all ?

Shri Mehr Chand Khanna : Out of the twelve statues nine have been removed, three are still there. They will also be removed gradually.

Dr. Ram Manohar Lohia : Kindly tell us what is meant by the word gradually ?

Mr. Speaker : By what time this work will be completed ?

Shri Mehr Chand Khanna : I cannot definitely say at present whethe this work will oe completed within few months I want to tell the names of the nine tatues removed by us so for. They are as follows : General Taylor, General John Nicholson, Queen Mary and King George (from President's Estate), Lord Irwin, Lord Chalmsford, Lord Wellinggdon, Lord Reading and Lord Hadinge.

Dr. Ram Manohar Lohia : Please reply to the remaining three.

Shri Mehr Chand Khanna : You will not be able to understand my answer. Out of the remaining three statues one is that of King George which is at India Gate....

Mr. Speaker : Can Shri Khanna tell the time limit by which the remaining three statues will be removed ?

Shri Mehr Chand Khanna : I cannot answer this question today.

Dr. Ram Manohar Lohia : What is the difference between the day when some persons were arrested in connection with the removal of Lord Irwin's Statue and the day when Lord Irwin's Statue was removed ?

Shri Mehr Chand Khanna : As far as the first part of the question is concerned, I don't know. The Delhi Police might be knowing about that. But Lord Irwin's Statue was removed on 12th July, 1964.

Dr. Ram Manohar Lohia : Can he say that the "Delhi Police might be knowing about that"?

Shri Mehr Chand Khanna : Yes.

Mr. Speaker : It is I who is to decide about that. He has said that Police might be knowing. I personally don't know. Then what can be asked from him ?

Dr. Ram Manohar Lohia : The Delhi Police is under him. He should enquire from them. This answer is not appropriate.

Mr. Speaker : I will ask him.

Dr. Ram Manohar Lohia : You please see his answer. How he is replying.

Mr. Speaker : I am listening to him. What is the need to read it?

Shri Bagri : The workers of Samyukta Socialist Party had protested for removal of Lord Irwin and Lord Georges Statues. Keeping in view the decision taken to remove their statues, whether Government contemplate that there is no use to keep these persons behind the bars who had protested for the removal of those statues ?

Shri Mehr Chand Khanna : I don't know the agitators. The hon. Member's knowledge may be more and he may know to which party they belonged.

Mr. Speaker : He has pointed out the name of the Party.

Shri Mehr Chand Khanna : I have no knowledge about the cases nor about their release.

Shri Bagri : The question has not been answered straightaway...

Mr. Speaker : The hon. Member wanted to know whether they will be released as Government has taken a decision to remove the statues. The hon. Minister has said that since decision has not been taken so far so he could not say any thing.

Shri Bagri : When a decision has been taken to remove..

Shri Mehr Chand Khanna : I do not believe that the cases will be withdrawn.

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister has not told clearly as to why the statues are not removed? Have they become statue worshippers or Engineers for this purpose are not available? We want the statues to be removed while Government is repairing them. These two things are paradoxical. The persons who subjugated this country for more than two hundred years why the statues of those foreigners are repaired ? Have they become statue worshippers?

Shri Mahr Chand Khanna : As far as the question of removing the statues is concerned I am one with the hon. Member. Out of twelve, nine have already been removed, three are left. I will certainly try to remove them as early as possible.

श्री लिंग रेड्डी : क्या दिल्ली में विदेशियों के बुतों को हटाने का सरकार का निर्णय भारत के अन्य भागों में विदेशियों के बुतों को हटाने के लिये भी लागू होगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो बुत दिल्ली से हटाये गये हैं, एक अथवा दो को छोड़ कर--जैसा मुझे याद है--कलकत्ता अथवा विदेशों में भेजे गये हैं। अन्य सभी बुत हम दिल्ली में रखेंगे और उन्हें हम दिल्ली में किंग्सवे कैम्प के पास स्थापित किये जाने वाले पार्क में लगाने के लिये विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो यह है कि क्या ऐसे बुत भारत के अन्य भागों से भी हटाये जायेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है। इस पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है।

Shri Raghunath Singh : There are some statues in Old Delhi too. I want to know whether a decision is being taken to remove them also ?

Shri Mehr Chand Khanna : The three statues have been left one is in New Delhi and two are in Old Delhi. The two statues in Old Delhi are of King Edward and Queen Victoria's and in New Delhi the only statue left is that of King George. We have a mind to remove these three also.

श्री हेम बरुआ : यह सच है कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। यह भी सच है कि वे भारत को अपनी इच्छा से ही छोड़ कर चले गये। उस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विदेशियों के बुतों को हटाने का निर्णय करते समय राजनीतिक गुण्डों को, जो दिल्ली में लार्ड इर्विन के बुत को तोड़ने के लिये उत्तरदायी हैं, यह बता दिया था कि विदेशियों के बुतों के नाक व कान तोड़ने से भारत के इतिहास का अध्याय मिट नहीं सकता है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया है। यदि कोई मुझे समझा दे तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री हेम बरुआ : मैं प्रश्न दोहरा देता हूं । अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया यह सच है, फिर वे अपनी इच्छा से यहा से चले गये यह भी सच है ।

एक माननीय सदस्य : अपनी इच्छा से नहीं ।

श्री हेम बरुआ : मैं समझता हूं कि वे अपनी इच्छा से यहां से चले गये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हेम बरुआ : मेरा ऐसा विचार है ।

श्री शिंकरे : उन्होंने देश को दो हिस्सो में बांट दिया और तब चले गये ।

श्री हेम बरुआ : अन्य लोगों पर क्यों आरोप लगाया जाता है ? उन्हों ने कहा है कि अंग्रेजों ने देश के दो टुकड़े कर दिये और तब वापिस गये । परन्तु कांग्रेसी लोग ...

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछेंगे ?

श्री हेम बरुआ : जी, हां । उस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विदेशियों के बुतों को हटाने का निर्णय करते समय राजनीतिक गुंडों को, जो दिल्ली में लार्ड इर्विन के बुत को क्षति पहुंचाने के लिये उत्तरदायी हैं, यह बता दिया था कि विदेशियों को बुतों के नाक व कान तोड़ने से भारतीय इतिहास के स्थापित अध्याय को मिटाया नहीं जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : वह उसका क्या उत्तर दें ? हमें एक बात याद रखनी चाहिये । उनका अपना विचार हो सकता है कि किस ने उस बुत को क्षति पहुंचाई थी परन्तु जैसे एक और माननीय सदस्य ने कहा है कि वह स्वंय और उनका दल उस बुत को क्षति पहुंचाने में सहयोग दे रहा था । अतः उन लोगों को गुण्डा कहना उचित नहीं है । इस लिये श्री हेम बरुआ ने उस संदर्भ में जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनका प्रयोग करना उचित नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं इसका स्पष्टीकरण दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटा सुब्बया ।

श्री प्रिय गुप्त : उस दल को छोड़ कर दूसरे गुंडे भी हो सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हेम बरुआ : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मुझे आपने गलत समझ लिया है । मेरी ऐसी भावना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि मैंने गलत समझ लिया हो ।

श्री हेम बरुआ : मैने इस सभा के किसी सदस्य पर कटाक्ष नहीं किया है । मैं यह कैसे समझ सकता हूं कि डा० लोहिया का दल, जो इतना प्रसिद्ध है, कलाकृति का विनाश करने के लिये उत्तरदायी हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री हेम बरुआ मेरे द्वारा इतना कहे जाने और प्रार्थना किये जाने पर भी बोलते चले जायेंगें तो ...

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speakar, Sir, I am sitting here and the hon. Member has referred my name. I don't like to use his phraseology but would mention that the persons who want to keep the statues and memorials of foreign rulers at public places are Indian nationals no doubt but they are not patriots. Hence some other word should be used for them.

श्री हेम बरुआ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । इस तरह तो यह कभी समाप्त नहीं होगा ।

श्री हेम बरुआ : यहां एक ऐसे माननीय सदस्य भी हैं जिन्हे मेरी देशभक्ति पर सन्देह है . . .

श्री वेंकटा सुबय्या : क्या बुतों को हटाने का निर्णय—नौ तो पहले हटाये जा चुके हैं और तीन हटाने अभी शेष हैं—किसी राजनीतिक दल द्वारा आन्दोलन किये जाने के कारण लिया गया था अथवा सरकार से उन्हें बारी बारी से हटाने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही कहा जा चुका है कि निर्णय 1959 में किया गया था ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस विषय पर श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा में वक्तव्य भी दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

प्रश्न 1012 के बारे में

Shri M. L. Dwivedi : Mine is twelfth while Dr. Lohia's is eleventh.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, Sir, is it the way to ask a question that Dr. Lohia's is eleventh while mine is twelfth.

Shri Kashi Ram Gupta : Mr. Speaker, Sir, it is a wrong way to ask a question.

Shri M. L. Dwivedi : Dr. Lohia's Question No. is 1011 and mine 1012.

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि सदस्य अपनी आदत ऐसी क्यों बनाते जा रहे हैं । यह आपत्तिजनक बात है । डा० लोहिया का आपके प्रश्न से क्या सम्बन्ध है । माननीय सदस्य अपना प्रश्न संख्या बता कर पूछ सकते हैं ।

श्री कपूर सिंह : कुछ माननीय सदस्य बाएं ओर भी बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे खड़े भी हैं ।

Profits of Companies

*1012. **Shri M. L. Dwivedi :** +
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of profits made and the total amount being sent abroad annually as a result of the various collaboration agreements concluded with the foreign industrialists, experts or manufacturers in the field of the small and heavy industries ; and

(b) whether a statement showing the list of individuals, firms and manufacturers offering collaboration, their profits and the progress made in the respective industries will be laid on the Table?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) The percentage of the profits made as a result of collaboration agreements is not available. A statement showing the remittances of current profits and dividends during the years 1956-57 to 1964-65 is laid on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. LT 6004/66.]** The Reserve Bank of India is, however, conducting a survey of Foreign Collaborations in Indian industry as at the end of March, 1964. Industrywise details of remittances on account of technical collaboration are expected to be available only after the completion of this survey. It will take time before the survey results are ready to be published.

(b) Since the Reserve Bank of India would obtain data from the companies covered by the survey on a strictly confidential basis, it would not be possible for them to divulge any companywise information even after the completion of the survey. Information regarding the progress made by individual companies having foreign colleboration is not available. The time and labour involved in the compilation of any such information would not be commensurate with the results to be achieved.

Shri M. L. Dwivedi : May I know the reasons for keeping it a confidential matter when foreign collaboration has been sought openly for these industries whether they are in the public or private sector ?

Shri B. R. Bhagat : I have said that the Reserve Bank is collecting data strictly on confidential basis. Therefore it would not be possible to prepare companywise data. There are more than two thousand companies where collaboration agreements have been concluded during these four years—1960 to 1965. It would not be possible, therefore, to give companywise data. But after the completion of the survey statistics of groups of companies i.e. plantations, manufacturers etc. will be prepared.

Shri M. L. Dwivedi : According to the Statement laid on the Table of the House the current profits were in 1956-57 9·0 crores, 1961-62 10·3 crores, 1962-63 10.1 crores and in 1963-64 7.3 crores. This indicates that the profits in stead of increasing are going down. As compared to it the dividend is increasing. May I, therefore, know from the Hon. Minister the causes for decrease in the current profits and increase in dividends.

Shri B. R. Bhagat : There has been nominal decrease in current profits. In 1962-63 there were 10.1 crores while in 1964-65 they decreased to 9.4 crores This difference is marginal. Current profits are calculated on the basis of total profits and gross profits. But if any company's share capital is less the dividend can be more. Therefore there should not be any controversy on thi matter.

Shri Bhagwat Zha Azad : It is true that the real condition of the companies cannot be known by the percentage. But I want to know whether Government don't have statistics regarding the companies which have been set up with foreign collaboration and are making profits like anything or Government expresses its inability to tell this House the companywise dividend earned and sent to foreign countries during all these years.

Shri B. R. Bhagat : There may be statistics in Company Law Administration. According to the Act the balance sheet is given by the Companies to the Registrar of companies every year. The statistics regarding the investment of capital, profits therefrom, ratios of gross capital and dividend must be there. But it would be very difficult to give the statistics of profits and dividend earned with foreign

capital because we will have to go in detail for that and that is not feasible even according to law. It will not be possible for the Reserve Bank to divulge company-wise statistics though I will try my best to prepare the statement of profits of groups of Companies. By this there position will be known.

Shri Bhgwat Zha Azad : But can the hon. Minister say that he will not give Companywise statistics.

Mr. Speaker : He says that he cannot give.

Shri M. L. Dwivedi : The notice of this question was given two months ago. In spite of that the hon. Minister says that he cannot give this information. He can take time if he so likes.

Mr. Speaker : The attitude adopted by the Members is not good. They go on speaking endlessly and don't stop even after my repeated request. How far it is correct if every Member adopts this attitude. If Government is not able to divulge companywise figures how can I force them for that ?

श्री भगवत झा आजाद : हम इस प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । छः व्यक्ति एक ही समय में बोल रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । जब तक किसी व्यक्ति को बुलाया न जाये उनके शब्द रिकार्ड नहीं होने चाहियें ।

श्री वासुदेवन नायर क्या कहना चाहते हैं ?

श्री वासुदेवन नायर : हम यह जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय किस नियम के अन्तर्गत सभा को यह जानकारी नहीं देना चाहते हैं । वह यह नही कह रहे हैं कि लोक हित के लिये यह जानकारी नहीं दी जा रही है । वह केवल यह कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक इन कम्पनियों से गुप्त रूप से जानकारी ले रहा है । केवल इसी कारण वह यह सूचना इस सभा से छिपा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सूचना छिपाने की कोई बात नहीं है । उन्होंने केवल यही कहा था कि यह जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकती ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आरम्भ में उन्होंने जो वक्तव्य पढ़ा था उस में कहा गया था कि जानकारी उपलब्ध होने पर भी सभा-पटल पर नहीं रखी जा सकती ।

श्री ब्र० रा० भगत : क्या मैं इस स्थिति की व्याख्या कर सकता हूं । समवाय अधिनियम के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि लाभ तथा हानि लेखा तथा सन्तुलन-पत्र एक विशेष ढंग से तैयार किये जाते हैं । तब कुल पूंजी लागत के आधार पर लाभांश तथा सकल लाभ (ग्रास प्राफिट्स) निर्धारित किये जाते हैं । इस आधार पर ही सारी जानकारी समवाय पंजीयक को भेजी जाती है । प्रश्न यह पूछा गया था कि लाभ तथा लाभांश का विदेशी समवायों के पूंजी सहयोग से क्या सम्बन्ध है । न कि कुल पूंजी विनियोजन से । वह जानकारी हमारे पास नहीं है । वह जानकारी हमें लाभ तथा हानि लेखे और सन्तुलन पत्र से नहीं मिल सकती है । अब हम यह कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक समीक्षा कर रहा है कि जिन कम्पनियों ने सहयोग समझौते किये हैं उनमें कितना सहयोग है । संख्या बहुत अधिक है । जैसे मैं पहले कह चुका हूं चार वर्षों में संख्या दो हजार से अधिक हो गई है । कुछ वर्षों के बाद यह संख्या कई हजार हो जायेगी । अध्यक्ष महोदय, आप इस की सराहना करेंगे कि कितना काम किया गया है । इसीलिये मैंने यह सुझाव दिया था कि यदि प्रत्येक कम्पनी के आंकड़े देना सम्भव नहीं होता तो हम ग्रुप आफ कम्पनीस के आंकड़े दे देंगे ताकि प्रवृति का पता लग सके ।

श्री स० चं० सामन्त : लाभ तथा लाभांशों की कितनी रकम बाहर भेजी गई है उसके बारे में विवरण में बताई गई राशि के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी राशि भी है जो विवरण में न दिखाई गई हो और देश में विनियोजित की गई हो ।

श्री ब० रा० भगत : कभी कभी लाभ अथवा लाभांश नहीं होता है । विदेशियों के मामले में राशि बाहर भेजने का प्रश्न उठता है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक कम्पनी के अलग अलग आंकड़े देना सम्भव नहीं होगा । इसमें कठिनाई क्या है ? क्या कोई प्रशासनिक कठिनाई है अथवा लोकहित में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इतने विस्तार में समझाने की कोशिश की है । तब यह सम्भव क्यों नहीं है ?

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के उत्तर के बाबजूद भी वह फिर बोले जा रहे है . . .

श्री अ० प्र० शर्मा : कारण क्या है–प्रशासनिक, लोकहित अथवा समवायों के हित में नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या यह सच है कि निजी समवायों के कुछ भारतीय निदेशक कर बचाने के लिये लगातार 90 दिन भारत में नहीं रहते है और वे अपना मुनाफा विदेशों में जमा कर रहे है ?

श्री ब० रा० भगत : समवाय अधिनियम के अन्तर्गत इसकी अनुमति है तो ऐसा किया जा सकता है । ऐसा सम्भव हो सकता है ।

श्री शिंकरे : क्या सम्भव है ? यह किस प्रकार का उत्तर है ?

श्री ब० रा० भगत : समवाय अधिनियम में 'नान-रेजिडेंट' की परिभाषा दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसकी व्यवस्था भी है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसकी जांच करनी होगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री ने बताया था कि वह कुछ उद्योगों के भागों के अनुसार जानकारी दे सकेंगे । परन्तु वह भागों के बारे में तब जानकारी दे सकते हैं जबकि यह रकम हो या जानकारी उस समय एकत्र की जा सकती है जब उनके पास प्रत्येक समवाय के बारे में जानकारी हो । तब वह उसको जमा करके बता सकते हैं । अन्यथा उद्योगवार वह किस प्रकार जानकारी देंगे ? या क्या कोई और तरीका है ? हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते ।

श्री ब० रा० भगत : रिजर्व बैंक द्वारा अपनाये गये तरीकों के बारे में मैं नही जानता । मैंने यह कहा था कि अधिनियम के अन्तर्गत उनको इस आधार पर यह जानकारी देने के लिये नहीं कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि वह समवायों के ग्रुप के बारे में जानकारी दे सकेंगे । प्रश्न यह है कि क्या वह जानकारी केवल निजी फर्मों की धन राशि को जमा करने प्राप्त हो जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अन्यथा कैसे ।

अध्यक्ष महोदय : या क्या कोई अन्य तरीका है जिनके द्वारा समवायों के ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है ? क्या प्रत्येक समवाय के अलग अलग आंकड़े लिये बिना और फिर उनको जमा करके समवायों के ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा किया जा सकता है । प्रयत्न किया जायेगा । परन्तु मैं यह बता रहा था कि अधिनियम के अन्तर्गत यह जानकारी एकत्र नही की जा रही है.. **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा हो सकता है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार प्रत्येक समवाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अन्यथा क्या यह नहीं हो सकता ?

श्री हेम बरुआ : यदि ऐसा है तो सरकार की निन्दा की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : भारत में तेल समवाय विदेशी जहाजरानी समवायों के तेलवाहक जहाजों को प्रयोग में ला रहे है ताकि भारतीय तेल वाहक जहाजों को काम न मिले और भारतीय जहाजरानी समवाय मुनाफा न कमा सके । विदेशी जहाजरानी समवायों को तेलवाहक जहाजों के लिये कुल कितनी राशि दी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि अब भी जो विदेशी कुछ समवायों में काम कर रहे वे अपना धन नियमित रूप से विदेशों को भेज रहे हैं और क्या मंत्री महोदय सभा-पटल पर विवरण रखते समय इन विदेशियों द्वारा जो समवायों में काम कर रहे हैं तथा बहुत अधिक वेतन पा रहे, और वहां विदेशी मुद्रा बचा रहे है, भेजी गई राशि के आंकड़े बतायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : क्या इस का सम्बन्ध उस धन से है जो वे अपने वेतन से भेजते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : जी, हां ।

श्री ब० रा० भगत : वह तकनीकी शुल्कों के अन्तर्गत भेजते हैं । हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे ।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know the names of the countries whose investments in our country is maximum and minimum respectively?

Shri B. R. Bhagat : This information has already been given. It can be furnished again, if notice is given.

श्री त्यागी : विदेशों के साथ सहयोग करने से क्या वास्तविक परिणाम निकले हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने बताया है कि रिजर्व बैंक यह जानकारी एकत्र कर रहा है और इस प्रकार हम यह जानकारी प्राप्त करने का यत्न करेंगे ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग

+

*1014. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये एक वेतन आयोग नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) अभी इस मामले पर विचार करने का समय नहीं आया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह समय छः वर्ष के पश्चात आयेगा ! यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 18 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी यह सरकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने को असफल रही है जिसके फलस्वरूप सादे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी कम-से-कम आवश्यकता पर आधारित मजूरी की मांग कर रहे हैं । क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी और इस समचे प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपेगी और देखेगी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम-से-कम राष्ट्रीय मजूरी मिले ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रश्न के प्रथम भाग में हमें परामर्श दिया गया है । इसलिये इसे प्रश्न नहीं कहा जा सकता । जहांतक दूसरे भाग का सम्बन्ध है प्रश्न सक्रिय रूप से हमारे विचाराधीन है । मैं इस समय माननीय सदस्य को यह नही बता सकता कि हम मध्यस्थ नियुक्त करने वाले हैं या नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय मैं इस प्रश्न को स्पष्ट करके कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है ...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते है कि मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रश्न उनके विचाराधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने वेतन आयोग और दास आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार महंगाई भत्ता की मांग के प्रश्न पर विचार करने के लिये द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय बैठक बुलाने को कहा है और माननीय मंत्री ने इस विषय पर विचार करने का वचन दिया है । क्या यह मामला भी मध्यस्थ को सौंपा जायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह ठीक है केन्द्रीयसरकार के अधिकारियों तथा अन्यकर्मचारियों ने ऐसी मांग की है । हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि मैंने उनको तथा आम तौर पर इस सभा को विश्वास में लिया है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : केवल उनको ही क्यों ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैंने कहा है कि सभा को भी । उनको इस लिये क्योंकि उन्होंने निजीतौर पर मुझे पत्र लिखा था, वह कई बार मुझे मिले है तथा उन्होंने कई अभ्यावेदन भी किये हैं । इस लिये मैंने यह जानने के लिये, कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना सम्भव है और क्या वे उनको तथा उनके प्रतिनिधियों को स्वीकार होगी, एक जांच कराई है । यदि ऐसा न हुआ तो हम मध्यस्थ के प्रश्न पर विचार करेंगे । मैं यह नही कहता कि हम निश्चय ही ऐसा करेंगे ।

Shri Siddheshwar Prasad : The hon. Minister has assured to consider the question of the dearness allowance of the Central Government employees. For the last few years the pay of the Central Government employees is increasing regularly whereas the pay of the State Government employees almost remains the same. It results in dissatisfaction. I would like to know whether while considering the question of pay of Central Government employees he will take into account the pay of the State Government employees so that there might not be much difference in both of them?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं माननीय सदस्य से इस बात में सहमत हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार से उनकी और राज्य सरकार की कर्मचारियो की सेवा की शर्तों में अन्तर आ सकता है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पारिश्रमिकों के प्रश्न पर विचार करते समय इस विषय पर भी गम्भीर से विचार किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद इलियास : कल माननीय वित्त मंत्री के साथी श्री मेहरचन्द खन्ना ने कहा था कि कम मजूरी के कारण ही अधिकांश सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं क्योंकि वे इतनी कम मजूरी से निर्वाह नहीं कर सकते . . .

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा ।

श्री मुहम्मद इलियास : इसको देखते हुए क्या वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी ढांचों के पुनरीक्षण के लिये वेतन आयोग स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : निजी रूप से दिये गये वक्तव्य के लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूं . . . . . .

श्री दाजी : आप यह कैसे कह सकते है कि उन्होंने यह वक्तव्य निजी रूप से दिया है? महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने कल चर्चा का उत्तर दिया था । क्या वह उत्तर उन्होंने निजी रूप से दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह वक्तव्य नहीं दिया था । मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री दाजी : उन्होंने ऐसा कहा था ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं यह बात स्पष्ट करके कहता हूं कि यदि उन्होंने ऐसा सरकार की ओर से कहा है तो मैं उसके लिये जिम्मेदार हूं परन्तु मेरे साथी ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने ऐसा कहा था । इसलिये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । प्रश्न को वेतन आयोग को सौंपने का अभी समय नहीं आया है । हम एक या दूसरे तरीके से जीवन निर्वाह में हुई वृद्धि को निष्प्रभाव करने का यत्न कर रहे हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि वेतन आयोग को स्थापित करने का अभी समय नहीं आया है । अन्तिम अर्थात दूसरा वेतन आयोग 1957 में स्थापित किया गया था । देश के सभी कार्मिक संघो तथा विशेषकर नैशनल फेडेरेशन आफ रेलवेमेन की निरन्तर मांग को देखते हुए सरकार द्वारा वेतन आयोग स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मजूरी बोर्ड ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार यह चाहती है कि पहले समचे देश में मजदूर आन्दोलन करें और तभी वह एसा आयोग स्थापित करेगी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : हम मजदूरों द्वारा समस्त देश में किसी आन्दोलन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं । आशा है कि मजदूर देखें कि वेतन आयोग स्थापित करने का अभी समय नहीं आया है क्योंकि वह केवल इतना ही निर्धारित करता है कि जिस समय यह स्थापित किया गया था उस समय वेतन क्या था तथा अब क्या वेतन होना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मजूरी बोर्ड ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्री बनर्जी ने मजूरी बोर्ड का सुझाव दिया है परन्तु यह एक पृथक बात है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that State Governments have refused to increase the salaries of their employees? Whether it is also a fact that they have written to the Central Government that unless and until they help them they cannot increase the salaries of their employees?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है वे कुछ अपने ही कारणों से अपने मजदूरो के वेतन में वृद्धि नहीं कर रहे हैं । उस पर मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता । हमें राज्य सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जबतक हम उनकी सहायता नहीं करेंगे वे अपने कर्मचारियो के वेतन नही बढ़ायेंगे .....**(अन्तर्बाधा)**

श्री दी० चं० शर्मा : इस तथ्य को देखते हुए कि इस सभा में कई बार देश के समाजवादी ढांके के बारे में कहा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों को ही दूर करेगी क्योंकि उनसे सरकार को सदा काम लेना होता है या वह शिक्षा शुल्क या दूसरी बातों के सम्बन्ध इनमें तथा दूसरे वर्ग के कर्मचारियों के फर्क को भी दूर करेगी ? क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है या नहीं ?

श्री अ० प्र० शर्मा : ऐसा केवल आयोग द्वारा ही किया जा सकता है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : सरकार इस बात से अवगत है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, निजी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों तथा ऐसे ही कई दूसरे वर्गों के वेतन में फर्क है । सरकार चाहती है कि एक वर्ग के कर्मचारियों तथा दूसरे वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में कोई विशेष फर्क न हो । ऐसा करते समय विभिन्न प्रकार के रोजगारों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि कुछ रोजगार लिखापढ़ी के तथा कुछ यांत्रिक सम्बन्धी होते हैं । ये कुछ मुख्य बाते हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिये निर्देश पदों तथा सिद्धान्तों के बारे में गम्भीरता से विचार करने का समय नहीं है और क्या कम-से-कम मजूरी को जीवन की कम-से-कम आवश्कताओं के आधार पर नियत नहीं किया जाना चाहिये अर्थात अब तक मजूरी नियत करने वाले सिद्धान्त जिसके अन्तर्गत उद्योग की देय क्षमता को देखा जाता है, की बजाय मजदूरों की क्रय क्षमता को अपनाया जाना चाहिये । क्योंकि . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न बता दिया है अब कारण बताने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मै इस प्रश्न को ठीक तरीके से नहीं समझ सका हूं । प्रश्न यह है कि मजूरी किन सिद्धान्तों द्वारा नियत की जाती है । आर्थिक सिद्धान्तों के बारे में सरकार, विभिन्न कार्मिक न्यायाधिकरणों तथा उच्चतम न्यायालयों ने कई बार बताया है । मेरे द्वारा उनको दोहराने की अवश्यकता नहीं है**(अन्तर्बाधा)** ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि मजूरी निर्धारित करते समय उद्योग की देय क्षमता को ध्यान में रखने की बजाय वांछनीय यह है कि मजदूरों के लिये कम-से-कम या वांछनीय मजूरी नियत की जाये ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : कम-से-कम मजूरी नियत करते समय बहुत सी बातों पर विचार करना होता है जैसे उद्योग की वेतन देने की क्षमता। यदि उद्योग यह मजूरी नहीं दे सकता तो वह काम बन्द कर देगा और इससे उस उद्योग में काम करने वालों के लिये बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। दूसरी भी कई बातें विचार-योग्य है जैसा जीवन स्तर क्या है, क्या उससे कुछ वृद्धि होनी चाहिय इत्यादि।

श्री प्रिय गुप्त : इन तीनों में से एक भी बात वहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस उत्तर से संतोष करना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra : Our Constitution provides for social justice to everyone. Whereas employees of the Central Government get more pay the State Government employees get lesser pay although both these categories are working in the same city...

Shri A. P. Sharma : Give them equal work then.

श्री प्रिय गुप्त : विधान सभा के सदस्यों को 250 रुपये मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य को प्रश्न करने दिया जाना चाहिये।

श्री प्रिय गुप्त : संसद सदस्यों को 500 रुपये मिलते है। यह विभेद क्यों हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ग्रुप के नेता को उन्हें रोकना चाहिये।

श्री प्रिय गुप्त : इस उद्देश्य के लिये सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न को स्थगित नहीं करना चाहिये ...

अध्यक्ष महोदय : उनको अधिक अच्छा व्यवहार करना चाहिये। मैं उनको बैठने के लिये कह रहा हूं परन्तु वह बोलते ही जा रहे हैं। मुझे उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री प्रिय गुप्त : राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना में ...

अध्यक्ष महोदय : वह बाहर चले जाये।

श्री प्रिय गुप्त : मैं बाहर जा रहा हूं। परन्तु मेरे दल के नेता के विरुद्ध कुछ न कहा जाये। यदि मैंने गलती की है तो आप मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा।

(इसके पश्चात श्री प्रिय गुप्त सभा से उठ कर चले गये।)

(Shri Priya Gupta then left the House)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कई बार कहा था ... **(अन्तर्बाधा)**

श्री स० मो० बनर्जी : वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नेता है और इसलिय उत्तजित थे। जब आपने उनको बठने के लिये कहा था तो वह बैठ गये थ। कृपया उनको वापस बुलाइय।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I request you to call him back.

Mr. Speaker : I request you to sit down.

Shri S. M. Banerjee : There was no fault of him.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी : क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप श्री प्रिय गुप्त को वापस बुलाये क्योंकि उन्होंने आप के आदेश की अवहेलना नहीं की थी। जैसे ही अपने उनको बैठने के लिये कहा था वह बैठ गये थे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी इतनी जल्दी क्या है ?

Shri Bibhuti Mishra : Both State and Central Government employees are living in one city. Both are within the Indian Union but there is discrimination in their pay. Keeping in view this inequality may I know whether Government is preparing any such scheme to give equal justice to both the above categories of employees?

श्री शचीन्द्र चौधरी : संविधान के अन्तर्गत दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है—एक केन्द्रीय तथा दूसरी राज्य सरकार। दोनों के कार्य, दायित्व, कर्तव्य भिन्न भिन्न हैं। ये कर्तव्य निभाने के लिये विभिन्न प्रकार के कर्मचारी रखे जाते हैं। और मेरा यह नम्र निवेदन है कि दोनों पक्षों की मज़दूरी के बारे में एकसा विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों के कर्तव्य-भारों की व्यापकता को आंक न लिया जाए।

श्री स० मो० बनर्जी : एक राष्ट्रीय मजूरी निर्धारित कीजिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इन सुझावों अथवा सिफारिशों को अवश्य ही ध्यान में रखा जायेगा।

श्री रंगा : यह देखते हुए कि सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं का प्रबन्ध करने वाले सभी संगठनों की चाहे आप उन्हें मज़दूरी बोर्ड कहें अथवा वेतन आयोग कहें—यह मांग है कि बराबर बढ़ते हुय मूल्यों के कारण उनके वेतनक्रमों तथा भत्तों की दरों पर पुनर्विचार किया जाए, क्या सरकार स्थिति पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि पिछली बार जिस समय पुनर्विचार किया गया था उस समय से ले कर वर्तमान मांगों के समय तक काफ़ी समय बीत चुका है?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी नहीं ; यदि कोई विचार किया जायेगा तो वह बढते हुए मूल्यों के प्रश्न पर किया जायेगा जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है और इसलिये प्रथम निष्प्रभावीकरण के प्रश्न पर विचार किया जाना है। जैसा कि मैंने सभा को पहले बताया है और जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हम उस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हमने पहले ही निर्वाह-व्यय की वृद्धि का किसी सीमा तक निष्प्रभावीकरण कर दिया है ...

श्री अ० प्र० शर्मा : केवल 75 प्रतिशत।

श्री शचीन्द्र चौधरी : शेष के बारे में हम मामलेपर पुनर्विचार कर रहे हैं। मैंने यह वचन दिया हुआ है कि अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व मैं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलूंगा।

\+ **राज्यों को सहायता**

*1015. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती ममूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को 1966–67 के लिए वचन दी गई केन्द्रीय सहायता देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त में मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is the assitance given to the States this year according to their demand or it has been reduced in comparison to the last year's assistance?

Shri B. R. Bhagat : This year's assistance has been given according to the capacity of the Central Government.

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to know whether, before giving assistance to States, consideration is given to the fact that those States who do not make a proper use of the money, issue overdrafts on banks or who simply take delight in spending the Central grants, shall be given further assistance only after ensuring that it would be possible to have full control on them?

Shri B. R. Bhagat : So far as overdrafting is concerned, that is a separate matter and it is being considered separately.

Shri Bhagwat Jha Azad : Since it is an embarrassing question, it is being taken up for consideration separately.

Shri B R. Bhagat : Please let me first complete my answer. It is being separately considered as to how overdrafting can be reduced. In regard to the assistance given this year I would say that the assistance given during the last five years, their programmes during the current plan year, their priorities and their capacity to fulfil them and the extent of assistance that would unable them to complete their programmes have also been taken account of.

Shri M. L. Dwivedi : In regard to the assistance given during 1966-67, I would like to know the number of Central grants which have been given to State Governments in proportion to their demands and their capacity and the reasons for cut in grants.

Shri B. R. Bhagat : The States who demanded assistance were consulted at the time of preparing this year's plan and the amounts of assistance were decided upon on the basis of those consultations.

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि 1966–67 में कोई कटौती नहीं की गई थी । क्या योजनाकाल में कोई कटौती की गई थी और उसके बारे में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया था ?

श्री ब० रा० भगत : यह कटौती का प्रश्न नहीं है । जब हम कुल राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में निश्चित करते हैं तो केन्द्रीय संसाधनों की समस्त क्षमता पर विचार करते हैं । इसके अतिरिक्त इस वर्ष वित्त आयोग के पंचाट के अन्तर्गत केन्द्रीय संसाधनों में से राज्य सरकारों को हस्तांतरण की गई राशियों के कारण भी केन्द्रीय संसाधनों में कमी हुई है । और सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रत्येक राज्य की योजना, उनके कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं, राज्यों के अपने संसाधनों की स्थिति तथा उनके द्वारा और अधिक संसाधन जुटाने की क्षमता का अध्ययन करते हैं और फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं ताकि प्रत्येक राज्य में कार्यक्रम चलता रहे और प्रगति की गति भी बनी रहे ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने पिछड़े हुए राज्यों को तथा विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष सहायता दी है ? यदि हां, तो राशि क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : जब हम राज्यों के संसाधनों तथा उनकी क्षमता पर विचार करते हैं तो पिछड़ेपन तथा अन्य बातों को भी शामिल करते हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey : As was said earlier that assistance would be given according to the demands of the backward States, especially to Uttar Pradesh which has demanded more assistance with a view to remove backwardness and to carry out development in the State, has Government allotted more funds to Uttar Pradesh for the year 1966-67?

Shri B. R. Bhagat : Uttar Pradesh Government has submitted a memorandum demanding more assistance.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : यह क्या हो रहा है ? मैं बहुत देर से खड़ा हूं । आप अन्य सदस्यों को अवसर दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इन 45 मिनटों में केवल चार प्रश्नों का उत्तर दिया जा सका है ।

Shri Gulshan : What is the extent of loss which had been suffered by Pakistan during the last Indo-Pak. conflict? What does Government propose to do for Punjab in view of that loss?

Mr. Speaker : I have now taken up another question.

श्री बूटा सिंह : हमको अवसर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मूलतः प्रश्न नहीं पूछा है । मैंने किसी भी ऐसे सदस्य को नहीं बुलाया था जो मूल प्रश्न पर हस्ताक्षर नहीं किये थे ।

डाक घर बचत बैंक

***1016. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री तुला राम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० के० देव :
श्री दे० जी० नायक :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक घर बचत बैंक को एक पृथक सरकारी बचत बैंक के रूप में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और प्रस्ताव का मुख्य ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख): सरकार ने, डाक घर बचत बैंक को एक अलग सरकारी बचत बैंक के रूप में पुनर्गठित करने की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने और सरकार को रिपोर्ट देने के लिए एक समिति बनायी है । सरकार के संकल्प संख्या एफ० 3(14) एन० एस०/65 दिनांक 18 दिसम्बर, 1965 की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6005/66]

श्री दी० चं० शर्मा : मैं सरकार की संगठनों को बढ़ा कर दफ्तरशाही को बढ़ावा देने की योग्यता की सराहना करता हूं और यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की समिति संसार के अन्य किसी भाग में भी है जहां बचत की राशि बहुत अधिक होती है ?

श्री ब० रा० भगत : अन्य देशों में उनकी क्षमता तथा आर्थिक स्थिति के कारण बचत बहुत अधिक होती है । जहां तक संगठनों के बढ़ाने का सम्बन्ध है, इस प्रकार संगठन नहीं बढ़ रहे हैं । इस प्रकार केवल वर्तमान संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि वह अपने कृत्यों का और अच्छी तरह पालन कर सके ।

श्री दी० चं० शर्मा : नये संगठन के बनाते समय माननीय राज्य मंत्री ने किन लाभों को दृष्टि में रखा है ?

श्री ब० रा० भगत : वर्तमान विभाग डाक व तार विभाग का एक अंग है । ऐसी शिकायतें आई थीं कि उतनी सुविधायें नहीं मिल रही थी जितनी एक व्यापारी संस्था द्वारा मिल सकती थी और बचत की राशि जो 500 करोड़ रुपये थी बहुत अधिक थी । इसके अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि भी बहुत अधिक थी । अतः यह उचित समझा गया कि बैंक की भांति एक स्वतंत्र विभाग बनाया जाए जो रुपया जमा-कर्ताओं को विभिन्न सुविधायें दे सके । प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य शिकायतें भी थी । अतः एक समिति नियुक्त की गई जो इस मामले की देखभाल कर सके और यह संगठन ठीक प्रकार से चल सके ।

Shri Rameshwar Tantia: Since mostly common man deposits money in the Post Office Savings Bank, does Government propose to increase the rate of interest in the Post Office Savings Bank in view of the increasing rate of interest in other places?

Shri B. R. Bhagat : It has recently been increased from 3 per cent to 4 per cent.

Shri Vishwa Nath Pandey : Since the honourable Minister has said and also laid a statement on the Table, that a Committee has been constituted to reconstitute the Post Office Savings Bank into a separate Government Savings Bank, I would like to know whether the honourable Minister or the Ministry had consultations with the Ministry of Communications also before constituting that committee? If so, the reactions thereof ?

Shri B. R. Bhagat : Not only has that Ministry been consulted but their representative also is there on the Committee.

Shri Bibhuti Mishra : Since low-income people deposit money in the Post Office Savings Bank and the standing balance is rupees 500 crores, the Committee should direct that this money should be utilised to establish industries in villages so that the income of the villagers may increase.

Shri B. R. Bhagat : The terms of reference of the Committee have been given in the Resolution. The honourable Member may see it.

Shri Bibhuti Mishra : I have gone through the terms of reference. It has not been mentioned in the terms of reference. Hence, I asked this question.

Shri B. R. Bhagat : That has not been given in it. This committee will not investigate about the places where industries could be established.

श्री दे० जी० नायक : क्या सरकार देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में डाकखाना बचत बैंक स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : डाकखाने सब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं ।

श्री दे० जी० नायक : वहां बचत बैंक नही हैं ।

श्री ब० रा० भगत : 48,522 डाकखानों में बचत बैंक खाते चल रहे हैं । उन्हें बढ़ाया जा सकता है ।

Shri Siddheshwar Prasad : The statement which has been laid on the Table says that only Government servants and reports have been kept on the Committee. No such person has been appointed who knows about the difficulties of the villagers and who is conversant with the shortcomings of the Post Office Savings Banks in villages. How will the Committee's recommendations include suggestions for removal of shortcomings of the Post Office Savings Banks in the rural areas?

Shri B. R. Bhagat : This committee has only those interests which are concerned with the Post Office Savings Bank and those who run post offices in the rural areas are also represented on the committee. Therefore, we will also try to understand and solve their difficulties.

Shri Ram Harakh Yadav : May I know whether Government is aware of the fact that in the Post Office Savings Banks rupees 11 crores have been lying unclaimed called 'Silent Account' in postal balance ? Will something be done about this amount when the Post Office Savings Bank accounts shall be transferred to a separate Government Savings Bank?

Shri B. R. Bhagat : Which amount?

An Honourable Member : Unclaimed Account.

Shri B. R. Bhagat : There is nothing before this committee regarding the Unclaimed Accounts.

कृषि कार्यों के लिये बिजली

*1017. **श्री मा० ल० जाधव :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना काम वाली अवधि में कृषि कार्यों के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली बिजली के न्यूनतम शुल्क में छूट देने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया; और

(ग) इसके कब से लागू किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० क० ल० राव) : (क) से (ग) :विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग): कृषि उत्पादन में बिजली के उपयोग के लिये कृषकों को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार करते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सभापति ने नवम्बर, 1965 में हुई अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि उस समय जब कुओं में पानी नहीं होता अथवा वर्षा ऋतु में जब सिंचाई के लिये कुओं से पानी लेने की आवश्यकता नहीं होती कृषि उपभोक्ताओं से न्यूनतम बिजली उपयोग की गारंटी लेने के लिये जोर नहीं दिया जाना चाहिये । सम्मेलन में की गई इस और अन्य सिफारिशों को राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के ध्यान में ला दिया गया और उनसे प्रार्थना की गई कि वे इन सिफारिशों के कार्यान्वित के लिये कार्यवाही करें । अब तक पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड, गुजरात बिजली बोर्ड और मैसूर राज्य बिजली बोर्ड से उत्तर प्राप्त हो गय हैं । इस मामले पर बोर्डों के निर्णय नीचे दिये गये हैं :—

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड

बोर्ड ने यह मंजूर कर लिया है कि जब पानी के उपलब्ध न होने के कारण पम्पों का उपयोग न किया गया हो तो न्यूनतम बिजली शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड

इस विशेष सिफारिश की जांच की जा रही है और बोर्ड का यह विचार है कि इस प्रस्ताव के कार्यान्वित में किसी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी ।

गुजरात बिजली बोर्ड

न्यूनतम गारंटी वार्षिक आधार पर निश्चित की जाती है और इसे निश्चित करते हुए उस समय को अनुपभोक्त बिजली का ध्यान रखा जाता है जब कुओं से पानी नहीं लिया जाता है। उस समय की भी अधिक बिजली की खपत का ध्यान रखा जाता है जब कि कूओं से पानी लिया जाता है ।

मैसूर राज्य बिजली बोर्ड

कृषक द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम बिजली शुल्क मासिक न्यूनतम के स्थान पर न करके वार्षिक न्यूनतम आधार पर निश्चित किया जाता है ।

श्री मा० ल० जाधव : क्या न्यूनतम शुल्क के बारे में नीति को सम्पूर्ण देश में लागू किया जा सकता है ?

डा० कु० ल० राव : अभिप्राय यही है । सम्पूर्ण देश में न्यूनतम गारंटी शुल्क लिया जाना चाहिये ।

श्री मा० ल० जाधव : क्या सरकार ने सारे देश में कृषि के लिये दरों को समान रखने के लिये कोई निर्णय किया है ?

डा० कु० ल० राव : देश में कृषि के लिये कोई ऐसी समान दर नहीं है । यह निर्णय किया गया था कि उन राज्यों को जहां 12 पैसे से अधिक दर थी, उपदान दिया जायेगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : ऐसा देखा गया है कि एक राज्य में जो दरें हैं वे दूसरे राज्य की दरों से भिन्न हैं । क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करने जा रही है जिससे कृषि के लिये बिजली की सप्लाई की दरें सारे देश में समान हों ?

डा० कु० ल० राव : मैंने पहले भी कहा है कि यह सम्भव नही है कि सारे देश में समान दरें रखी जा सकें जब कि अच्छी ग्रीड प्रणाली उपलब्ध नहीं है । इन राज्यों के लिये सरकार यह कर रही है कि जहां दरें 12 पैसे से अधिक हैं और जो आर्थिक दरें समझी जाती हैं, ऐसे राज्यों को सरकार उपदान देगी ।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण में ऐसा उल्लेख है कि राज्यों की बोर्डों का ऐसा निर्णय है बिजली के लिये पानी का शुल्क नहीं लिया जायेगा और अभी केवल चार बोर्डों ने ही उत्तर दिया है । मंत्री महोदय कृपया बतायें कि अन्य बोर्डों द्वारा इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : नवम्बर में हुए सम्मेलन में सब राज्य सहमत हो गये थे और आशा है कि अब भी सभी राज्य सहमत होंगे और हम उनको बराबर याद दिला रहे हैं कि वे अपना निर्णय शीघ्र भेजें ।

श्री कन्डप्पन : क्या सरकार ने न्यूनतम उपभोक्ता गारन्टी को समाप्त करने के लाभों पर कभी विचार किया है अथवा भविष्य में करने का इरादा है ?

डा० कु० ल० राव : मैं समझता हूं कि अब जो निर्णय लिया गया है कि 35 रुपये प्रति संबद्ध अश्वशक्ति प्रति वर्ष को न्यूनतम गारन्टी रखा जाए, उससे वास्तव में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री रंगा : इससे कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा नहीं इस बारे में विभिन्न मत हो सकते हैं । परन्तु क्या सरकार ने बिजली की न्यूनतम दर को और भी कम करने का निश्चय किया है तथा क्या सरकार बिजली की अधिकतम दर, जिससे अधिक बढ़ने पर भारत सरकार अपनी ओर से सहायता देती है, उसे भी कुछ कम करने पर विचार कर रही है जिससे कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों दरें कम हो जाएं।

डा० कु० ल० राव : कम से कम 35 रूपये गारन्टी के रूप में दिये जाना काफ़ी अच्छा है क्योंकि कुछ राज्य हैं जैसा कि गुजरात, जहां 60 रुपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिवर्ष वसूल किया जा रहा है । हमारा यह भी इरादा है कि 35 रुपये वसूल नहीं किये जायेंगे यदि कुओं में पानी नहीं होगा अथवा अधिक वर्षा होगी । ऐसी परिस्थितियों में न्यूनतम गारन्टी एक अच्छा प्रोत्साहन है । जहां तक वसूल किये जाने वाली दर का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा है कि फिलहाल सम्पूर्ण देश में अच्छी ग्रीड प्रणाली के अभाव के कारण यह सम्भव नहीं है कि सारे देश में समान दर रखी जा सके और जो कुछ हम कर रहे है वह यह है कि . . .

श्री रंगा : मैंने अधिकतम को कम किये जाने के बारे में कहा था ।

डा० कु० ल० राव : जहां दरें अधिक हैं राज्य 12 पैसे वसूल करते हैं । उससे अधिक के लिये उपदान दिया जाता है ।

Shri Yashpal Singh : When will the disparity in rates be removed ? Shri Birla gets electricity at 3 paise a unit and the agriculturist gets it at 19 paise a unit ?

डा० कु० ल० राव : उद्योगों तथा कृषि के लिये दरों में जो अन्तर है उसे दूर नहीं किया जा सकता । मैंने ने कहा है कि कुछ वर्षों में सारे देश के लिये समान दर बनाई जा सकेगी । उदाहरण के लिये, मद्रास में 8 पैसे वसूल किये जाते है जब कि अन्य राज्यों में दर 12 पैसे से अधिक नहीं है । अच्छी ग्रिड प्रणाली होने पर 8 पैसे अथवा उससे कम की समान दर सम्भव हो सकेगी परन्तु उद्योगों तथा कृषि के लिये पानी पहुंचाने की दरों में सदैव ही अन्तर रहेगा ।

Shrimati Johraben Chavda : I want to know the number of such States which have reduced the supply of electricity to the cultivator and the percentage of such a cut?

डा० कु० ल० राव : जहां तक कृषि के लिये पानी की व्यवस्था का प्रश्न है, उन राज्यों में भी कमी नहीं की गई है जहां बिजली की कमी है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will Government think over treating agriculture as industry so that the cultivators get reduction in rate for electricity for agricultural pumping on the same ground on which the industries get such a reduction?

डा० कु० ल० राव : मुझे खेद है कि ऐसा करना बड़ा कठिन होगा क्योंकि औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी "लोड" में भारी अन्तर है । उद्योगों के लिये कम संख्या में लाइनों की आवश्यकता होती है और विद्युत शक्ति किसी एक स्थान में केंद्रित होती है जबकि कृषि के लिये अनेक लाइनों की आवश्यकता होती है तथा लम्बे फ़ासलों पर तार ले जाना होता है । इसके अतिरिक्त कृषि के लिये 'लोड' एक-सा नहीं रहता । कृषि के लिये 'लोड' वर्ष में कुछ ही घंटों के लिये होता है । औद्योगिक 'लोड' सारे वर्ष समान रहता है । अतः इस मामले में हमें उद्योग तथा कृषि में अन्तर रखना ही पड़ेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय

*1013. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से हटा कर उसके कार्यक्षेत्र में ले जाने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फकरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से उसके प्रचालन क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर 1959 में हुए भागीदार राज्यों के सम्मेलन में विचार हुआ था और यह फैसला किया गया था कि यदि भवनों आदि के निर्माण के लिये धन उपलब्ध हो, दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से धीरे धीरे मैथोन में ले जाया जाए। तदनुसार दामोदर घाटी निगम ने अभी बिजली विभाग के प्रचालन तथा रखरखाव स्कन्ध के मुख्यालय को ही मैथोन में स्थानान्तरित किया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

*1018. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री काजरोलकर :
श्री पाराशर :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक मंत्रालय में कितने सरकारी कर्मचारी हैं; और

(ख) प्रत्येक मंत्रालय में कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये गये हैं।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : सामान्य पूल से वास का आवंटन विभिन्न मंत्रालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाता। इस प्रयोजन के लिये उन सभी कर्मचारियों की जिन्हें कि भारत कि संचित निधि से वेतन दिया जाता है और जो कि विभिन्न स्थानों पर पात्र कार्यालयों में कार्य कर रहें हैं जहां कि सामान्य पूल के वास उपलब्ध हैं, जिस टाइप के वास के वे पात्र हैं उसके अनुसार सामान्य सूची बनाई जाती है। सभी उपलब्ध वास आवदकों की प्राथमिकता की तारीख के आधार पर उन्हें दिये जाते हैं। 1 जनवरी 1966 तक लगभग 1,48,400 क्वार्टरों की मांग की ऐवज में लगभग 42,600 कर्मचारियों को सामान्य पूल में से वास दिया गया है।

सरकारी क्षत्र की बिजली परियोजनाओं में बचत

*1019. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली उत्पादन की लागत को यथासम्भव कम करने के उद्देश्य से तीन, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आरम्भ की गई विभिन्न बिजली परियोजनाओं के बनाने, चलाने तथा बनाये रखने में बचत करने के लिये अब क्या व्यवस्था है तथा क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई उपाय सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गैर सरकारी कम्पनियों के लिये निर्धारित खर्च नियंत्रण सम्बन्धी सिद्धान्त सरकारी क्षेत्र के बिजली उपक्रमों पर लागू होते हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6006/66]**

Samadhi of Late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri

***1020. Shri Siddheshwar Prasad :**
Shri Maheshwar Naik :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in Nav Bharat Times, New Delhi dated the 7th March, 1966 that the Samadhi of the late Prime Minister, Lal Bahadur Shastri is in an extremely neglected state;

(b) if so, the scheme formulated by Government to give it a proper look; and

(c) the name proposed to be given to the said Samadhi?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes, but the allegati on is denied.

(b) A detailed scheme for the development of the Samadhi is still to be drawn up. However, the first stage of preliminary development at a cost of about Rs. 1½ lakhs has already been taken in hand. This provides for earth filling round the Samadhi and providing an approach road with adequate lighting and parking arrangements, etc.

(c) At the meeting of the Committee held on 5th April, 1966 it has been decided to name the Samadhi as Vijaya Ghat.

कलकत्ता में आय-कर संबंधी छापे

***1021. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री 3 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में ली गई तलाशियों में पकडे गये आयकर तथा सीमाशुल्क के अपवंचन सम्बधित कागजों और मिली 45 लाख हुंडियों की छानबीन कर ली गई है;

(ख) क्या जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है और क्या सम्बन्धित व्यक्तियों तथा तलाशी ली गई इमारतों के नाम बताये जा सकते हैं; और

(ग) इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या अथवा क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) पकड़े गये कागजों की अभी भी छानबीन की जा रही है।

(ख) चूंकि जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है, तलाशियों में अन्तर्गस्त व्यक्तियों तथा स्थानों के नाम बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ग) जांच-पड़ताल पूरी होने पर कार्यवाही की जायगी।

भारत में अमरीकी विनियोजन

***1022. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीकी पूंजी लगाये जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समझौता सम्बन्धी अमरीकी व्यापार परिषद की भारत संबंधी स्थायी समिति के साथ बातचीत पुनः आरम्भ हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और चौथी योजना की अवधि में अमरीकी पुंजी विनियोजन की संभावनायें कैसी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : यद्यपि समाचारपत्रों में यह समाचार छपे है कि अन्तराष्ट्रीय समझौता सम्बन्धी अमरीकी व्यापार परिषद की भारत संबंधी समिति भारत सरकार के साथ बातचीत पुनः आरम्भ करना चाहती है, तथापि उस समिति की ओर से हमें अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रणों के स्वरुप के सम्बन्ध में पुनर्विचार

***1023. श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री फिरोडिया :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न वस्तुओं पर लगाये गये नियंत्रणों के वर्तमान स्वरूप में कुछ परिवर्तन करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या नियंत्रणों के वर्तमान स्वरूप की जांच करने के लिये कोई तंत्र स्थापित करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार विभिन्न वस्तुओं पर लगा हे नियंत्रणों के ढांचे की बराबर समीक्षा करती रहती है। किसी परिवर्तन की घोषणा तभी की जा सकती है जब सरकार उसके सम्बन्ध में पहले निणय कर ले।

(ख) नियंत्रणों के ढांचे की जांच करने के लिये पहले से ही सरकारी व्यवस्था मौजूद है और इस काम के लिए नयी व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड, दिल्ली

***1024 श्री वारियर :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वासुदेवन नायर : **डा० उ० मिश्र :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली ने ऊंची व्याज दरों पर जनता स मियादी जमा द्वारा कई करोड़ रुपये की बड़ी राशि जमा कर ली है;

(ख) क्या उस फर्म ने यह राशि अपने सार्थों में ही लगाई है;

(ग) क्या इस फर्म ने हुंडियों की अवधि पूरी हो जाने पर जनता द्वारा अपनी जमा राशि मांगे जाने पर उसे लौटाने से अब इन्कार कर दिया है, जो कि दस्तावजों में लिखी गई शर्तों का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराने का सरकार का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कम्पनी के नवीनतम संतुलन पत्र से यह पता लगता है कि उस कम्पनी ने विभिन्न लोगों के 105.24 लाख रुपये देने थे। ऐसा ज्ञात होता है कि यह राशि व्याज की विभिन्न दरों पर हुंडियों के जरिये प्राप्त की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जमा कि गई राशि की अदायगी न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु सरकार के लिये यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका है कि उस कम्पनी ने जमा राशि को लौटाने के बारे में कहा तक शर्तों का उलंघन किया है।

(घ) दावेदार इस बारे में स्वतंत्र है कि वे अपना रुपया वापस लेने के लिये कानूनी कार्यवाही करें। रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई सूचना के प्राप्त होने पर अन्य कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बिजली के लिये नियतन

1025. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश में सिंचाई औरसे बिजली के लिये बहुत कम नियतन किया गया है हालांकि वहां देश भर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम और जनसंख्या सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस नियतन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : सिंचाई तथा बिजली के लिये योजना व्यय-व्यवस्था कम आवंटन मुख्यतया, सिंचाई की विशिष्ट आवश्यकताओं और बिजली के लिये भार सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है। इस क्षेत्र के लिए आवंटन, प्रतिव्यक्ति के दृष्टिकोण से करना समचित नहीं है। उपलब्ध साधनों के अनुसार, पिछली तीन योजनाओं में उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सिंचाई तथा बिजली का सर्वाधिक सम्भव अवंटन करने का प्रयत्न किया गया है। तीनों योजनाओं में कुल व्यय व्यवस्था सिंचाई के लिए 110 करोड़ रुपये और बिजली के लिये 225 करोड़ रुपये की गई है। जबकि अखिल भारतीय व्यय व्यवस्था सिंचाई के लिए 1141 करोड़ रुपये और बिजली के लिए 1757 करोड़ रुपया है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के नियतन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एडवान्स इंश्योरेस कम्पनी, बम्बई

*1026. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री दाजी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० रानेन सेन
श्री मौर्य :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री 10 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाईटेड जनरल ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड को बीमा लाइसेंस फ़िर से जारी नहीं करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पालिसी-धारियों तथा जनता के अन्य वर्गों के हितों की रक्षा के लिये बीमा नियंत्रक, बम्बई ने एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी और उनके निदेशक श्री गोयनका पर कड़ी निगरानी रखी है ; और

(ग) इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त व्यक्ति तथा एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी पर जिसके वह एक निदेशक हैं, वर्तमान सम्वाय अधिनियम तथा बीमा कानून के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्या उन्होंने स्टेट बैंक और अन्य सरकारी ऐजेन्सियों / विभागों / संस्थाओं को हिदायतें दी हैं कि वे इस कम्पनी के बांड तथा पालिसी स्वीकार न करें अथवा अत्यधिक सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात् स्वीकार करें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) बीमा अधिनियम के कुछ उपबंधों का उल्लंघन करने पर, बीमा नियंत्रक ने, यूनाईटेड जनरल एश्योरेंस ट्रस्ट जैसा कि यह पहले जाना जाता था, की रजिस्ट्री रद्द कर दी थी। चूँकि इस उल्लंघन का 6 महीने के अन्दर सुधार नही किया गया, जोकि अधिनियमों के अधीन आवश्यक है, इसलिये नियंत्रक ने रजिस्ट्री फिर से चालू नहीं की। रजिस्ट्री रद्द हो जाने पर, इस कम्पनी ने अपने वर्तमान नाम से गैर-बीमा सम्बन्धी काम करना शुरू कर दिया।

(ख) जी, हां। चूँकि यूनाईटेड जनरल ट्रस्ट प्राईवेट लिमिटेड के कुछ भूतपूर्व निदेशक एडवांस इश्योरेंस कम्पनी में शामिल हो गये थे, इसलिये इस कम्पनी पर निगरानी रखी गयी थी। किन्तु कोई ऐसी गम्भीर बात सामने नहीं आयी जिस के लिए बीमा अधिनियम के अधीन कम्पनी के, अथवा कम्पनी के निदेशक की हैसियत में श्री गोयनका के, विरुद्ध कोई कायवाही करना जरूरी होता।

(ग) जी, नहीं। ऐसा आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई।

उद्योगपतियों को विदेशी मुद्रा

*1027. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री 10 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 448 तथा उस पर पुछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें उन उद्योगपतियों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक को 1965 में दी गई विदेशी मुद्रा की राशि तथा विदेशों में उनकी गतिविधियों से होने वाले परिणाम दर्शाये गये हों ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : आवश्यक सूचना इकट्ठी जी जा रही है और विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत निधि

*1028. **श्री दाजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 गेहुं की बिक्री के अन्तर्गत रुपया-निधि की व्यवस्था के लिए अमरीका की सरकार ने भारत में एक विनियोजन निकाय स्थापित करने का एक प्रस्ताव हाल ही में किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

नियत से अधिक राशि का राज्यों द्वारा निकाला जाना (ओवर ड्राफ्ट)

*1029. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक से राज्यों द्वारा अनधिकृत अधिविकर्ष किये जाने (ओवर ड्राफ्ट) को रोकने के लिये क्या मार्गोपाय सोचे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक तथा नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक के परामर्श से इस मामले पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है ।

Ramganga Project

*1030. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of workers of Ramganga Project under construction at Kalagarh are on strike;

(b) if so, the main reasons therefor and why they have not been considered by Government so far; and

(c) the loss per day being suffered by Government as a result thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a), (b) & (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) & (b). About 3,000 workers of the Ramganga Project in Uttar Pradesh went on strike from the 3rd March, 1966 to press their demand for recognition of their Union, reinstatement of a dismissed worker etc. The strike was called off on the 14th March, 1966. These demands had not been forwarded to the State Government earlier and, therefore, there was no occasion for the State Government to consider the same.

(c) As an agreement has been reached with the leaders of the Workers' Union that the lost time will be made up by working overtime during the next three months, there will be no set-back in the tempo of work. No significant loss will, therefore, be caused.

केरल में इदिक्की परियोजना

***1031. श्री मणियंगाडन :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इदिक्की परियोजना की "बिजली सुरंग" के निर्माण के लिए टेन्डर मांगे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई टेन्डर मंजूर किया गया है;

(ग) इस टेंडर को किस प्राधिकारी ने मंजूर किया और क्या टेन्डर सम्बन्धी दस्तावेजों में यह कहा गया कि चीफ इंजिनियर टेन्डर मंजूर करेंगे ;

(घ) क्या मंजूर किये गये इस टेन्डर की अपेक्षा कम रकम वाले कुछ अन्य टेन्डर प्राप्त हुए थे; और

(ङ) यदि हां, तो कम रकम वाले इन टेन्डरों को नामंजूर करने के क्या कारण थे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) : इन मामले पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों का विकास

***1032. श्री विश्वनाथ राय :** **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह : **श्री गणपति राम :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान देना बन्द करने का निर्णय कर लिया है जो पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ तथा गाजीपूर जिलों में कुछ विकास कार्यों के लिये राज्य सरकार को दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उन विकास कार्यों को जारी रखने में असमर्थता प्रकट की है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले विशेष अनुदान से आरम्भ किये गये थे; और

(ग) क्या उन जिलों में आरम्भ किये जा चुके विकास कार्य तुरन्त बन्द कर दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) संयुक्त अध्ययन दल ने, जिसके अध्यक्ष श्री बी० पी० पटेल थे, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर, इन चार जिलों के बारे में सिफारिशें की थीं। भारत सरकार ने वस्तुतः सहायता बन्द करने का फैसला नहीं किया है। बल्कि इरादा यह है कि इस प्रायोजना के लिए, निर्धारित सहायता की रकम राज्य की वार्षिक आयोजना के अन्तर्गत ही जुटायी जानी चाहिए।

(ख) राज्य सरकार ने एसी "असमर्थता" प्रकट नहीं की है लेकिन उसने इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त रकम देने का अनुरोध किया है।

(ग) इस विषय का सम्बन्ध राज्य सहकार से है।

तुंगभद्रा परियोजना

*1033. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों में तूंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत अब तक सिंचाई और बिजली की कितनी क्षमता पैदा की गई है;

(ख) तूंगभद्रा उच्च सतह नहर योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत दोनों राज्यों में सिंचाई की कितनी क्षमता पैदा होने की आशा है ;

(ग) योजना को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है तथा इसे निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना के अधीन सिंचाई के लिय पानी कब उपलब्ध किया जायेगा तथा उससे अनाज को कितनी पैदावार होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

	आंध्र प्रदेश	मैसूर
	एकड	एकड
(क) सिंचाई :		
निम्नस्तरीय नहर	1,48,725	92,345
वाम तट नहर	..	4,96,436
कुल . .	1,48,725	5,88,781

बिजली :	दक्षिण तट	वाम तट	कुल
(प्रतिष्ठापित क्षमता)	72 मैगावाट	27 मैगावाट	99 मैगावाट
(ख) उच्चस्तरिय नहर चरण 1		1,19,000	70,000

(ग) 69 मील तक उच्च स्तरीय नहर चरण 1 की प्रथम पहुंच में लगभग 95 प्रतिशत मिट्टी का काम और लगभग 90 प्रतिशत पार्श्व दीवार और पलस्तर का काम पूरा हो चुका है। 148 चिनाई संरचनाओं में से 106 पर काम पूरा हो चुका है। बाकी संरचनाओं पर 60 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। 69 वे मील से आगे की पहुंच में लगभग 80 प्रतिशत मिट्टी का काम पूरा हो चुका है।

काम प्रौढ़ अवस्था में और इस स्कीम के कार्यान्वयन में गंभीर रूप से कोई देरी नहीं हुई है।

(घ) जुलाई, 1966।

दोनों राज्यों में प्रति वर्ष लगभग 30,000 टन।

एक्मे फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

*1034. **श्री विश्राम प्रसाद :**

श्री ना० नि० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में "एक्मे फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड" नाम से एक कम्पनी काम कर रही है;

(ख) क्या इस कम्पनी के निदेशकों ने अपने कई सौ खातेदारों को देय धनराशि लौटाने से इन्कार कर दिया है;

(ग) क्या खातेदारों के प्रतिनिधि 9 मार्च, 1966 को दिल्ली के मुख्यायुक्त से मिले थे और उन्होंने इस कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायतें दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : जी, हां।

(घ) खातेदार तथा अन्य दावेदार व्यक्ति इस बात के लिये स्वतंत्र है कि वे अपना धन वापस लेने के लिये उस कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा करें अथवा उस कम्पनी के कार्यों को समाप्त कराने के लिये अभ्यावेदन दें। कम्पनी के कार्यों की जांच के आधार पर यदि आवश्यक समझा गया तो अन्य कार्यवाही की जाने की वांछनीयता के बारे में विचार किया जायगा।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर

*1035. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1956-57 में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपूर ने मैसर्स टनर मारिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के शैयर खरीदने के लिए लंदन को 78 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा भेजने के लिए आवेदन-पत्र दिया था;

(ख) क्या उन्होंने आवेदन-पत्र में यह लिखा था कि शैयर अपने लिये नहीं अपितु किसी अन्य के लिए चाहिये थे;

(ग) किन परिस्थितियों में अनुमति दी गई थी; और

(घ) क्या अनुमति देने से पहले रिजर्व बैंक ने विधिवत जांच की थी?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की ओर से, विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाली, नीदरलैंडस ट्रेडिंग सोसायटी नामक अधिकृत फर्म ने एक आवेदन-पत्र दिया था जिसमें बिक्री से सम्बन्धित पार्टियों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता था कि खरीदार ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन है; और उस समय लागू कानून के अनुसार यह ब्यौरा देना जरूरत भी नहीं थी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने शैयरों के उचित मूल्य के बारे में पूछताछ की थी, केन्द्रीय सरकार की सम्मति प्राप्त की थी और रकम भेजने की अनुमति दी थी क्योंकि ऐसा करना विदेशी पूँजी की वापसी से सम्बन्ध रखने वाली सरकार की सामान्य नीति के अनुसार था।

(घ) जी हां।

बम्बई में व्यापार-गृहों (बिजिनेस हाउस) पर छापे

*1036. **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री फिरोडिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों ने हाल में 16 और 17 मार्च, 1966 को बम्बई में कुछ व्यापार-गृहों पर छापा मारा और छिपाया हुआ धन और ऐसे कागजात पकड़े जिन से विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने का दोष सिद्ध होता है; और

(ख) यदि हां, तो जिन व्यापारिक फर्मों पर छापा मारा गया, उनके क्या नाम हैं और किस किस्म के कागजात पकड़े गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) चूँकि मामले की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है, इसलिये इस समय इसके ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

राष्ट्रीय तथा समन्वित परिवहन नीति

*1037. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री फिरोडिया :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तथा समन्वित परिवहन नीति बना ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क), (ख) और (ग) : परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन हाल में ही प्रस्तुत किया है। जो प्रतिवेदन 17 फरवरी, 1966 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था वह फिलहाल विचाराधीन है।

सरकारी भवनों के स्थापत्य डिजाइनों का महत्व

*1038. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजनीती के स्वरुप पर सरकारी भवनों के स्थापत्य डिजाइनों के प्रभाव के बारे में ब्रिटेन के एक प्राच्य शास्त्री द्वारा किये गये एक अध्ययन की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया गया है ;

(ख) उस अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय की जांच तथा अध्ययन कर लिया है; और

(घ) इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क), (ख), (ग) और (घ) : ब्रिटिश प्राच्य शास्त्री के अध्ययन के प्रति प्रकाशित समाचार का जो संदर्भ दिया गया है, वह सरकार के नोटिस में आया है। किसी भी काल तथा किसी भी देश का स्थापत्य, उस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा औद्योगिक प्रवृत्तियों एवं व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं का सीधा तथा कुछ सीमा तक ठीक प्रतिबिंब है, किन्तु इतिहास हमें यह नहीं बताता कि स्थापत्य ने किसी भी देश की राजनीति के भविष्य के स्वरुप को कभी प्रभावित किया हो।

Shortage of Doctors in India

*1039. **Dr. Ram Manohar Lohia :** Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of Doctors in India;

(b) whether Government are also aware that in Britain alone, there are 1600 Indian Doctors; and

(c) if so, whether Government are making any arrangements to call them back from abroad?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes, Sir.

(b) There were 1813 Indian doctors working in various hospitals in U.K. on 12-1-66. The number of Indian doctors in private practice in U.K. is not available.

(c) A statement indicating the steps taken to encourage Indian scientists and Technologists abroad to treturn to India, is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. L. T. 6007/66.]**

स्टॉक एक्सचेंजों सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ

*3377. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री स्टॉक एक्सचेंजों सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञों के बारे में 23 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में इस देश का दौरा करने वाले अमरीकी विशेषज्ञों के दल द्वारा सुझाई गई समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अमरीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है ।

(ख) यदि हां, तो उनके इस अध्ययन पर कितना खर्च होगा; और

(ग) इस खर्च को कौन वहन करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं । भारत स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजंसी ने हाल ही में सरकार को सूचना दी है कि सितम्बर, 1965 से पहले किन्हीं विशषज्ञों की सहायता प्राप्त करना उनके लिये संभव नहीं होगा । इन विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने में पहले हो चुकी देर को ध्यान में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेंसी को यह परामर्श दिया गया है कि सरकार को इन विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है । तथापि सरकार इस मामले पर विचार करने के लिये भारतीय विशेषज्ञों की एक छोटी सी समिति स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

कम तथा मध्यम आय-वर्ग गृह-निर्माण योजनाएं

3378. श्री अ० क० गोपालन : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय-विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कम तथा मध्यम आय-वर्ग गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत किराये पर दिये जाने के लिये बनाये गये और कितने प्रतिशत मकान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अलाट किये गये;

(ख) कितने डाक कर्मचारी कम तथा मध्यम आय-वर्गों के अन्तर्गत आते हैं ;

(ग) उक्त गृह-निर्माण योजनाओं के अधीन उनमें से कर्मचारियों को मकान किये गये हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि ये कर्मचारी मकानों की बहुत अधिक कमी महसूस करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क), (ख) और (ग) : विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा जब वह प्राप्त हो जायेगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) तीसरी योजना अवधि के दौरान डाक तार विभाग ने कर्मचारी क्वार्टरों के लगभग 4,150 यूनिटों का निर्माण किया है तथा चौथी योजना के दौरान लगभग 8,000 यूनिटों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

सरकारी कार्यालयों का स्थानान्तरण

3379. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से कुछ कार्यालयों को निकट के नगरों अथवा भारत के अन्य नगरों को स्थानान्तरित करके, दिल्ली के और अधिक विस्तार को बढ़ावा न देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे शीघ्र कार्यान्वित करने के रास्ते में क्या रुकावटें हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी, हां। दिल्ली से बाहर भेजे जाने वाले 16 प्रस्तावित कार्यालयों की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6008/66।]**

(ग) 13 कार्यालयों को फरीदाबाद भेजने का प्रस्ताव है। उस स्थान पर अभी तक इन कार्यालयों को भेजना संभव नहीं हो सका है क्योंकि वहां जो अभी तक कार्यालय वास बना है उसे आपात आवश्यकताओंकी पुर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को आवंटित कर दिया गया है। जब कभी यह वास खाली होगा अथवा आवंटन के लिए और अधिक वास तैयार हो जायेगा तो प्रश्नाधीन कार्यालयों को दिल्ली के बाहर भेज दिया जायेगा। वास्तव में इनमें से एक कार्यालय को अस्थाई तौर पर कार्यालय के उपयोग के लिये कुछ रिहायशी क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं तथा वह कार्यालय जाने की प्रक्रिया में है। पंजाब सरकार से अभी हाल ही में अनुरोध किया गया है कि शेष तीन कार्यालयों में से एक कार्यालय को राजधानी से बाहर भेज दिया जाये, किन्तु उन्होंने सूचित किया है कि फिलहाल ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं होगा। दो अन्य कार्यालयों के मामलों पर, कलकत्ता और शिमला में जहां कि कार्यालयों को भेजना प्रस्तावित था, समुचित कार्यालय तथा रिहायशी वास की कमी को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जा रहा है।

मैसूर में उद्योगों का विकास

3380. श्री लिंग रेड्डी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई; और

(ख) इसमें से जब तक बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर अलग अलग कितनी राशि खर्च की गई ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य क्षेत्र में बड़े तथा मध्यम उद्योगो, ग्रामोद्योगों एवं लघु उद्योगों के लिए कुल 1464 लाख रुपये की व्यय-व्यवस्था स्वीकृत की गई थी।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान (1961–66) निम्न धन राशि खर्च होने की सम्भावना है :—

	(लाख रुपये)
बड़े तथा मध्यम उद्योग	961.77
ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	389.85

एरनाकुलम में तपेदिक के रोगियों को अनुदान

3381. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में तपेदिक के कुल रोगी ऐसे हैं जिनके लिये अनुदान की राशि कई महीनों से मंजूर नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अनुदानों की राशि तुरन्त देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) और (ख) : केरल के एर्नाकुलम् जिले में 329 क्षय रोगी ऐसे थे जिन्हें यह रकम दी जानी थी। इनमें से 308 रोगियों को भुगतान हो चुका है। शेष रोगियों को भी भुगतान करने के लिये राज्य सरकार तुरन्त कदम उठा रही है।

नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान तथा हबीब बैंक

3382. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान तथा हबीब बैंक की सम्पत्ति के निपटारे तथा विनियोजन के लिये कोई विशेष नियम बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन नियमों तथा उन्हें लागू करने का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : भारत के लिये शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक को, जिसको नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान तथा हबीब बैंक की भारत में परिसम्पत्ति सौंपी गई है, कहा गया है कि वह :

(एक) न्यास दायित्वों तथा अन्य सभी दावों का पूरा पूरा भुगतान करें;

(दो) प्रत्येक निक्षेपक के मामले में 250 रुपये तक की राशि का भुगतान करें; तथा

(तीन) अप्रतिभूत दावेदारों (जिनमें 250 रुपये से भी अधिक दावों वाले निक्षेपक शामिल हैं) को नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान तथा हबीब बैंक से कुल देय राशि का क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत भुगतान करें।

उपर्युक्त सीमा तक भुगतान करने हेतु अभिरक्षक भारत में इन दो बैंकों की परिसम्पत्ति को वसूल करने के लिये कदम उठा रहा है।

क्षय रोग से पीड़ित औद्योगिक मजदूरों के लिये अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था

3383. **श्री प० कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल के विभिन्न जिला अस्पतालों में क्षय रोग से पीड़ित औद्योगिक मजदूरों के लिये कुल कितने बिस्तरों की व्यवस्था है ;

(ख) क्या यह सच है कि अस्पतालों में बिस्तरों की तथा सुविधाओं की कमी के कारण अनेक लोगों को क्षय रोग के वार्डों में दाखला नहीं मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केरल के जिला अस्पतालों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षयरोग से पीड़ित औद्योगिक कर्मचारियों के लिये 94 पलंग आरक्षित हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार है :—

	पलंग
1. क्षय रोग अस्पताल, पुलयनर्काटा, त्रिवेन्द्रम . .	51
2. के० वी० सेनेटोरियम, भुलुंकुन्नाथुकावू, त्रिचूर . .	37
3. क्षय रोग अस्पताल, परियरम, कन्नानूर जिला . .	6
योग .	

(ख) केरल में इस समय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने की प्रतीक्षा सूची में किसी भी रोगी का नाम नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कुरिची होमियोपैथी कालेज

3384. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के कोट्टयम में कुरिची स्थित होमियोपैथी कालेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल की है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक कालेज यूनियन

3385. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम स्थित आयुर्वेदिक कालेज की यूनियन को प्राधिकारियों द्वारा भंग कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मल्टी विटामिन की गोलियां

3386. श्री बसुमतारी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये 1 करोड़ मल्टी-विटामिन की गोलियां 2 मार्च, 1966 को पहुंच गई; और

(ख) उनका वितरण-कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) 1,10,44,500 मल्टी विटामिन गोलियों के 206 कांटन आदि भारतीय क्रिश्चिन संघ, नई दिल्ली के जरिये डेनिश इण्टर चर्च एड कमेटी, कोपेनहेगन से उपहार के रूप में प्राप्त किये गये थे। इस में से 98,78,000 गोलियां सूखे से प्रभावित निम्नलिखित राज्यों को प्रभावित क्षेत्रों की जनता के सुभद्य वर्गों जैसे बच्चों (0–5) वर्ष तथा दूध पिलाने वाली एवं गर्भवती माताओं में वितरण के लिये भेज दी गई है :—

1. महाराष्ट्र	14,68,000
2. गुजरात	14,88,500
3. मध्य प्रदेश	14,84,500
4. राजस्थान	14,64,300
5. मैसूर	14,94,000
6. आन्ध्र प्रदेश	14,79,000
7. उड़ीसा	10,00,000
	98,78,000

Irrigation and Power Potential of Maharashtra

3387. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether the Government of Maharashtra have sought an additional aid from Central Government to augment its irrigation and power capacity during the year 1966-67; and

(b) if so, the reaction of Government thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) No.

(b) Does not arise.

Assistance to Maharashtra

3388. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount allotted to Maharashtra State for the development of backward areas during the year 1965-66; and

(b) the manner in which the said amount was utilised by the State during above period?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) No separate allocation was made for the development of backward areas, either in 1965-66 or in any other year. Development of backward areas forms a part of the overall State Plan.

(b) Does not arise.

Assistance to Maharashtra

3389. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have granted any loan to the Government of Maharashtra during 1965-66 for strengthening their position in regard to financial resources; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारियों को क्वार्टर

3390. श्री लखमू भवानी : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सूचित कर दिया गया है कि भविष्य में उसके कर्मचारियों को क्वार्टर अलॉट नहीं किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) क्वार्टरों की अत्याधिक कमी को देखते हुए सब सरकारी उपक्रमों/समवायों की मामलों पर, जीन के कर्मचारियों को एफ० आर० 45–ख के अधीन स्टैंडर्ड रेंट लेकर जनरल पूल से क्वार्टर दिये जाते थे, पुन: विचार किया गया था। इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में इन संगठनों के कर्मचारियों को इस पूल से क्वार्टर अलॉट नहीं किये जायेंगे।

केरल सरकार के कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन

3391. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कमचारियों के लिये मंजूर की गई परिवार पेंशन की सुविधायें केरल राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी प्रदान की गई हैं ; और

(ख) यदि हां तो, केरल सरकार के कर्मचारियों पर लागू की गई योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी, 1964 से शुरू की गई परिवार पेंशन योजना केरल सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू कर दी गई है, लेकिन 7 वर्ष या इससे अधिक सेवा करने के बाद नौकरी करते हुए मरने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो परिवार पेंशन हाल ही में उदार बनाई गई थी वह अभी उन पर लागू नहीं की गई है।

(ख) केरल राज्य कमचारियों पर लागू परिवार पेंशन योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

(i) लागू होने की तारीख .	1 अप्रैल, 1964
(ii) पात्रता . .	ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार जिन्होंने नौकरी करते हुए मरने के समय तक एक साल की स्थायी या अस्थायी सेवा पूरी करली है और ऐसे सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के परिवार जो पेंशन ले रहे थे।
(iii) परिवार पेंशन की दरें .	कम से कम 20 रुपया प्रतिमास और अधिक से अधिक 150 रुपया प्रतिमास।
(iv) वह अवधि जब तक पेंशन मिल सकती है।	विधवा के लिए जीवन पर्यन्त या उसके पुनर्विवाह तक और अवयस्क बच्चों में से लड़कों के लिए 18 वर्ष की आयुतक तथा लड़कियों के लिए 21 वर्ष की आयु या उनके विवाह तक।
(v) उपदान से कटौती .	दो महीने का वेतन लकिन अधिक से अधिक 2000 रुपया।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सम्बन्ध में अध्ययन दल

3392. श्री वै० तेवर : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सम्बन्ध में अध्ययन दल द्वारा की गई कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं जो अब तक क्रियान्वित की जा चुकी है; और

(ख) कितनी सिफारिशें ऐसी हैं जो स्वीकार तो की जा चूकी हैं परन्तु अभी तक क्रियान्विती नहीं की गई तथा प्रत्येक मामले में विलम्ब होने के क्या कारण है?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 30।

(ख) अभी तक 52 सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं क्योंकि आदेशों को जारी करने से पूर्व संबंधित विभिन्न प्राधिकारियों से सहमति प्राप्त करने में समय की आवश्यकता है।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

3393. श्री लखमू भवानी : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में बनाए जा रहे कर्मचारियों के क्वार्टरों के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) वहां पर कितने सैक्टर बनाए जायेंगे ; और

(ग) सभी सैक्टर कब तक तैयार हो जायेंगे तथा सरकारी कर्मचारियों को अलाट कर दिये जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) और (ख) : स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार कालोनी में 13 सैक्टर होंगे जिनमें 13,234 क्वार्टर बनाने की योजना बनाई गयी है। उनमें से 7,828 तैयार हो चुके हैं, 3,045 बनाये जा रहे हैं तथा शेष 2,361 का बनाना अभी शुरू करना है।

(ग) यदि निधियां उपलब्ध हुई तो शेष क्वार्टरों को दो वर्ष में पूरा किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में उद्योगों का विकास

3394. श्री दे० शि० पाटिल :
श्री कांबले :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) इसमें से बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर पृथक अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) महाराष्ट्र राज्य की तीसरी योजना में, राज्य में उद्योगों के विकास के लिए 1467.85 लाख रुपये का प्रावधान है।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्भावित व्यय बड़े तथा मझोले उद्योगों पर 861.53 लाख तथा ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर 555.88 लाख रुपये है।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3395. श्री लिंग रेड्डी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मुख्यरूप से, राज्यों के कम विकसित क्षेत्रोंमें अधिक उत्पादन करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की ओर राज्य योजनाओं को मोड़ देकर पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने का प्रयत्न किया गया। पिछड़े क्षेत्रों में कतिपय केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के अलावा, उद्योगों, विशेषकर उपभोक्ता सामग्री तथा माल तैयार करने वाले उद्योगों को छितराने की भी नीति है। त्वरित विकास के लिए विशेष उपाय करने के लिए, विकास के चुने हुए संकेतकों के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण भी करना था।

Teh-Bazari Tax on Shoe-shine Boys

3396. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Teh-bazari tax for shoe-shine boys has been doubled in Delhi;

(b) whether they have submitted any representation to the effect that due to being hardpressed, they are unable to pay such a heavy tax and it should be withdrawn; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) *Area of Delhi Municipal Corporation :*

No Teh-bazari tax is being charged from the shoe-shine boys. A licence fee of Rs. 3·00 per annum is however, being charged from the shoe-shine boys since 1964 and this has not been increased.

Area of New Delhi Municipal Committee :

The shoe-shine boys were charged Teh-bazari with effect from 1st June, 1961 Rs. 5·00 per month by the New Delhi Municipal Committee. This rate was revised by the Committee *vide* its Resolution No. 105, dated the 20th December, 1963 at the following rates :—

(i) Rs. 10·00 per month for Cannaught Place and Janpath areas.

(ii) Rs. 6·00 per month for Gole Market, Lodhi Road and Babar Road areas.

(iii) Rs. 4·00 per month for other areas.

(b) Yes.

(c) On receipt of representations from the shoe-shine boys, the case was re-examined by the New Delhi Municipal Committee and it was decided to restore the original rate of Teh-bazari @Rs. 5·00 per month uniformly with retrospective effect instead of Rs. 10·00, Rs. 6·00 and Rs. 4·00 per month as previously decided.

Tax Evasion

3397. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1005 on the 11th March, 1965 and to the statement laid on the table in fulfilment of the assurance on the 6th September 1965 and state;

(a) the number of cases out of 4,61,477 in which tax was levied after having investigated the returns;

(b) the particulars of the taxes from which income accrued; and

(c) whether notices were issued for submitting returns of income in other cases even after February, 1965?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) 2,17,647 (upto 28-2-1966).

(b) Separate information in respect of the taxes realised from these cases is not maintained.

(c) Yes Sir.

फोर्ड फाउन्डेशन से सहायता

3398. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड फाउन्डेशन ने दो भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कलकत्ता महानगरी परियोजना संगठन के लिए 1.50 करोड़ रुपये की सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता महानगरी परियोजना संगठन के लिये कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) इसका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख): जी, हां।

वित्तीय वर्ष 1965-66 के दौरान फोर्ड फाउन्डेशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कलकत्ता महानगरी परियोजना संगठन के लिये निम्नलिखित अनुदान देने की स्वीकृति दी है :–

संस्था का नाम	अनुदान की राशी	प्रयोजन
1. दिल्ली विश्वविद्यालय .	243,000 डालर	भाषा-विज्ञान विभाग के विकास के लिये।
2. कलकत्ता विश्वविद्यालय .	351,000 डालर	कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, 1964 को क्रियान्वित करने में सहायता करने के लिये सलाहकारी तथा प्रशिक्षण सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. बड़ौदा का एम० एस० विश्वविद्यालय।	517,000 डालर	गृह-विज्ञान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम का समर्थन करना।
4. कलकत्ता महानगर परियोजना संगठन।	(एक) 960,000 डालर। (दो) 106,000 डालर।	संगठन की प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यों में सहायता करना।

(ग) कलकत्ता महानगर परियोजना संगठन के लिये अनुमोदित अनुदानों का उपयोग मुख्य रूप से विदेशी विशेषज्ञों तथा सलाहकारों की सेवाओं, कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के लिये विदेशी प्रशिक्षण अधिछात्रवृत्तियों, पुस्तकों और उपकरणों के आयात तथा परियोजना प्रशासनिक खर्च के लिये किया जायेगा।

दिल्ली में सरकारी अस्पताल

3399. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, विशेषकर ईर्विन और सफदरजंग अस्पताल में, औषधियों, इंजक्शनों आदि की निष्प्रभावी तिथियां (एक्सपायरी डेट) दर्शाने वाले रजिस्टर नहीं रखे जाते हैं जिस के परिणामस्वरूप निष्प्रभावी तिथियों के बाद भी उनका प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में एक सीमित अवधि तक चलने वाली औषधियों, इंजैक्शनों आदि के निष्प्रभावी होने की तिथियां दर्शाने वाले रजिस्टर रखे जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि निष्प्रभावी होने की तिथि के बाद उनका प्रयोग नहीं हो रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अंश पूंजी (ईक्विटी इन्वेस्टमेंट)

3400. श्री श्रीनारायण दास :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामंत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई पुनर्विलोकन किया गया है कि कर समंजन प्रमाणपत्रों, निजी आय के सभी स्तरों पर कर में कमी तथा निगम कर में कुछ राहत के रूप में दिये विभिन्न प्रोत्साहन से नई अंश पूंजी में धन लगाये जाने में कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार समय समय पर अपनाये गये विभिन्न वित्तीय उपायों का निरन्तर पुनर्विलोकन करती रहती है । फिर भी संक्षेप में यह बताना संभव नहीं है कि इन उपायों के कारण नई अंश पूंजी में धन लगाये जाने पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलोर के लिये कावेरी के जल का सयम्भरण

3401. श्री लिंग रेडडी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन मंत्री** 4 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी जल संभरण योजना को बंगलौर नगर पर लागू करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) लगाये गये अनुमान तथा अब तक किये गये काम का ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितना खर्च किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) (एक) पाईप आदि जैसी वस्तुएं खरीद ली गई हैं ।

(दो) जल शोधन कार्यों तथा मुख्य आकर्षण प्रणाली के निर्माण के लिये 400 एकड़ भूमि पहले ही अर्जन कर ली गयी है ।

(तीन) तकनीकी सलाहकारों अर्थात मेसर्स बिन्नी एण्ड पार्टनर्स लिमिटेड, को नियुक्त कर लिया गया है।

(ख) परियोजना के प्राक्कलनों का विवरण इस प्रकार है :—

कावेरी नदी से प्रति दिन 600 लाख गैलन साधित जल बंगलौर लाने के लिये	15 करोड़ रुपये
विद्यमान वितरण—प्रणाली का पुन : माडल तैयार करने के लिये .	4.5 करोड़ रुपये
नलों तथा मलप्रणालों का निर्माण और उपचार एककों को स्थापित करने के लिये	6.5 करोड़ रुपये
जोड़ .	26 करोड़ रुपये

31-12-65 तक किया गया खर्च इस प्रकार है :—

1963-64 . .	22.54 लाख रुपये
1964-65 . . .	80.82 लाख रुपये
1965-66 . . .	85.45 लाख रुपये

अब तक किया गया कार्य : बंगलौर के लिये जल-सम्भरण तथा स्वच्छता की एकी कृत योजना पर 26 करोड़ रुपये खच होने का अनुमान है। अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकारों (मेसर्स बिन्नी एण्ड पार्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड) द्वारा इस परि योजना का पुनर्विलोकन किया जा रहा है तथा आशा है कि उन के प्रतिवेदन के, जो जल्दी प्राप्त होने वाला है, आधार पर 1966-67 में विश्व भर से टेंडर मंगाये जायेंगे। परियोजना का पहला चरण 1971 तक पूरा हो जाने की योजना है। वर्तमान जल सम्भरण तथा मलप्रणाल प्रणाली को पहले चरण में प्रति दिन 600 लाख गैलन और दूसरे चरण में 1200 लाख गैलन तक बढ़ाई गई जल की मात्रा के लिये उपयुक्त बनाने के लिये पुनः माडल तयार किया जा रही है।

वितरण प्रणाली का पुनः माडल तैयार करने में प्रगति हो रही है ।

अतिरिक्त मल प्रणाल बिछाने का प्रश्न सलाहकारों के विचाराधीन है और नये कार्यों को, जैसे इन के बारे में सिफारिशें प्राप्त होती हैं हाथ में ले लिया जाता है। थोरेकडनाहाली में कर्मचारियों के लिये बस्ती का निर्माण तथा अन्य सहायक कार्य भी किये जा रहे है।

सिक्कों का तस्कर व्यापार

3402. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के तटवर्ती नगरों में कुछ व्यापारियों द्वारा भारतीय सिक्कों का बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार किये जाने के बारे में पता है जिनके लिये उनको ऊंचे दाम मिलते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस तट पर तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) कुछ समय पहले, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कुछ मामलों में इस सन्देह पर भारतीय सिक्के पकड़े कि वे चोरी-छिपे भारत से बाहर ले जाये जाने के लिये थे। तथापि इससे यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे सिक्कों को चोरी छिपे बड़े पैमाने पर भारत से बाहर ले जाने का संकेत मिलता है।

(ख) तटवर्ती क्षेत्रों के सभी सीमा-शुल्क अधिकारियों को सावधान कर दिया गया है और संदिग्ध व्यक्तियों और जहाजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

पश्चिमी घाट पर भूमि कटाव

3403. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पश्चिमी घाट पर होने वाले भूमि-कटाव की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) इस बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का केरल तथा अन्य स्थानों में क्या कार्य-वाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है। **[पस्तकालय नें रखा गया । देखिये] संख्या एल० टी० 6009/66]**

Halali Project

3404. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 416 on the 11th November, 1965 and state :

(a) whether Halali Project Report has since been received from the State Government; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Tawa Project in Madhya Pradesh

3405. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 111 on the 4th November, 1965 and state :

(a) the names of construction works completed so far under Tawa Multi-purpose Project in Madhya Pradesh; and

(b) the works not completed so far?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) Preliminary works such as Project roads and most of the buildings have been completed.

(b) Excavation of foundation; construction of masonry spillway; Earthen embankments on either flanks, Headworks for both canals and the two canal systems.

उत्तर प्रदेश का विकास

3406. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के विकास के लिये वास्तव में कितनी राशि नियत की गई और कितनी राशि उन्होंने खर्च की ; और

(ख) 1966-67 में उस राज्य को इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) वर्ष 1965-66 में उत्तर प्रदेश की राज्य विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में 120.79 करोड़ रुपये की धन राशि नियत की गई थी। वास्तव में कितनी धन राशि खर्च हुई इस का ब्यौरा तो राज्य सरकार द्वारा जून, 1966 के अन्त तक दिया जायगा।

(ख) यद्यपि सहायता के अन्तिम आंकड़े अभी तक राज्य सरकार को नहीं बताये गये हैं, तथापि राज्य की योजना के लिये 79.50 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम

3407. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की ग्रामीण उद्योग योजना समिति द्वारा प्रायोजित ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिए 1965-66 में उत्तर प्रदेश का कौनसा क्षेत्र चुना गया था ;

(ख) क्षेत्र को चुनने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : एक विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6010/66]**

Development of Eastern U.P.

3408. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total amount given for the development of Deoria, Ghazipur, Azamgarh and Jaunpur districts of Uttar Pradesh as recommended by the Patel Commission from 1st April, 1964 to 31st March, 1965;

(b) whether it is a fact that the entire amount of grant was not utilised during that period;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, the particulars of the work executed in those districts?

The Minister of Planning and Social Welfare(Shri Asoka Mehta) : (a) & (b). In 1964-65, against the approved Plan outlay of Rs. 10·67 crores, the anticipated outlay has been reported at Rs. 10·90 crores.

(c) Does not arise.

(d) The detailed information will be placed on the Table of the House when furnished by the State Government.

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

3409. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश सरकार को बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये कितनी तथा किस रूप में केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ख) यह सहायता किन योजनाओं के लिये दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार को 1965-66 के दौरान उन के बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 147.50 लाख रुपये स्वीकार किए गए हैं।

(ख) यह केन्द्रीय सहायता किसी विशेष स्कीम के लिये नहीं अपितु वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा आरंभ किय गये बाढ़ नियन्त्रण और जल विकास कार्यों के कार्यक्रम के लिये है जिस में तट बन्धों के निर्माण, जलमग्न ग्रामों को ऊंचा उठाने, नगरों की सुरक्षा, नदी नियन्त्रण कार्यों आदि की बहुत सी स्कीमें सम्मिलित हैं।

मुन्दडा की ब्रिटेन में सम्पत्ति के बारे में जांच

3410. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री मुन्दड़ा की ब्रिटेन में सम्पत्ति के बारे में जांच सम्बन्धी 11 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री हरिदास मुन्दड़ा की लन्दन में 10 लाख पौण्ड की सम्पत्ति है, जिसके बारे में समवाय विधि प्रशासन तथा प्रवर्त्तन शाखा ने स्काटलैण्ड यार्ड की सहायता से जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क), (ख) और (ग) : मामले की अभी भी जांच-पड़ताल की जा रही है और इस समय इस मामले के बारे में ब्यौरे देना लोक-हित में नहीं होगा।

नदियों के पानी का प्रयोग

3411. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के बीच नदियों के पानी के इस्तेमाल के सम्बन्ध में एक करार हुआ है ;

(ख) इस करार की क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या आगरा नहर से निकलने वाली उन नहरों के, जो पंजाब के क्षेत्रों को पानी देती है, वितरण सम्बन्धी प्रश्न को हल कर लिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि नियमित परामर्श तथा विवादों के तुरन्त निबटारे के लिये उन्हें एक मशीनरी स्थापित करनी चाहिये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : पंजाब और राजस्थान के बीच रावी-व्यास के पानी को बांटने और पंजाब व राजस्थान के बीच कृष्णावती तथा साहिदी के पानी के प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुख्य फैसले किये गये हैं :—

(1) वितरण योग्य रावी और व्यास के कुल पानी का 35 प्रतिशत भाग राजस्थान को 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले आगामी वर्ष की खरीफ और रब्बी दोनों ऋतुओं के लिये दिया जाएगा।

(2) राजस्थान में कृष्णावती बांध पर जमा होने वाले पानी को राजस्थान और पंजाब के बीच आधा आधा बाटना चाहिये।

(3) राजस्थान में साहिबी बांध में सिंचाई के लिये जमा हुए पानी को राजस्थान और पंजाब के बीच 40:60 के अनुपात से बांटा जाएगा।

(4) राजस्थान को मार्च, 1970 तक रबी ऋतु के दौरान, रोपड़ और हरिके के बीच सतलज नदी में पुनरुत्पादन सप्लाई का 50 क्यूसेक पानी दिया जाना चाहिये।

(ग) यह फैसला किया गया था कि इस प्रश्न पर एक समिति द्वारा तकनीकी स्तर पर और जांच की जाए।

(घ) जी, नहीं।

चौथी योजना के दौरान तापीय बिजली का उत्पादन

3412. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना की अवधि में तापीय बिजली-उत्पादन के माध्यम से 75 लाख किलोवाट विद्युत् शक्ति प्राप्त करने का है ;

(ख) क्या तापीय बिजली घरों के डिज़ाइन तैयार करने के मामलों में यह आशा की गई थी कि भारत आत्म निर्भर बन जायेगा ; और

(ग) क्या अफ्रीका के विकासशील देशों को अपनी जल-विद्युत् शक्ति का विकास करने हेतु सहायता देने के लिये भारत ने कहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) चतुर्थ योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, परिकल्पित अस्थाई आंकड़ों के आधार पर चतुर्थ योजना में लगभग 75 लाख किलोवाट ताप बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ा देने की सम्भावना है।

(ख) ताप बिजली घरों के डिजाइन तैयार करने में आत्म-निर्भरता लाने के लिये हर कोशिश की जा रही है।

(ग) भारत सरकार किस तरीके से अफ्रीका तथा एशिया के देशों को उनके जल-विद्युत् संसाधनों का विकास करने के लिये सहायता दे सकती है इस पर विचार किया जा रहा है।

सिंचाई क्षमता का उपयोग

3413. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सिंचाई विभाग के बारे में एक सर्वेक्षण दल की टिप्पणियों की ओर ध्यान दिया है, जिन में मध्यम आकार वाला तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के क्षे ों में सिंचाई वाले जल का उपयोग करने के बारे में हस्तक्षेप करने वाले किसानों को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिये कुछ उपयुक्त प्रशासनिक अथवा वैधानिक कार्यवाही करने की आश्यकता पर बल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम 1954 के संशोधन के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान को सहायता

3414. **श्री धलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66 में राजस्थान राज्य को सहायता कम दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वचन दी गई राशि देकर कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) तथा (ख): भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने राजस्थान राज्य को 1965-66 के लिये अस्थायी तौर पर सहायता दी है। सहायता की राशि में कमी का अनुमान तो जून, 1966 में राज्य सरकार द्वारा वास्तव में खर्च की गई धन राशि का ब्यौरा देने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

राजस्थान म मकान बनाने के लिये ऋण

3415. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने के लिये ऋण लेने के हेतु राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से 20 नवम्बर, 1965 से अब तक की अवधि में कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उनमें से कितने आवेदनपत्र सरकार ने मंजूर किये ; और

(ग) उक्त अवधि में उनको कुल कितना ऋण दिया गया ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 3।

(ख) त्रुटियों अथवा छूटों को ठीक करने के लिए बाकी के दो आवेदन पत्रों को प्रवर्ती विभागों (स्पोन्सरिंग डिपार्टमेन्टस्) के पास वापस भेज दिया गया।

(ग) 19,300 रुपये।

राजस्थान में गन्दी बस्तियों को हटाना

3416. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये 1965-66 में वास्तव में कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) 1966-67 में राजस्थान को इस काम के लिये कितनी राशि देने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) राजस्थान में 1965-66 के लिए गंदी बस्ती सफ़ाई योजना के अन्तर्गत 2 लाख रुपये की राशि (1.50 लाख रुपये केन्द्रीय भाग के रूप में तथा 0·50 लाख रुपये राज्य के भाग के रूप में) की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत किसी खर्चे की सूचना राज्य सरकार ने नहीं दी है। परिणामस्वरूप उन्हें केन्द्रीय सहायता नहीं दी गयी है।

(ख) राजस्थान सरकार ने 1966-67 के वर्ष के लिए किसी व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

राजस्थान के लिये अनुसंधान योजानाएं

3417. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड ने वर्ष 1966–67 में राजस्थान के लिये कोई अनुसन्धान योजनाओं की मंजूरी दी है अथवा मंजूरी देने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : राजस्थान में नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों से सम्बद्ध गवेषण की कोई स्कीम स्वीकार नहीं की गई है और न ही 1966-67 के दौरान गवेषणा की किसी स्कीम को स्वीकार करने का विचार है। तथापि 1966-67 के दौरान बिजली सम्बन्धी मौलिक तथा आधारभूत गवेषणा स्कीम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को निम्नलिखित समस्याएं अलाट करने का विचार है :–

(1) दूषित तथा औद्योगिक वातावरणों में इन्सुलेटरों का गन्दा हो जाना।

(2) पारेषण पथों के लिये खम्बों के अभिकल्प।

(3) ऊर्ध्ववर्ती तारों पर तडित प्रभाव, और

(4) ऊर्ध्ववर्ती तारों की स्पंदन समस्याएं।

उपर्युक्त अध्ययनों के लिये 1966–67 वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के लिये लगभग 30,000 रुपये की राशि निर्धारित की जा रही है।

क्षय रोग नाशक औषधियां

3418. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय क्षय-रोग नाशक औषधियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा का विकास

3419. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा सरकार को राज्य के विकास के लिये वास्तव में कितनी राशि नियत की गई और कितनी राशि उन्होंने खर्च की ; और

(ख) वर्ष 1966-67 में उस राज्य को इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि नियत की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा में राज्य विकास परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता के रुप में 42.42 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है। वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई इस का ब्यौरा तो जून 1966 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा सूचना देने के उपरान्त ज्ञात होगा।

(ख) यद्यपि राज्य सरकार की अभी तक सहायता के अन्तिम आंकड़े नहीं बताये गये हैं, तथापि राज्य योजना के लिये 24.70 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

3420. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं ;

(ख) 1966-67 में उड़ीसा में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है ; और

(ग) इस काम के लिये उपरोक्त अवधि में उड़ीसा सरकार के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 239।

(ख) 65, राज्य सरकार से यह आशा की जाती थी कि तीसरी योजना के अन्त तक वह प्रत्येक खंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेगी। ये 65 केन्द्र वे हैं जिन्हें व इस काल में स्थापित नहीं कर सके।

उड़ीसा में ग्रामीण गृह-निर्माण योजना

3421. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार ने 1965-66 में वस्तुतः कितनी राशि खर्च की ; और

(ख) इस कार्य के लिये उड़ीसा को 1966-67 में कितनी राशि देने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) उड़ीसा में ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 1965-66 की पहली तीन तिमाहियों का वास्तविक खर्चा 2.88 लाख रुपये था। अन्तिम तिमाही के दौरान अनुमानित खर्चा 4.12 लाख रुपये है।

(ख) 1.60 लाख रुपये।

अफीम का निर्यात मूल्य

3422. श्री बादशाह गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय अफीम का प्रति तोला निर्यात-मूल्य क्या है और इस का प्रति तोला मूल्य क्रमशः सिंगापुर, अदन, हांगकांग और बहरीन में क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : इस समय भारत से जिस कीमत पर अफीम निर्यात की जाती है वह एक समान है चाहे वह किसी भी देश को निर्यात की जाय। यह कीमत 69 पैसे प्रति तोला बैठती है। भारतीय अफीम कानूनी तौर पर सिंगापुर, अदन, हांगकांग और बहरीन को निर्यात नहीं की जाती है।

विदेशों में वैध मुद्रा के रूप में भारतीय सिक्के

3423. श्री बादशाह गुप्त : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन देशों में भारतीय सिक्के वैध मुद्रा माने जाते हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : भूटान में भारतीय सिक्के वैध मुद्रा हैं। नेपाल के कुछ भागों में भी भारतीय मुद्रा पैसे के लेन देन में प्रयोग में आती है, परन्तु नेपाल सरकार ने नेपाल मुद्रा परिचालन विस्तार अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय मुद्रा के स्थान पर नेपाली मुद्रा चलाने के लिये कार्यवाही की है। (नेपाल तथा भारत के बीच विनियमन नियंत्रण न होने के कारण भारत तथा नेपाल के बीच भारतीय सिक्के अबाध रुप से चलते हैं।)

भारतीय सिक्के सिक्कम में भी वैध मुद्रा है। सिक्कम के भारत के साथ विशेष संधि-संबंध हैं।

कम आय आवास वर्ग

3424. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कम आय आवास वर्ग के लोगों को मकान बनाने की सस्ती सामग्री जैसे मशीनों से बनी हुई सस्ती ईट आदि देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में यांत्रिक ईंट संयंत्रों के स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मद्रास तथा श्रीनगर के निकट दो यांत्रिक ईंट संयंत्र कार्य कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा स्थापित किये गये एक और संयंत्र ने अभी हाल ही में कलकत्ता के निकट पलता में उत्पादन आरंभ किया है। इस मंत्रालय का उपक्रम, राष्ट्रीय (भवन) निर्माण निगम भी, दिल्ली के निकट एक संयंत्र स्थापित कर रहा है। सामग्री के रूप में पलाई-ऐश, रेत और चूना के प्रयोग से सल्यूलर कांक्रीट ब्लाक्स बनाने के लिए पोलैंड की सहायता से बन्देल (पश्चिमी बंगाल) तथा एन्नोर (मद्रास) में फैक्टरियां स्थापित करने का निर्णय भी किया गया है।

सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा

3425. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 729 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने के सभी मामलों पर उचित कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : जी हां।

सरकारी इमारतों का गिराया जाना

3426. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री लहटन चौधरी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल होने पर भी दिल्ली में बहुत सी सरकारी इमारतें गिराई जा रही हैं ; हालांकि के वे बहुत अच्छी हालत में हैं :

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी सरकारी इमारतें गिराई जा रही हैं ; और

(ग) प्रत्येक इमारत किस कारण गिराई जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। केवल वे पुरानी इमारतें तोड़ी जा रही हैं जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है अथवा दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार पुनर्विकास के मार्ग में आती हैं।

(ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6011/66]**

दुर्गापुर तथा बन्देल तापीय बिजली घर

3427. **श्री महम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानन सेन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर तथा बन्देल तापीय बिजली घरों के अन्तर्गत तापीय बिजली के उत्पादन तथा वितरण कार्य पर अलग अलग कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ख) वृहद् कलकत्ता क्षेत्र में आशानुकूल बिजली की मांग न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सचदेव समिति के प्रतिवेदन में जितनी मांग के बारे में पूर्वानुमान लगाया गया था उसमें से कितनी मांग नहीं आई है और उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) बन्देल ताप बिजली घर के अधीन उत्पादन कार्यों पर अभी तक लगभग 27 करोड़ रुपये खच हो चुके हैं और पारेषण तथा वितरण पर हुए लगभग 5 करोड़ रुपये के खर्च को मिला कर कुल 32 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। दुर्गापुर प्राजेक्ट लि० के कोक ओवन पावर प्लांट के संयंत्र, मशीनों और भवन पर 18.91 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं और पारेषण और वितरण कार्यों पर 8.9 करोड़ रुपये।

(ख) तथा (ग) : बृहत्तर कलकत्ता क्षेत्रों में बिजली भार के विकास में कमी का मुख्य कारण यह है कि आयात पर सख्त पाबन्दियों और विदेशी मुद्रा की बिकट स्थिति के कारण इस क्षत्र के उद्योगों और अन्य खपतकर्ता इकाइयों का विकास धीमा पड़ गया। जिन बड़े बड़े खपत कर्ताओं की मांगे सचदेव समिति की आशायों के अनुसार नहीं बढ़ी वे ये हैं——(1) ए० सी० सी० विकर्स, दुर्गापुर, (2) माइनिंग मशीनरी प्राजेक्ट, दुर्गापुर, (3) बेनानी मेटल, आप्टिकल ग्लास, क्रेब, दुर्गापुर, (4) फर्टिलाइज़र प्लांट, दुर्गापुर, (5) एल्लाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर, (6) रेलवे ट्रैक्शन, (7) डीप ट्यूबवेल इरिगेशन, (8) फरक्का बराज, और (9) कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन।

दुर्गापुर और बन्देल तापीय बिजली घर

3428. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मांग न होने के कारण पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तापीय बिजली घर तथा बुन्देल तापीय बिजली घर में काम नहीं हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस कारणों से नई बिजली योजनाएं मंजूर करवाई है,

(ग) दुर्गापुर तथा बुन्देल दोनों बिजली घरों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उनसे वास्तव में कितनी बिजली सप्लाई की जाती है ; और

(घ) उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार बिजली की मांग में कमी हो सकने के बारे में पहले अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सका था ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (घ) : दुर्गापुर प्राजेक्ट लि० का ताप बिजली घर और पश्चिम बंगाल सरकार का बंदेल ताप बिजली घर बिजली की मांग के अभाव के कारण बन्द नहीं पड़े हैं। ये दोनों बिजली घर बृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र को बिजली दे रहे समाकलित बिजली ग्रिड को अपना अंशदान दे रहे हैं। दुर्गापुर बिजली घर की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 210 मैगावाट है और बिक्री योग्य क्षमता 160 मैगावाट है जब कि इस केन्द्र पर 156 मगावाट की मांग है। बन्देल बिजली घर की प्रतिष्ठापित क्षमता इस समय 175 मैगावाट है और बिक्री योग्य क्षमता 158 मैगावाट है जब कि इस पर 122 मैगावाट की मांग है। यह आशा नहीं रखी जानी चाहिये कि ज्योंहि कोई बड़ा ताप बिजली घर चालू हो उस पर उतनी ही बिजली की मांग भी आ जाए जितनी कि उस की क्षमता। यह विचार किया जाता है कि औद्योगिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि से बन्देल और दुर्गापुर दोनों के ताप बिजली घरों की बिजली पूर्णत: खप जाएगी। यह वांछनीय है कि नये उत्पादन यूनिटों का काफी पहले से आयोजन किया जाए ताकि ज्योंहि विद्यमान यूनिटों की बिजली पूर्णत: खपने लगे, इन नये यूनिटों को चालू किया जा सके। इस के अतिरिक्त, किसी बड़े ताप बिजली घर को चालू करने में कम से कम 4 से 5 वर्ष लगते हैं। इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार के लिये यह उपयुक्त था कि वे दुर्गापुर परियोजना ने 6ठे यूनिट (150 मैगावाट) के विस्तार के लिये और 480 मैगावाट क्षमता वाली सांतलदीह ताप बिजली परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करें। मांग की वृद्धि में जो थोड़ी कमी रह गई है इस का मुख्य कारण यह है कि आयात पर सख्त पाबन्दियों और विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति से इस क्षेत्र के उद्योगों और अन्य खपत इकाइयों का विकास धीमा पड़ गया है।

जनांकिकीय समस्याओं सम्बन्धी परिषद्

3429. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनांकिकीय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई विशेष परिषद् स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) एक जनांकिकीय परामर्श समिति का गठन किया गया है।

(ख) सर्व प्रथम इस समिति का गठन 2 अप्रैल, 1959 को किया गया था और फिर 28 फरवरी, 1962 तथा 27 जनवरी, 1966 को उस का पुन: गठन किया गया था। वर्तमान समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6012/66।]**

विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल किये गये (सेकन्ड-हैंन्ड) उपकरण सम्बन्धी समिति

3430. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित विकासशील देशों के लिए इस्तेमाल किये गये उपकरण सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की ओर योजना आयोग का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : विकासशील देशों के लिए सैकिण्ड हण्ड उपकरण सम्बन्धी विशषज्ञ दल के प्रतिवेदन की एक प्रति योजना आयोग ने देखी है। प्रतिवदन के मख्य निर्णय तथा सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

(1) उन्नत औद्योगिक देशों में प्रति वर्ष, विकासशील देशों के इस्तेमाल के लिए क्षमता वाला सेकिण्ड हैण्ड उपकरण तैयार किया जाता है। विकासशील देशों को सैकिण्ड हण्ड उपकरण की उपलब्धि और स्त्रोत की कोई जानकारी नहीं है।

(2) यद्यपि सकिण्ड हैण्ड उपकरणों का चुनाव, लागत और लाभों की जांच कर सावधानी-पूर्वक किया जाना है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विकासशील देशों में कतिपय उत्पादन कार्यक्रमों के लिए सकिण्ड हैण्ड उपकरणों का प्रयोग लाभ कर होगा। अत: विकासशील देशों की हितों की रक्षा के लिए ठीक टैक्नोलोजी तथा उपकरण का चनाव करने मे अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

(3) विकासशील देशों के सैकिण्ड हैण्ड उपकरण की उपलब्धि और स्त्रोत तथा उन क्षेत्रों जिनमें सकिण्ड हैण्ड उपकरण लाभप्रद तरीके से इस्तेमाल किये जा सकते हैं के सम्बन्ध में सूचना का संग्रह करने और प्रचार करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। जो विशेष नियंत्रण नये उपकरणों के निर्यात के सम्बन्ध में नहीं हैं वे सैकिण्ड हण्ड उपकरण के आयात के बारे में भी नहीं होने चाहिए।

(4) विकसित देशों को भी चाहिए कि वे सैकिण्ड हैण्ड उपकरण विशेषकर पूरे संयंत्रों की उपलब्धि के बारे में सूचना के संग्रह तथा प्रचार की भी व्यवस्था करें, ताकि विकासशील देशों के इच्छुक खरीददारों को उपयुक्त उपकरणों का पता लगाने में आसानी हो। सहायता कार्यक्रम की सीमा का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि उसमें सैकिण्ड हैण्ड उपकरण के किफायतसारी उपयोग को शामिल तथा बढ़ाया जा सके और विकसित देशों को चाहिए कि वे इस प्रकार के उपकरण के लिए सरकारी निर्यात ऋण बीमा उपलब्ध करें।

(5) संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह उद्योग क्षेत्रों के अनुसार और उपकरण की किस्म के अनुसार सैकिण्ड हैण्ड उपकरण की उपयुक्तता का अतिरिक्त अध्ययन करे और उन्नत देशों से सैकिण्ड हैण्ड उपकरण के चुनाव तथा खरीद के बारे में, विकासशील देशों के निवेदन पर अधिक तकनीकी सहायता प्रदान करे।

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

नोटों की गड्डियों में नोटों की कमी

3431. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बड़े :

श्री जेधे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित भारत के रिजर्व बैंक को, विभिन्न बैंकों, यथा सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा लायड्स बैंक और दिल्ली की अन्य जनता से नोटों की गड्डियों में जिनमें प्रत्येक में एक सौ नोट होते हैं और जिन्हे नई दिल्ली स्थित भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, कमी होने की अनेक रिपोर्टें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1966 से 28 फरवरी, 1966 तक की अवधि में इस प्रकार के कितने मामले हुए हैं ;

(ग) प्रत्येक मामले में कितने और कितने रुपये वाले नोट कम पाये गये ;

(घ) इन कमियों को कैसे पूरा किया गया ;

(ङ) कितने मामलों में (धनराशि सहित) कमियां पूरी नहीं की गई और उसके क्या कारण थे;

(च) भविष्य में इस प्रकार नोटों की गड्डियों में होने वाली कमी के मामलों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(छ) क्या ये सभी मामले जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को सौंपे गये थे और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : जनवरी, 1966 से 28 फरवरी, 1966 तक की अवधि में तीन मामलों की, जिन में सौ सौ रुपये के 15 नोट (आठ एक गड्डी में तथा 7 दूसरी गड्डी में) और दस रुपये का एक नोट एक गड्डी में कम पाये जाने की सूचना मिली है। ये नोट नई दिल्ली स्थित भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये थे।

(घ) से (ङ) : दो मामलों में कमी की सूचना दो तथा पांच दिनों के बाद दी गई थी और इस कारण से बैंक कमी की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सका। तीसरे मामले में, जिस में सौ सौ रुपये के आठ नोट कम पाये गये थे, यह नोट संबद्ध कर्मचारी से प्राप्त किये गये, जिसे गड्डियों की जांच के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने का जिम्मेदार पाया गया।

(च) से (छ) : नोटों की प्राप्ति, भुगतान आदि की रिजर्व बैंक की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि उनकी विभिन्न प्रक्रमों में परीक्षा होती है और यह ज्ञात हुआ है कि यह प्रक्रिया पर्याप्त प्रभावी है। बैंक के विनियमों में यह भी उपबन्ध है कि जब कभी आवश्यक हो ऐसे मामलों की शिकायत पुलिस अधिकारियों को की जाये, जिन से बैंक को नुकसान होता है। उपरोक्त विशेष मामलों में यह आवश्यक नहीं समझा गया कि पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट की जाये, क्योंकि :

(1) दो मामलों में बैंक ने कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की थी, और

(2) तीसरे मामले में संबद्ध कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई तथा कमी की रकम उस के पास से प्राप्त की गई।

Opium Smuggling

3432. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 4½ maunds of opium was recovered from smugglers near Khatkarbandi, Rajasthan on the 27th December, 1965; and

(b) If if so, the action being taken in the matter.

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) and (b). No seizure of 4½ maunds of opium was made on 27th December, 1965 near Khatkarbandi, Rajasthan. However, 151·350 kgs. of opium in all, was seized at two different places near Bundi town, Rajasthan, on the 28th September, 1965. The accused in both the cases are being prosecuted in a court of law at Bundi town.

दिल्ली में चेचक उन्मूलन योजना

3433. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायोगिक चेचक उन्मूलन कार्यक्रम लागू किये जाने के बाद से अब तक कितने लोगों को जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, टीके लगाये गये हैं ;

(ख) आयु के अनुसार टीके लगवाने अथवा दुबारा टीके लगवाने के बाद बालपक्षाघात (पोलियो), मस्तिष्क शोथ (एनसफैलाइटिस), तथा अन्य रोगों से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई अथवा रोग-ग्रस्त हुए ;

(ग) क्या यह सच है कि यह आवश्यक नहीं है कि टीका लगाने से चेचक से उन्मुक्ति मिल जाती है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि मस्तिष्क शोथ, जठर, आंत्र शोथ (टैस्ट्रो-एन्टराइटिस), काली खांसी, डिपथीरिया, पायोरिथारिस, टान्सिलों का बढ़ना, प्रदाह ज्वर, अन्धापन तथा अन्य कई रोगों का कारण टीका है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) (i) 6,92,966 व्यक्तियों को जिस में बच्चे भी शामिल हैं, प्राथमिक टीके लगाये गये हैं।

(ii) 60,35,807 व्यक्तियों को दुबारा टीके लगाये गये हैं। चूंकि हो सकता है की इस अवधि में एक व्यक्ति को एक से अधिक बार टीका लगा हो, इस लिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वास्तव में कितने व्यक्तियों को टीके लगाये गये।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

चीन के उपभोक्ता माल का भारत में चोरी छिपे लाया जाना

3434. श्री लक्ष्मू भवानी :
श्री वाडीवा :
श्रीमती श्यामकुमारी देवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नैपाल के रास्ते चीन की बहुत सी उपभोक्ता वस्तुएं चोरी छिपे भारत में लाई जा रही हैं और भारत में तुलनात्मक दृष्टि से सस्ते दामों में बेची जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) मुख्यतः नेपाल जाने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग का कुछ चीनी माल चोरी-छिपे लाया जाता है। परन्तु जहा तक सरकार को पता है, ऐसा बहुत छोटे पैमाने पर होता है।

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के लिये सावधान कर दिया गया है।

दानेदार (क्रिस्टल) चीनी पर उत्पादन शुल्क

3435. **श्री मौर्य :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानेदार चीनी पर उत्पादन-शुल्क बढ़ाये जाने के विरोध में सरकार को चीनी मिल संस्था से कोई विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के विरोध में क्या कारण बताये गये हैं ; और

(ग) क्या चीनी पर से नियंत्रण हटा लेने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : निम्नलिखित मुख्य कारण बताये जाते हैं :—

(i) दानेदार चीनी पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने पहले ही भारी कर लगाये हुए है, और इसलिये चीनी पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि से उद्योग की स्थिति और बिगड़ी जायगी।

(ii) चीनी पर से नियन्त्रण हटा लेने पर बढ़ा हुआ उत्पादन-शुल्क बाजार नहीं संभाल सकेगा और उस का बोझ मिलों पर पड़ेगा, जिससे चीनी के उपभोग के लिए बिकट स्थिति पैदा हो जायगी तथा उद्योग की सुनियोजित प्रगति और वृद्धि रुक जायगी।

(iii) कर में वृद्धि से, दानेदार चीनी और खंडसरी के बीच वर्तमान कर-विषमता अधिक बढ़ जायगी और फलतः चीनी के उत्पादन को हानि पहुंचेगी।

सिगारों के बनाने पर उत्पादन शुल्क

3436. **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री मौर्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन-शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि किये जाने के बारे में सरकार को सिगार बनाने वाले उद्योग की ओर से कोई विरोध पत्र मिला है ; और

(ख) क्या इसका भारत से सिगार के निर्यात पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। उत्पादन शुल्क लगने से सिगारों के निर्यात व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बंध-पत्र पर (अर्थात् उत्पादन शुल्क चुकाये बिना) सिगार और चुरुट को भारत से निर्यात करने की अनुमति देने की व्यवस्था है अथवा यह विकल्प भी है कि यदि उत्पादन-शुल्क चुकाया गया हो तो निर्यात करने पर, उसकी वापसी की मांग की जा सकती है। निर्यात किये गये सिगार और चुरुट में प्रयुक्त तम्बाकू पर चुकाये गये उत्पादन शुल्क की वापसी की मांग करना भी सम्भव है।

रेडियो सीलोन से विज्ञापन

3437. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साध्यों द्वारा 1964 और 1965 में रेडियो सीलोन से व्यापारिक विज्ञापनों पर क्रमशः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ख) ऐसे वाणिज्यिक विज्ञापनों पर खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1964 . 2.24 लाख रुपये।

1965 . 3.89 लाख रुपये।

(ख) निर्यात को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुसार ही यह विदेशी मुद्रा दी गयी है। सरकार इस समय और अधिक प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझती।

दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

3438. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बड़े :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में 1965–66 की शरद ऋतु में बहुत सी झुग्गियों और झोंपडियों को गिराया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परिवारों को अन्य आवास स्थान दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि झुग्गियों तथा झोंपड़ियों के इस प्रकार गिराये जाने के कारण इन परिवारों को खुले स्थानों पर पड़े रहना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो झुग्गियों तथा झोंपड़ियों को इस तरह गिराने के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत नवम्बर तथा 15 दिसम्बर तक के दौरान सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि से गैर कानूनी तौर पर बैठने वाले 2,324 परिवारों को हटाया गया। इनमें से 1,249 पात्र परिवारों को वैकल्पिक वास दिया गया, शेष परिवार इसके लिए पात्र नहीं थे।

(ग) और (घ) : जी नहीं। झुग्गी निवासियों को कठिनाई से बचाने के लिए 16 दिसम्बर 1965 से 20 फ़रवरी 1966 तक गैर कानूनी तौर पर बठने वालों को हटाना स्थगित कर दिया गया था।

झुग्गियों का गिराया जाना

3439. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरिय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राजधानी में कितनी झुग्गियां तथा झोंपड़ियां गिराई गई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी परिवारों को अन्य आवासस्थान दे दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इन सभी परिवारों को अन्य आवासस्थान दे दिया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : 1963, 1964 तथा 1965 के दौरान झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत लगभग 25,100 गैर कानूनी तौर पर बैठने वाले परिवारों को सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर से हटाया गया। इनमें से लगभग 18,450 परिवारों को वैकल्पिक वास दिया गया। शेष 6,650 परिवार वैकल्पिक वास के पात्र नहीं थे।

आन्ध्र प्रदेश को दुर्भिक्ष सहायता कार्यों के लिये सहायता

3440. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दुर्भिक्ष सहायता कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता मांगी है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) 2.65 करोड़ रुपये।

(ग) दुर्भिक्ष की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय अधिकारियों के एक दल ने उस राज्य का दौरा किया था। उस दल की सिफारिशों के आधार पर इस मामले की जांच की जा रही है।

भाखड़ा बांध

3441. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पंजाब के सिंचाई मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि गाद जमा हो जाने के कारण भाखड़ा बांध की अनुमानित अवधि अब 390 वर्ष होगी, न कि 585 वर्ष जिसकी पहले योजना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जलाशय में गाद भरने की गति को कम करने के लिये गोबिन्दसागर के वाह क्षेत्र में निम्नलिखित भू संरक्षण उपाय अपनाए जा रहे हैं :—

(1) "नोटर्स" की स्वीकृति पर अर्थात् कृषि के लिये नई भूमि को फोड़ने पर पाबन्दी ।

(2) जहां आवश्यक हो वर्तमान कृषि भूमि को सीढ़ीदार बनाना और उन का कटूरन्धन करना ।

(3) वाह क्षेत्रों में से बकरियों को निकाल देना और मवेशियों की संख्या को कम करना ।

(4) कुछ चरागाहों को बन्द करना ।

(5) बन लगाना तथा वर्तमान बनों की सुरक्षा करना ।

(6) सतलज नदी तथा इस की उप-नदियों पर रोक बांधों तथा अन्य इन्जीनियरी कार्यों का निर्माण ।

क्षय रोग के उपचार के लिये घटियां किस्म की गोलियां

3442. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1966 में दिल्ली की एक फर्म द्वारा सप्लाई की गई क्षय रोग के उपचार के प्रयोग में आने वाली गोलियों को स्वास्थ्य सेवा के उपर निदेशक ने घटिया किस्म का बताया था; और

(ख) यदि हां, तो उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : स्वास्थ्य सेवा (इ० एस० आई), मद्रास के उपनिदेशक से औषध नियंत्रक, मद्रास को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि क्षय रोग के उपचार के प्रयोग में आनेवाली पी० ए० एस की गोलियां, जो कि दिल्ली की एक फर्म द्वारा सप्लाई की गई हैं, निर्धारित प्रकार की नहीं हैं । इसके बाद औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के संगत उपबन्धों के अधीन लगभग 1,17,500 पी० ए० एस० की गोलियां जो उस फर्म द्वारा सप्लाई की गई थी, उस क्षेत्र के औषध अधीक्षक ने इ० एस० आई० हस्पताल, मद्रास से अपने कब्जे में कर ली । पी० ए० एस० की गोलियों के पकड़े गये स्टाकों के नमूने परीक्षण के लिये भेज दिये गये हैं । परीक्षण का प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पालम हवाई अड्डे पर करेंसी नोटों का पकड़ा जाना

3443. **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 5 मार्च, 1966 को नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री से 8 लाख रुपये के करेंसी नोट बरामद किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 6 मार्च, 1966 को प्रातःकाल पालम हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री से, जो बम्बई से आया था, 8 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा पकड़ी गयी ।

(ख) आगे जांच-पड़ताल चल रही है ।

रामकृष्णपुरम, सेवा नगर और फरीदाबाद में दुकानें

3444. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा, रामकृष्णपुरम्, सेवा नगर तथा फरीदाबाद में बनाई कितनी दुकानें अलाट नहीं की गई हैं ;

(ख) इन दुकानों के अलाट न किये जाने के कारण कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(ग) इन दुकानों को अलाट करने की क्या प्रक्रिया अथवा आधार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) रामकृष्णपुरम्, सेवा नगर तथा फरीदाबाद की सभी दुकानें आवंटित हो चुकी हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) आवेदकों के साधनों तथा विभिन्न व्यापारियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए दुकानों का आवंटन किया जाता है ।

श्री एच० डी० मुंदडा से करो की वसूली

3445. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एच० डी० मुंदड़ा और उनकी फर्मों से आय कर और अन्य प्रत्यक्ष करों के रूप में अभी 5 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि वसूल की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितने समय से बकाया है ;

(ग) इस बड़ी रकम को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) मांगे मुख्यतः करनिर्धारण वर्ष 1950-51 से 1960-61 तक किये गये कर निर्धारणों से सम्बन्ध रखती हैं और ये मांगे 1955 से लगाकर आगे के वर्षों में जारी की गयी थीं ।

(ग) बकाया रकम की वसूली के लिये अधिनियम में दिये गये सभी सम्भव कदम, जिनमें सभी ज्ञात परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण भी शामिल है, उठाये जा चुके हैं ।

(घ) वसूली के लिये समुचित कदम उठाने में कोई देरी नहीं हुई। जब्त की गई अधिकांश परिसम्पत्ति ऋणग्रस्त व बैंकों में जमानत के रूप में रखी हुई थी, कई परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण पर विभिन्न अदालतों में झगड़े चल रहे हैं।

तस्कर व्यापार में संसद सदस्य की कार का प्रयोग

3446. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने के तस्कर व्यापार में एक संसद् सदस्य की कार के प्रयोग में लाये जाने सम्बन्धी जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इकट्ठे किये गये प्रमाणों से, प्रारंभिक रूप में, यही प्रतीत होता है कि कार का प्रयोग निषिद्ध सोना लाने-लेजाने के लिए किया गया था। जहां तक सोने का संबंध है, कलेक्टर द्वारा चालू की गई न्याय निर्णय संबंधी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। कार के बारे में शुरू की गयी वैसी ही कार्यवाही को पूरा किया जा रहा है।

नोटों की गड्डियों में नोटों का कम पाया जाना

3447. **श्री जेधे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1959 में स्टेट बैंक, अम्बाला छावनी में जांच करने पर रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए सौ रुपए के नये नोटों की एक गड्डी में सात नोट कम पाँये गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वॉल्ट में जांच अधिकारी (वैरीफाईंग आफिसर) ने वार्षिक जांच के समय इसी गड्डी में पूरे सौ नोट पाये थे ;

(ग) क्या नोटों के कम होने के लिए सम्बन्धित नोट एग्जामिनर को उत्तरदायी ठहराया गया था और उससे कमी को पूरा करने के लिए कहा गया था ;

(घ) यदि नहीं, तो कमी को पूरा करने हेतु किस को उत्तरदायी माना गया था ;

(ङ) क्या यह मामला जांच-पड़ताल के लिए पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया था; और

(च) यदि हां, तो उनके जांच-परिणाम क्या थे; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्र के अनुसार उस वर्ष के दौरान परीक्षित की गई बाकी राशियां सही थीं और वे रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों के अनुसार थीं।

(ग) और (घ) : रिज़र्व बैंक कर्मचारी विनियमों के अन्तर्गत की गई विभागीय जांच के आधार पर हानि के लिये जांच अधिकारी तथा उस के सहायता को उत्तरदायी ठहराया गया था और उन से वह राशि वसूल कर ली गई है जो कम पाई गई थी।

(ङ) और (च) : चूंकि कमी के लिये उत्तरदायित्व निश्चित कर कमी को पूरा कर लिया गया था अतः यह मामला पुलिस को निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

केरल वेतन आयोग

3448. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यदि वेतन आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में कोई मुख्य संशोधन किया गया है अथवा किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) सिफारिशों में किये गये मुख्य संशोधन का सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख कर दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6013/66]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में बाढ़ों का नियंत्रण

3449. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में महाराष्ट्र सरकार को बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये कितनी तथा किस रुप में सहायता दी गई; और

(ख) यह सहायता किन-किन योजनाओं के लिये दी गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) महाराष्ट्र सरकार को 1965–66 के दौरान उन के बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता के रुप में 4.04 लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं ।

(ख) यह केन्द्रीय सहायता किसी विशेष स्कीम के लिये नहीं है अपितु वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किये गये बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास कार्यों के कार्यक्रम के लिये है ।

Advance Insurance Company

3450. **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri U. M. Triwedi :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 445 on the 10th March, 1966 and state :

(a) when the investigation into the case of tax evasion by Shri Chiranjit Lal Goenka, Director, Advance Insurance Company, will be completed ;

(b) the amount of income declared by him and the amount of tax paid thereon during the last five years ;

(c) the amount of income-tax paid by the companies and firms with which he is connected during the last five years ; and

(d) whether any criminal case is pending or is to be filed against him ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Due to the complicated nature of enquiries and the volume of work involved, it will take some more time to complete the investigations in the case of Shri Chiranjit Lal Goenka and his associates. Every effort is being made to complete them as early as possible.

(b) The details of income declared and the amount of tax paid thereon during the last five years are as under :

Assessment year	Income declared	Income assessed	Tax assessed	Tax paid	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
1961—62 .	97,646	20,06,488 (Assessment completed in March, 1966	16,42,971	55,186	Tax paid represents payments of advance tax and provisional demand.
1962—63 .	66,999	Assessment pending.		32,749	
1963—64 .	70,530	Do.	..	44,785	
1964—65 .	70,803	Do.	..	30,243	
1965—66 .	69,864	Do.	..	33,082	

(c) The details of tax paid by the companies and firms, with which Shri Goenka is connected, during the last five years are :

	Rs.
(i) Advance Insurance Company	11,69,103
(ii) United General Assurance Trust Pvt. Ltd. . .	4,99,421
(iii) Shree Commercial Traders (Pvt.) Ltd. . . .	38,865
(iv) M/s R.G. & Co.	Nil

(d) No criminal case is pending against Shri Goenka. Future action will depend on the outcome of the investigations.

केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभा ों में उप-निरीक्षक

3451. श्री बागड़ी : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क विभा ों के उप-निरीक्षकों की पदाली का दर्जा बढ़ा कर उसे निरीक्षकों की पद स्थिति देने के बारे में कोई घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय कब से लागू होगा ;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क), (ख) और (ग) : जी नहीं; लेकिन सरकार उप-निरीक्षकों के वर्तमान संवर्ग की संख्या में धीरे-धीरे कुछ कमी करने और निरीक्षकों (साधारण संवर्ग) के संवर्ग में उतनी ही वृद्धि करने की संभावना की जांच कर रही है ताकि उपनिरीक्षकों के सेवा सम्बन्धी भविष्य को जहां तक व्यावहारिक हो उज्वल बनाया जा सके।

रामकृष्णपुरम में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3452. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बूटा सिंह :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1821 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सैक्टर पांच और सात में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये एक कमरे वाले क्वार्टर बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये निदेश को बाद के आदेशों द्वारा रद्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग): चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पहले एक कमरे वाले क्वार्टर बनाये जाते थे। नवम्बर 1963 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निदेश दिया था कि एक कमरे वाले टेनमेन्टों को नहीं बनाना चाहिए। अतएव इस प्रकार के क्वार्टरों का बनाना रोक दिया गया। तथापि जो क्वार्टर बनाये जा रहे थे उनका बनाया जाना चालू रहा। रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के सैक्टर 5 और 7 में तब से लगभग 800 ऐसे एक कमरे वाले क्वार्टर बनाये जा चुके हैं। अपने कर्मचारियों के लिए दो कमरे से कम के क्वार्टर न बनाने की सरकारी नीति बरकरार है।

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3453. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बूटा सिंह :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में किन-किन क्षत्रों में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक दो कमरों वाले कितने क्वार्टर बनाये जा चुके हैं तथा कितनों का निर्माण हो रहा है; और

(ख) अगले वर्ष इन कर्मचारियों के लिए कितने दो कमरों वाले और कितने एक कमरे वाले क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) डी० आई० जेड० एरिया में दो कमरे वाले 720 क्वार्टर तैयार हो चुके हैं। अब निर्माणाधीन कोई नहीं है।

(ख) निधियों उपलब्ध न होने के कारण अभी तक 1966-67 के वित्तीय वर्ष में नये क्वार्टरों के बनाने की कोई मंजूरी जारी नहीं की गयी है।

Unallotted Quarters In Delhi

3454. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Maheswar Naik :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1503 on the 3rd March, 1966 and state :

(a) the reasons for which water pipes and power lines have not been laid so far in the Quarters in Delhi which are unoccupied for want of water supply ; and

(b) by what time they are likely to be laid and quarters are likely to be allotted?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehar Chand Khanna) : (a) and (b). Water pipes and power lines have already been laid in all the quarters in Ramakrishnapuram including the 1000 quarters which are still unoccupied for want of water supply. The quarters can be allotted and occupied only after water supply has been given by the Delhi Municipal Corporation. It is hoped that the supply will be available in about 2 to 3 months.

घड़ियों का तस्कर व्यापार

3455. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 मार्च, 1966 को नई दिल्ली में पालम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 1.25 लाख रुपये के मूल्य की कलाई घड़ियां पकड़ी ;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई घड़ियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने व्यक्ति पकड़े गये और क्या उनका सम्बन्ध तस्करों के किसी संगठित गिरोह से पाया गया है; और

(घ) क्या भारत में घड़ियों के बढ़ते हुए तस्कर व्यापार को जड़ से समाप्त करने के लिये देश में तस्करी वाली घड़ियों की मार्केट के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : 10 मार्च, 1966 को साथ न जाने वाला और व्यक्तिगत सामान के रूप में घोषित किया गया माल आगे नेपाल को भेजे जाने के लिये जा रहा था। संदेह होने से इस माल की जांच की गई और उसमें से कुल करीब 1,14,500 रुपये मूल्य की 1344 कलाई घड़ियां, 443 लग जरीदार कपड़े के टुकड़े तथा चकमक पत्थरों से भरे 2 बक्से पाए गय। गलत घोषणा और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण उक्त सामान को पकड़ लिया गया।

(ग) अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं गया है और जांच पड़ताल चल रही है।

(घ) चोरी छिपे घड़ियों को लाने ले जाने की घटनाओं को आमूल समाप्त करने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अमरीकी सहायता

3456. **श्री राम हरख यादव :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अमरीकी सहायता के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) उनके अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक युक्ति पर गोष्ठी

3457. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक युक्ति के प्रयोग के बारे में हाल में नई दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) उस में क्या निर्णय किये गये और उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

चांदी का पकड़ा जाना

3458. **श्री हिम्मत सिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल बम्बई में खड़े हुए एक ट्रक से 6,50,000 रुपये के मूल्य की चांदी की 57 छड़ें पकड़ी गयीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चांदी की ये छड़ें विदेशों को भेजी जाने वाली थीं; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

जांच पड़ताल से पता चलता है कि चांदी छड़ें गैरकानूनी ढंग

(ग) अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। ट्रक और माल को छोड़ा हुआ पाया गया था। जांच पड़ताल अभी भी चालू है।

आनन्दपुर बांध परियोजना

3459. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **योजना** मंत्री आनन्दपुर में बांध के सम्बन्ध में 17 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 372 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को किन कारणों से अस्वीकृत कर दिया; और

(ख) क्या विशेषज्ञों की राय के अनुसार जब तक उक्त बांध नहीं बनता सलौदी बांध परियोजना से कोई लाभ नहीं होगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) यह प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है। जनवरी 1965 में उड़ीसा सरकार से 1893 लाख रुपये अनुमानित लागत की परीयोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस पर केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग द्वारा विचार किया गया और फरवरी 1965 में कुछ टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थी। हाल में राज्य सरकार ने परियोजना की लागत का अनुमान 2305 लाख रुपया लगाया है। इस सम्बन्ध में संशोधित परियोजना रिपोर्ट की इन्तजारी की जा रही है। राज्य सरकार से जैसे ही परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होगी उसकी केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग द्वारा जांच की जायेगी और सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बिजली परियोजनाओं सम्बन्धी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

सिंचाई कार्यक्रम

3460. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) खाद्य स्थिति का सामना करने हेतु बिजली उत्पादन के मुकाबले में सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिये कार्यक्रम बनाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस मामले में कितनी सफलता मिली है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : भाखड़ा नंगल, चम्बल, हीराकुड और तुंगभद्र परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष कार्यक्रम तैयार किए गये थे। ऐसी सूचना मिली है कि परिणाम संतोषजनक रहे हैं।

बीमा व्यापार

3461. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में बीमा व्यापार को सुव्यवस्थित बनाने तथा उसे आधुनिक रूप देने के लिये योजना बनाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस समय यह मामला किस अवस्था में है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम द्वारा किये जा रहे बीमा व्यापार को सुव्यवस्थित बनाने तथा उसे आधुनिक रूप देने के प्रश्न का निगम तथा सरकार द्वारा बराबर अध्ययन किया जा रहा है और इस दिशा में प्रगति एक सतत प्रक्रिया है।

त्रिपुरा में गन्दी बस्तियों को हटाने का योजना

3462. श्री दशरथ देव : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में गंदी बस्तियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र को कोई राज-सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) 71,280,00 रुपये।

(ग) संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है।

सेंट कोलम्बस स्कूल नई दिल्ली को भूमि बेचना

3463. श्री लखमू भवानी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नई दिल्ली के सेंट कोलम्बस स्कूल के पास की भूमि का एक भाग उस स्कूल के अध्यापकों के क्वार्टरों के बनाये जाने के लिये उसे बेच दिया है और उन क्षेत्रों में सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले व्यक्तियों को उन्हें खाली करने के नोटिस के दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वह भूमि बेची गई है अथवा पट्टे पर दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : अलैग्ज़ैण्डरिया प्लेस, नई दिल्ली में एक 2.8 एकड़ का प्लाट अतिरिक्त स्कूल भवनों के निर्माण के लिए सेंट कोलम्बस हाई स्कूल को आवंटित किया गया है। स्टाफ क्वार्टरों के लिए नहीं। इन भवनों के निर्माण के बाद स्कूल की क्षमता 600 और विद्यार्थियों के लिए बढ़ जायेगी। इस स्थान पर 13 सरकारी क्वार्टर हैं और उनके अलाटियों को वैकल्पिक वास देने का प्रस्ताव किया गया है। तीन अलाटियों ने इस प्रस्ताव का लाभ उठा भी लिया है।

(ग) स्कूल को भूमि पट्टे पर दी गई है।

सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाला व्याज

3464. श्री लखमू भवानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दर को बढ़ाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ब्याज की नई दर क्या है; और

(ग) यह दर किस तारीख से लागू होगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या वर्तमान दर के पुनरीक्षण की आवश्यकता है ।

आयकर अधिकारियों के पदो के लिये परीक्षा

3465. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1966 में होने वाली आय-कर अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) परीक्षा के उम्मीदवारों को अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र हैं या नहीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) परीक्षा के लिये विज्ञापन देते समय उम्मीदवारों की पात्रता की निश्चित शर्तों का उल्लेख न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस परीक्षा को जून 1966 से आगे स्थगित करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) योग्य उम्मीदवारों को अभी तक यह सूचना नहीं दी गयी है कि उन्हें किस तारीख को और किन केन्द्रों पर परीक्षा देनी है ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के जवाब में 32,000 से उपर दरख्वास्तें उनके पास आई । इतनी भारी संख्या में दरख्वास्तों की छान-बीन करने में अवश्य ही कुछ समय लगा ।

(ग) पात्रता की शर्तों को विज्ञापन में बता दिया गया था ।

(घ) नहीं ।

आय-कर अधिकारियों की भर्ती

3466. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सभा आयोग द्वारा विज्ञापित आय-कर (द्वितीय श्रेणी) अधिकारियों के 200 रिक्त पदों में कुछ पद विभागीय उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता कितनी है और इस बात का उल्लेख विज्ञापन में क्यों नहीं किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल राज्य बिजली बोर्ड का कर्मचारियों से झगड़ा

3467. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि केरल राज्य बिजली बोर्ड ने कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) कर्मचारियों से 8 अप्रैल, 1965 को हुए सुलह करार की शर्तों की कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने करार को लागू करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है ;

(ग) बोर्ड के अधीन कुल कितने कार्यकारी कर्मचारी हैं; और

(घ) सुलह करार के अन्तर्गत अब तक कितने कर्मचारियों को लाभ दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) करार की शर्तों का कार्यान्वन प्रगति पर है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बोर्ड के अधीन कुल कार्यकारी कर्मचारी लगभग 4,508 हैं। इनमें से करार के अन्तर्गत 3,879 कर्मचारियों को लाभ होगा।

(घ) करार के अन्तर्गत लगभग 2,500 कर्मचारियों को लाभ दिया गया है।

पलाई सेंट्रल बक

3468. **श्री वारियर :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री बड़े :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० उ० मिश्र :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सेन्ट्रल बैंक के बारे में कोई और लाभांश घोषित किये गये हैं और यदि हां, तो कितने ;

(ख) क्या निदेशकों के विरुद्ध सिद्ध हुए अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों के बारे उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए निदेशकों के विरुद्ध के क्या कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जुलाई, 1964 में लाभांश घोषित किया गया था। न्यायालय ने अब तक 250 रुपये अथवा जमाकर्त्ता को देय राशि इन में से जो भी कम हो के अतिरिक्त इस लाभांश के साथ एक रुपये में से 85 पैसे का भुगतान करने का अधिकार दिया है।

(ख) केरल उच्च न्यायालय ने शासकीय अवसायक को निदेशकों, लेखा-परीक्षकों तथा बैंक के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध 16·52 लाख रुपये तथा 241 लाख रुपये की दो डिगरियों की स्वीकृति दी है।

(ग) 16.52 लाख रुपये की डिगरी का निष्पादन रोक लिया गया है। अभी उस निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं हुई है जिस में अवसायक को 241 लाख रुपये की डिग्री की स्वीकृति दी गई है। समाचार पत्रों में छपा है कि वे व्यक्ति जिन्होंने यह राशि देनी है इस डिगरी के विरुद्ध अपील करेंगे। जैसे ही उस निर्णय की जिस में 241 लाख रुपये की डिगरी की स्वीकृति दी गई है प्राप्त हो जायेगी तो की जानी वाली कार्यवाही के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

अगरतला में मेडिकल कालेज

3469. **श्री दशरथ देव :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने अगरतला में मैडिकल कालेज खोलने के लिये केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) किसी मेडिकल कालिज या उसके लिय सहायता का कोई औपचारिक प्रस्ताव त्रिपुरा सरकार से नहीं आया है भले ही इस विषय पर त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बीच जबानी बातचीत हुई। त्रिपुरा के छात्रों को देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में सीटें इस सम्बन्ध में बनी एक विशिष्ट योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

(ख) सरकार त्रिपुरा में कोई मेडिकल कालेज खोलना उपयुक्त या जरूरी नहीं समझती।

Statues of Leaders

3470. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 832 on the 24th February, 1966 and state :

(a) whether final decision on the installation of statues of leaders in Delhi has been taken;

(b) if so, the names of the leaders and the sites where their statues would be installed ; and

(c) the causes of delay in selecting the sites for installing the statues of the first President and the first Prime Minister ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). The matter is under the consideration of Government.

पेंच जल-विद्युत तथा सिंचाई योजना

3471. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पेंच जल-विद्युत तथा सिंचाई योजना को अपनी स्वीकृति तथा अनुमति देदी है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना खर्च होगा ; और

(ग) उसे पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) भारत सरकार ने परियोजना के सम्बन्ध में स्कीम रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है ।

(ख) राज्य सरकार का यह अनुमान है कि स्कीम की कुल पूंजिगत लागत 20.00 करोड़ रुपये है ।

(ग) इस का तभी पता चलेगा जब स्कीम रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और इसकी जांच कर ली जाएगी ।

नागपुर तापीय बिजली घर

3472. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर अति तापीय बिजली घर की योजना अन्तिम रूप में तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली घर की कितनी क्षमता होगी;

(ग) उस पर कितना खर्च होगा; और

(घ) काम कब से आरम्भ हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) राज्य सरकार ने नागपुर तापीय बिजली घर परियोजना से सम्बन्धित पुनरीक्षित स्कीम रिपोर्ट भेज दी है जिसकी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इस समय जांच कर रहा है ।

(ख) नागपुर बिजली घर की प्रतिष्ठापित क्षम्ता 490 मैगावाट होगी ।

(ग) पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार स्कीम पर कुल 57·33 करोड़ रुपये का पूंजिगत व्यय होगा ।

(घ) प्राथमिक कार्य पहले से ही आरम्भ हो गए हैं ।

Government Buildings

3473. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on certain buildings such as Nirman Bhavan and the building in which the Ministry of Irrigation and Power is housed, inauguration boards bear inscriptions only in English ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether it contravenes the orders relating to the use of Hindi ; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) No. However, Hindi inscriptions will be made where there are none at present.

(c) Does not arise.

Issue of Circulars etc. in Hindi

3474. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the time by which arrangements would be made for bringing out Hindi version of standing circulars, orders, notices, etc. relating to Income-Tax Department (along with their English version) ; and

(b) the reasons for which such arrangements have not been made so far ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

Printing of Hindi jobs in Government Presses

3475. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Government of India Presses are in a position to execute all the Hindi printing jobs received from various Ministries ;

(b) whether certain situations arose last year when Hindi printing jobs were returned by the Government Presses on the plea that they were unable to undertake them; and

(c) if so, the measures being adopted to enhance the capacity of presses to print Hindi jobs and the extent of increase to be effected by the end of the current year ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No. The Government Presses can handle work to a limited extent according to the existing capacity.

(b) No. When Government of India Presses, for want of capacity, are unable to undertake any Hindi printing job, it is got executed through private presses.

(c) Necessary steps to increase the Hindi printing capacity of the Government of India Presses are already in hand. However, the progress in this regard is likely to be slow, due to difficulty in procuring additional equipment for want of foreign exchange.

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का पद

3476. श्री विश्वनाथ राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रथा को अपनाती रही है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों को अपना पदभार संभालने की तिथि से छः महीने पहले काम सीखने हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण (अंडर स्टडी) के लिये लगाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी अधिकारी को काम सीखने हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण (अंडर स्टडी) के लिये लगाने के लिये कोई व्यवस्था की जा चुकी है और इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई कि नियुक्ति में विलम्ब न हो ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । अगले भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति को पहले ही घोषणा कर दी गई है । इस बारे में राष्ट्रपति भवन से जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6014/66 ।]**

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

3477. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात बढ़ जाने के बावजूद औषधियों के मूल्य में वृद्धि के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : उन नई औषधियों तथा पैकिंगों के अतिरिक्त जो पहली अप्रैल 1963 के पश्चात बाज़ार में लाई गई थी और इसलिये मूल्य सीमा आदेश के अन्तर्गत नहीं आती है औषधियों तथा दवाइयों के उपभोक्ता मूल्यों में सामान्य रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है । 1 अप्रैल 1963 के पश्चात बाजार में लाई गई दवाइयों और पैकिंगों को उक्त आदेश के अन्तर्गत लाने हेतु औषधियों (मूल्य-नियंत्रण) आदेश, 1963 में संशोधन करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ।

इन्द्रपुरी के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी

3478. श्री रामपुरे : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्द्रपुरी (पूसा के निकट) तथा उसके आसपास की बस्तियों में कोई भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी नहीं है ;

(ख) क्या वहां डिस्पेंसरी खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यरूप दिये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : यह क्षेत्र उन भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत नहीं आता जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना लागू की गई है । फिलहाल इन्द्रपुरी में कोई डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की संख्या केवल लगभग 250 है ।

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

3479. श्री दलजीत सिंह : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 और 1966-67 में अब तक बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई; और

(ख) किन-किन बड़ी योजनाओं के लिये यह सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फरूद्दीन अहमद) : (क) 1965-66 में बाढ़ नियन्त्रण, जल निकास, जल जमाव रोध योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 322·73 लाख रुपये स्वीकार किये गये थे। 1966-67 के वर्ष के नियतन का अभी निर्णय नहीं किया गया है। वार्षिक योजना प्रस्तावों में राज्य सरकार ने 100 लाख रुपये का प्रबन्ध किया था।

(ख) योजना में सम्मिलित बाढ़ नियन्त्रण, जल निकास और जल जमाव रोध सम्बन्धी स्वीकृत स्कीमों की वित्तीय सहायता के लिये ऋण दिये जाते हैं न कि किसी विशेष स्कीम के लिये।

गत्ते पर उत्पादन शुल्क

3481. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरानी मिलों तथा नई मिलों द्वारा बनाये गये गत्ते पर लगे उत्पादन शुल्क की दरों में अन्तर और विषमता को समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का अपने निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां। पुरानी मिलों तथा नई मिलों द्वारा बनाये गये गत्ते पर दिये जाने वाले उत्पादन शुल्क की दरों में असमानता पूरी तरह तो नहीं पर काफी हद तक कम कर दी गयी है।

(ख) और (ग) : परिवर्तित दरें 1 अप्रैल 1966 से लागू होंगी और उनका प्रवर्तन पिछली तारीख से नहीं होगा।

मंत्रालयों द्वारा खर्च

3483. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में दत्तमत, अनुदानों अथवा प्रभारित विनियोजनों से अधिक खर्च करने की आदत निरंतर बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मन्त्रालय में कितने प्रतिशत ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का यह बात सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रभावी उपाय अपनाने का विचार है कि जिन कारणों से अधिक खर्च होता है उन को समाप्त किया जाये ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं। 1964-65 को समाप्त हुए तीन वर्षों में से प्रत्येक में उस वर्ष के कुल स्वीकृत अनुदानों और प्रभावित विनियोगों की तुलना में

कुल अतिरिक्त व्यय क्रमशः 0.48 प्रतिशत, 0.28 प्रतिशत और 0.16 प्रतिशत था जिससे पता चलता है कि अतिरिक्त व्यय में लगातार कमी हुई है। ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	कुल अनुदान और विनियोग (असैनिक, रक्षा, डाक और तार और रेलवे)	कुल अतिरिक्त व्यय	अतिरिक्त व्यय का प्रतिशत
	करोड़ रुपयों में	करोड़ रुपयों में	
1962–63 .	9,507.84	45.19	0.48
1963–64 .	10,902.69	30.16	0.28
1964–65 .	12,350.65	19.95	0.16

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी, 1964-65 के कुल अनुदानों और विनियोगों, कुल अतिरिक्त व्यय और उसके प्रतिशत का मंत्रालयों के अनुसार एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय मे रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6015/66**]

(ग) से (ङ) : उपर्युक्त (क) में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि अतिरिक्त व्यय में उत्तरोत्तर कमी हुई है। अतिरिक्त व्यय आम तौर पर वित्त-वर्ष के समाप्त होने के बाद किये जाने वाले समायोजनों के कारण होता है, जैसे निर्धारित प्राप्तियां या अधिशेषों का प्रारक्षित निधियों में अन्तरण, अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सप्लाई की गयी वस्तुओं, किये गये काम या सेवा के कारण रकमों का नामें डाला जाना, आदि। हालांकि इस प्रकार के समायोजनों का सही–सही अनुमान लगाने और अतिरिक्त व्यय से बचने की भरसक कोशिश की जाती है, फिर भी, ऐसे व्यय को बिलकुल समाप्त करना कठिन है। यही कारण है कि संविधान में भी अतिरिक्त व्यय की संभावना स्वीकार की गयी है [अनुच्छेद 115 (1) (6)]। विनियोग लेखों से जिस अतिरिक्त व्यय का पता चलता है, उसकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है, जो संसद द्वारा अनुपूरक अनुदानों की तरह इन खर्चों के नियमित करार दिये जाने के लिए सिफारिश करती है।

सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रणाली निर्धारित है कि संविधान में लिखे अनुसार आकस्मिकता निधि (कंटिजेंसी फण्ड) से अग्रिम लिये बिना स्वीकृत अनुदानों और विनियोगों की रकम से अधिक खर्च न किया जाय। खर्च पर कारगर ढंग से नजर रखने के लिए समय-समय पर विभागीय तौर पर हिदायतें भी जारी की गयी हैं। प्रणाली सम्बन्धी तथा दूसरी गलतियों को ठीक करने के लिए, जिनके कारण अतिरिक्त व्यय हुआ हो, आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई की जाती है। अतिरिक्त व्यय कम करने के लिए फिलहाल कोई और उपाय करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

औषधियों का अपमिश्रण

3484. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री औषधियों का अपमिश्रण के बारे में 2 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : बिहार को छोड़ कर सब राज्यों-प्रशासनों से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है। उस राज्य से सूचना प्राप्त होते ही, इसे सभा पटल पर रखा जायेगा।

तूतीकोरिन में तापीय विद्युत् संयंत्र

3485. **श्री मुथिया :**
श्री कन्डप्पन :
श्री मुत्तु गौंडर :
श्री शिवशंकरन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में तूतीकोरिन में 100 मैगावाट के तापीय शक्ति संयंत्र की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयन्त्र के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी;

(ग) क्या इसकी क्षमता बढ़ा कर 250 मैगावाट की जायेगी जैसा कि इस बारे में मूल प्रस्ताव था; और

(घ) चौथी योजना में इसे क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : तूतीकोरिन ताप बिजली घर के निर्माण के प्रस्ताव पर सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और बिजली परियोजनाओं से सम्बद्ध सलाहकार समिति द्वारा स्थापित एक तकनीकी समिति इस समय विचार करने वाली है।

Income-tax Office Building at Kotah

3486. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the present position in regard to the land purchased at Kotah for construction of Income-tax Office building ; and

(b) the time by which the building is likely to be constructed?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The land in question was taken over by the Military authorities as it belonged to them according to an agreement entered into with the former Kotah State. The question pertaining to the ownership of the land and the question of its release by the Military authorities is being pursued with the Ministry of Defence.

(b) In view of the present emergency and need for economy in Civil expenditure, it has been decided to postpone for the present the construction of the Income-tax Office building at Kotah.

Income-tax Arrears in Kotah Division

3487. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of Income-tax arrears in Kotah Division in Rajasthan ;

(b) the number of years for which they have not been realised ;

(c) the reasons therefor ; and

(d) the number of cases for which appeals have been filed and have not been decided so far?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of House as early as possible.

नागपुर के मैसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद

3488. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री नागपुर के श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामले के बारे में 24 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 826 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारियों के बारे में जांच-पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या आय-कर विभाग द्वारा जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या निष्कर्ष निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : जी, अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Water Meters for Government Quarters in Kidwai Nagar (East)

3489. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to get water meters installed in the Government flats in Kidwai Nagar (East) ;

(b) if so, the categories of the flats referred to in part (a) above and whether the meters have been installed by now ;

(c) if not, when the meters are likely to be installed ;

(d) whether it is a fact that the flats where there were no meters were previously charged at the rate of Rs. 5 per month which was afterwards raised to Rs. 8·75 per month and now the rate has been raised to Rs. 14 per month ;

(e) whether this enhanced rate has been introduced with retrospective effect from the 1st October, 1964 and would be charged from that very date ; and

(f) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). Out of 112 type V flats and 112 servants' quarters in Kidwai Nagar (East), separate water meters have so far been provided in 34 flats and 24 servants' quarters. Work on the provision of individual water meters in the remaining houses is expected to commence shortly.

(d),(e) and (f). Where individual water meters are not provided, charges are recovered at a flat rate on the basis of he actual consumption of water during the preceding financial year, as recorded in the bulk meter provided by the local body concerned. These charges are made effective from the beginning of the succeeding October. In this case, the enhanced rate of Rs. 14/- per month, at which recoveries are being made from the 1st October, 1964, was fixed on the basis of provisional bills sent by the New Delhi Municipal Committee. The rate will be reviewed on receipt of final bills from them.

Water Supply to Government Quarters in Kidwai Nagar (East)

3490. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the supply of filtered water to the residents of upper flats in Kidwai Nagar (East) has been quite irregular during the last one year;

(b) whether filtered water is being supplied to these residents only for one hour in the morning and evening for the last three months ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to remove this difficulty ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna : (a) to (d). There is a general shortage of filtered water in Delhi and New Delhi. Because of this and of inadequate pressure in the water mains, water supply often becomes irregular in many areas, particularly during the summer months. Complaints are received from residents of upper floors that water supply to their quarters is often restricted and even scarce. In recent months, the residents of upper flats in Kidwai Nagar (East) have been rather badly affected. Supply had to be restricted to a few hours in the morning and evening because the mains were being repaired by the New Delhi Municipal Committee. The position is likely to improve as soon as the repairs are completed. The problem of water shortage in Delhi and remedial measures are engaging the attention of Government.

सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों को क्वार्टर खाली करने के नोटिस

3491. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 3 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1555 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्वार्टरों को खाली करने के आदेशों के साथ साथ क्वार्टरों में रहने वालों को, यदि वे चाहें, निर्दिष्ट अवधि के अन्दर इन आदेशों के विरुद्ध अपीलें भेजने का निदेश दिया जाता है ;

(ख) क्या निर्धारित समय के अन्दर की गई अपीलों को सम्पदा निदेशालय को मकान खाली करने के नोटिस की अवधि के अन्दर निबटाना होता है और उस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद अलाटियों से क्षतिपूर्ति वसूल की जा सकती है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने अपीलें दायर की हैं नोटिस की अवधि की समाप्ति पर उन मकानों में रहने के लिये जुर्माना किया जाता है जबकि उनकी अपील सम्पदा निदेशालय के विचाराधीन होती हैं ;

(घ) उन पर इस अवधि में यह जुर्माना लगाने के क्या कारण हैं जब कि निदेशालय द्वारा अपील निबटाने में लगे समय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता है; और

(ङ) क्या ऐसे मामलों में जबकि अपीलों के निबटाने में देरी के कारण मकान पर कब्जा बना रहता है, जुर्माना छोड़ा जा सकता है और यदि हां, तो किन शर्तों के अन्तर्गत ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं ।

(ख) बेदखली के खिलाफ अपीलें जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में हैं जो कि सुविधानुसार उनका निपटान करेंगे ।

(ग) और (घ) : नुकसान के भुगतान का उत्तरदायित्व आवंटन रद्द होने अथवा रद्द समझा जाने की तारीख से शुरू होता है तथा यह उत्तरदायित्व तब तक बना रहता है जब तक कि आवंटन रद्द करने के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा वापस न ले लिये जायें अथवा अदालत के द्वारा रद्द न कर दिये जायें ।

(ङ) क्योंकि बेदखली के आदेशों के खिलाफ अपीलों को प्राथमिकता देने वाली पार्टियां अपने जोखिम तथा उत्तरदायित्व पर परिसरों पर अधिकार बनाये हुए हैं, अतएव अदालत के द्वारा अपीलों के निपटना में देरी होने के कारण शास्ति (पैनल्टी) हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल राज्य के सम्बन्ध में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं सभा पटल पर राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 57 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 457 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल सामान्य बिक्री कर नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5998/66]**

पहाड़ी क्षेत्रों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5999/66]**

केरल राज्य के सम्बन्ध में अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते ये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल, राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 29 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगर पालिका अधिनियम, 1960 की धारा 345 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) एस० आर० ओ० संख्या 192/65 जो दिनांक 11 मई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) एस० आर० ओ० संख्या 423/65 जो दिनांक 30 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6000/66।]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुरुवयूर टाउनशिप अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) एस० आर० ओ० संख्या 136/65 जो दिनांक 30 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(ख) एस० आर० ओ० संख्या 15/1966 जो दिनांक 25 जनवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6001/66]**

वार्षिक योजना 1966-67

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं वार्षिक योजना 1966-67 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6002/66]**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENTS ASSENT TO BILLS

सचिव : श्रीमन, मैं चालू अधिवेशन में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये निम्न पांच विधेयक, जिन पर 1 अप्रैल, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग विधेयक, 1966

(2) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1966

(3) विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1966

(4) केरल विनियोग विधेयक, 1966

(5) केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा के बारें में वक्तव्य

STATEMENT RE : PRIME MINISTER'S VISIT ABROAD

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है मैंने राष्ट्रपति जौन्सन के निमंत्रण पर 28 मार्च से 1 अप्रैल तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सरकारी तौर पर दौरा किया। रास्ते में मैं पैरिस रुकी, जहां मैंने राष्ट्रपति द गाल और प्रधान मन्त्री पाम्पीद्र से मुलाकत की। वापसी पर लन्दन में मैं थोड़ी देर ठहरी, जहां मैंने प्रधान मन्त्री विल्सन से भेंट की। मैं मास्को में भी रुकी जहां मैंने चेयरमन कौसीजिन से बातचीत की।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

पेरिस में मेरा बड़ा सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्वक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति दगाल ने हमारी आर्थिक समस्याओं में गहरी दिलचस्पी दिखाई और मुझे विश्वास दिलाया कि फ्रांस की सरकार और जनता इन समस्याओं को हल करने में सहायता देने को बहुत इच्छुक हैं। विशेष रूप से फ्रांस की सरकार हमारे दोनों देशों के बीच और अधिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का विकास करने में सहायता देने के लिये तैयार है। फ्रांस के तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल इस उद्देश्य से जल्द ही भारत का दौरा कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति से मेरी जो बात चीत हुई उससे यह प्रकट हुआ कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में हमारी स्थिति परस्पर समझी गयी और बहुत सी समस्याओं पर फ्रांस और भारत पर्याप्त रूप से सहमत हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति द गाल से मेरी मुलाकत से हमारे दोनों देशों के निकट और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध और भी अधिक मजबूत होंगे।

राष्ट्रपति जौन्सन से हुये वार्तालाप की खास बातों की और अमरीका के दौरे का मुझे पर जो प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा करने से पहले मैं इस मौके पर सदन को बता देना चाहती हूं कि राष्ट्रपति जौन्सन और अमरीकन जनता ने मेरा कितना प्रेमपूर्वक और मैत्रीपूर्ण सत्कार किया और कितना शिष्टाचार प्रदर्शित किया। इसके लिये मैं उनको निष्टापूर्वक धन्यवाद देती हूं। मैने राष्ट्रपति जौन्सन और उनके सहकारियों से मुकम्मिल और खुल कर बात चीत की और हमारी बात चीत का मोटे तौर पर जो सार था वह उस सम्मिलित विज्ञप्ति में दिया गया है जो दौरे के अन्त में जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति की एक प्रति सभापटल पर रखी है। मुझे शायद संक्षेप में उस सामान्य भावना की चर्चा कर देनी चाहिये जिसमें हमारी वार्ता हुई। आज कल के तेजी से बदलते हुए संसार में ऐसी मुलाकातें उन दोस्तों के बीच भी आवश्यक हैं जिन के बहुत से मूल्य उभयनिष्ठ हैं। हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से यह था कि परस्पर निकट सम्बन्ध स्थापित किये जायें और एक दूसरे को समझा जाय न कि यह कि हम आपस में एक दूसरे को परामर्श दें अथवा कृपाकांक्षा करें। मुझे विश्वास है कि इसमें हम पूरी तरह सफल हुए। इस सफलता का कारण बहुत कुछ यह था कि हमने अपना कार्य पूरी तरह से स्पष्टता और परस्पर विश्वास के साथ किया। हमारी बात चीत का दायरा बहुत बड़ा था। अपनी जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा करने के लिये हम जो बड़े प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें राष्ट्रपति जौन्सन ने समझा और उनकी सराहना की। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार को इस बात में गहरी दिलचस्पी है कि विश्व बैंक के अंतर्गत हमारी योजनाओं के लिए बाहरी सहायता एकत्र करने के हेतु कुछ वर्षों से जो आपसी सहयोग चल रहा है उस में अपना पूरा योग दे कर उक्त सरकार विकास की वृद्धि के हमारे प्रयत्नों में हमारी सहायता जारी रखे।

खाद्य सामग्री की हमारी आपत्कालिन आवश्यकताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जौन्सन ने हमारी बात चीत के फ़ौरन बाद में अमेरिका की कांग्रेस को एक आवश्यक शीघ्र सन्देश भेजा, जिसमें उदारतापूर्वक और अधिक मात्रा में अनाज कपास तथा अन्य कृषि सामग्रियों के संभरण के लिये कांग्रेस की स्वीकृति मांगी। उक्त सन्देश हमारी आर्थिक उन्नति और मौजूदा समस्याओं को ध्यान में रखकर दिया गया था। मुझे विश्वास है कि अमेरिका की कांग्रेस ने जिस शीघ्रता से इस पर कार्यवाही की उस के लिये सराहना व्यक्त करने में सदन मुझ से सहमत होगा। भारत की खाद्य समस्या पर हुई बात चीत के दौरान यह प्रकट हुआ कि राष्ट्रपति जौन्सन ने भी हमारे उन प्रयत्नों को जो हम अपने लिए कर रहे हैं तथा उन सम्भावनाओं को जो खेती की पैदावार बढ़ाने की हमारी योजनाओं में हैं और उन कार्यक्रमों को जो आबादी की वृद्धि रोकने के लिए हमने लागू किये हैं, समझा और उनकी सराहना की।

खेतों और कारखानों में नई शिक्षण तकनीको का विकास करने में मदद देने के लिए विज्ञान की उन्नति करने के लिए और अनुसन्धान की सुविधाएं बढाने के लिए राष्ट्रपति ने एक भारत-अमरीकन फाउन्डेशन की स्थापना की घोषणा की। वास्तव में ऐसे प्रस्ताव पर कुछ समय से विचार किया जा रहा था और उसपर सरकार ने लगभग एक वर्ष पहिले स्वीकृति दे दी

थी। फाउन्डेशन का कार्य इस तरीके से होगा जो भारत सरकार की शैक्षणिक योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुकूल हो और इसका उद्देश्य आर्थिक दशा और राष्ट्रीय हित को समुन्नत करना होगा।

जैसा सदन को मालूम है हम बाहरी मदद को अपने नीजि प्रयत्नों की सहायता करने के केवल एक साधन के रूप में और कम से कम समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये एक सहायता के रूप में देखते हैं। हमारी बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जौन्सन ने बार बार कहा कि अमरीका हमें जो मदद देता है वह भी उसे हमारे स्वावलम्बन की वृद्धि तथा हमारी नीतियों और योजनाओं में बिना हस्तक्षेप किये, शीघ्र हमारी आत्म निर्भरता की वृद्धि करने की भावना के रूप में देखता है।

बात चीत के दौरान भारत के पाकिस्तान से सम्बन्धों की चर्चा हुई। जो मुसीबतें पैदा की गयी हैं उन के बावजूद ताशकन्द भावना के अनुरूप पाकिस्तान से अधिक मित्रतापूर्वक सम्बन्ध बढ़ाने की भारत की इच्छा को मैंने दोहराया। हम इस बात पर सहमत हुए कि ताशकन्द घोषणा से जिन शान्तिपूर्ण तरीकों की शुरुआत हुई है उन्हें जारी रखना चाहिये। राष्ट्रपति जौन्सन ने ताशकन्द घोषणा के लिये अपना प्रबल समर्थन प्रकट किया और यह इच्छा प्रकट की कि भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता होनी चाहिये। चीन के आक्रमक मन्सूबों और तरीकों से भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की भी चर्चा हुई। किसी भी खतरे के विरुद्ध चाहे वह कहीं से भी हों, अपनी स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने के अपने इरादे को दोहराने के अतिरिक्त मैंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चीन की लम्बी चुनौती उतनी ही राजनैतिक और आर्थिक है जितनी कि वह फौजी है। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि गणतन्त्रात्मक समाजवाद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारत के बृहद् प्रयत्न और विकास के क्षेत्र में उपलब्धियां स्थिरता की दशा में स्वयं शांति के लिये महत्वपूर्ण योग दान है।

वियतनाम की स्थिति पर संक्षेप से बात चीत हुई। मैंने इस बात को दोहराया कि इस समस्या का एक न्यायपूर्ण और शान्तिपूर्ण हल देखने की भारत की इच्छा कायम है।

मैंने राष्ट्रपति और श्रीमती जौन्सन को भारत आने का निमन्त्रण दिया है और राष्ट्रपति ने यह आशा प्रकट की है कि उनके लिये फिर से भारत आना सम्भव हो सकेगा।

न्यूयार्क में राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल यू थांट से मेरी एक लाभदायक मुलाकत हुई और मैंने इस अवसर पर अफरीकी एशियाई दल में भाषण दिया।

राष्ट्रपति जौन्सन और उनके सहकारियों से मेरी जो बात चीत हुई उस के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीकी में उतने दौरे के समय मुझे विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत से प्रसिद्ध अमरीकी नागरिकों से मिलने और विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने कश्मीर पर अपने दृष्टिकोण को और उसके व्यापक अर्थों को दोहराया। मेरा विचार है कि इन सम्पर्कों से अमरीकी जनता को हमारे दृष्टिकोण को और अच्छी तरह समझने में मदद मिली है।

संयुक्त राज्य अमरीकी से लौटते समय लन्दन में प्रधान मन्त्री विलसन से मेरी मुलाकत हुई। हमारी बात चीत कई विषयों पर हुई। और यह बातचीत मित्रतापूर्ण वातावरण में हुई। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति अधिक अच्छी तरह समझी गई है। श्री विल्सन ने अन्य देशों की तरह, जितनी जल्द हो सके भारत को अधिक आर्थिक सहायता देने के लिये शीघ्र कदम उठाने पर जल्द विचार करने के लिये ब्रिटिश सरकार की तत्परता प्रकट की। मैंने श्री विल्सन को भारत आने का निमन्त्रण दिया है और उन्होंने इस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

मास्को में चेयरमैन कोसिजिन से एक बहुमूल्य विचार विमर्श हुआ जिसके दौरान हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिका और विशेष रूप से ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद की घटनाओं का पुनरावलोकन किया। जैसा कि सदन को मालूम है, पिछले बहुत से वर्षों से आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में भारत-सोवियत सहयोग में लगातार वृद्धि हुई है। कई योजनाएं इस समय रुसी सहायता से कार्यान्वित की जा रही है और इन योजनाओं की सूची में बिल्कुल हाल में बोखारों का इस्पात कारखाना भी शामील किया गया है। सोवियत संघ का हमारी चौथी योजना में मित्रता-पूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण रूप से दिलचस्पी लेना जारी है और मास्को में अपने वार्तालाप के दौरान हम इस बात पर सहमत हुए कि इस सम्बन्ध में हमारी जो प्रारम्भिक बातचीत हुई है उसे तेजी से जारी रखा जाय।

चेयरमैन और श्रीमती कोसीजिन ने इस वर्ष बाद में भारत में आना स्वीकार कर लिया है। इस से हमारे दोनों देशों को आपसी मित्रता और सद्भावना के सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का एक और सुअवसर प्राप्त होगा।

जबकि सदन का अधिवेशन हो रहा हो और हमें यहां बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना है तब मैं किसी थोड़े से समय के लिए भी भारत से दूर नहीं रहना चाहती थी, किन्तु जैसा कि सदन मानेगा हमारे कार्य आवश्यक होने के बावजद और अन्य राष्ट्रों की हमारे प्रति अन्तर्निहित मित्रता के बावजूद कभी कभी उन देशों के, जिन के साथ हमने सहयोग तथा एक दूसरे को समझने के घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं, नेताओं से निजी सम्पर्क करना आवश्यक है। मुझे पूरी आशा है कि मेरे इस विदेश दोरे के दौरान हुए वार्तालाप से न केवल से इन्हीं देशों के साथ--वरन् अधिक व्यापक राष्ट्र-कुल में भी-हमारी मित्रता और सहयोग के हित की वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय, अपने दस दिवसीय दौरे में मैंने भारत के प्रति बहुतायत से मित्रता तथा सद्भावना पायी तथा यह देखा कि भारत की विदेश-नीति के महत्व को और विकास के हमारे प्रयत्नों को अधिकाधिक समझा जा रहा है। मित्रता का इन व्यंजनाओं से हम संतोष और बल प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि भारतीय जनता के कठिन और दृढ संकल्प से किये गये परिश्रम और बलिदान का स्थान और कोई वस्तु नहीं ले सकती। संसार के राष्ट्र भारत के प्रयोग पर नजर लगाये हुए हैं और वे हमारे अपने प्रयास और त्याग की भावना के अनुरूप हमारा मान करेंगे तथा सहायता देने के लिए तैयार होंगे। यह वह काम है जिसमें--पहले की भांति--अब हमें इस निष्ठा और विश्वास के साथ जुट जाना है कि हमारी जनता में भारत के भाग्य का निर्माण करने की क्षमता है। धन्यवाद, महोदय।

श्री रंगा (चित्तुर) : अब चूंकि माननीय प्रधान मंत्री अपने विदेश के दौरे से वापस आ गई हैं, सभा को उनकी सफलता का मूल्यांकन करना चाहिये। मैंने किसी अन्य अवसर पर किसी अन्य देश के किसी प्रमुख व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण दौरे पर जाते समय मंत्रिमण्डल के सम्बद्ध सदस्यों को साथ न ले जाते हुये नही देखा है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हर प्रकार के वक्तव्य नहीं दिये जा सकते। माननीय सदस्य स्पष्टीकरण करा सकते हैं।

श्री रंगा : क्या यह तथ्य नहीं है कि खाद्यान्न सम्बन्धी सहायता जारी रखने तथा सदभावना दिखाने के कार्य के अतिरिक्त हमारे प्रधान मंत्री ने आर्थिक सहायता तथा विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कोई ठोस सुझाव नहीं रखे हैं और न राष्ट्रपति जौनसन ने ही कोई आश्वासन दिया है कि वह इन सब बातों को विश्व बैंक तक पहुंचा देंगे ? विश्व बैंक को इस सम्बन्ध में पता है परन्तु हमारे पास विश्व बैंक की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है हालांकि विश्व बैंक ने हमारे देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न इतनी देर तक चलेगा तो .....

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सभा की प्रक्रिया सम्बन्धी जो नियम है उनके अन्तर्गत इस प्रकार के भाषण अथवा वक्तव्य मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त नहीं हो सकते है। इस बारे में नियम संख्या 372 है जिसके अन्तर्गत मंत्री ही वक्तव्य दे सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब इस प्रकार का वक्तव्य हो तो कोई प्रश्न नहीं उठाये जा सकते। अन्य वक्तव्यों के लिये उसमें कोई उपबंध नहीं हैं। जहां तक चर्चा का सम्बन्ध है नियम संख्या 184 के अन्तर्गत लोक हित के विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा उठाई जा सकती है। इस नियम में निश्चित रुप से कहां गया है कि :

"संविधान या इस नियमों के अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक-हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि नियमों के अन्तर्गत ऐसे वक्तव्यों पर चर्चा नहीं उठाई जा सकती है परन्तु चूंकि ऐसी प्रथा रही है स्पष्टीकरण की अनमति दी जा सकी है जसी कि दो जाती रही है। प्रधान मंत्री ने अभी वक्तव्य दिया है और अब प्रत्येक सदस्य को अपना-अपना वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : इन रियायतों से सभा के बनाये हुये नियमों में निहित शिष्टता की भावना नष्ट हो गई है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि पुनर्विलोकन किया जाये और इस प्रकार की चर्चा को बन्द कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिनों पहले मैंने इस मामले को विनिश्चित किया था।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Under rule 355, a member means any member of the House, including the Minister, I will read the rule.

Mr. Speaker : I have read the rule. Shri Madhu Limaye has read out this rule on several occasions. You may not say about your point.

Dr. Ram Manohar Lohia : Under this rule, any member can ask questions for clarification of "another member" including the Prime Minister and other ministers. Hence Shri Ranga has full right to ask a question under rule 355.

Mr. Speaker : I do not agree with this. I have given rulings on this matter two or three times in the past also. Under this rule, Honourable members can put questions but through the speaker. No honourable member can address any other honourable member direct. This rule does not apply to a minister. It applies to those who are chairman of Committees. It also applies when specific information has to be obtained from an honourable member. I do not think there is any necessity of difference of opinion on this matter now. Shri Ranga may now put question.

श्री रंगा : क्या प्रधान मंत्री ने "वीमेन्स इन्टर्नेशनल लीग फार पीस एण्ड फ्रीडम" के ज्ञापन पर यह लेख कर हस्ताक्षर किये थे कि विएतनाम में अमरीकन नीति के कारण जो अमरीका का जो सम्मान घट रहा है उसको पुनः स्थापन किया जायेगा। क्या प्रधान मंत्री ने अभी तक इस का स्पष्टीकरण किया है अथवा नहीं ? क्योंकि इस पर उन्होंने उस समय हस्ताक्षर किये थे जब वह सूचना तथा प्रसारण मंत्री थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे दृष्टिकोण के बारे में भारत तथा अमरीका में सब को पता है और उसको संसार के किसी भी स्थान में स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जानसन तथा अमरीका की जनता को पता है कि हम विएतनाम में शान्ति चाहते हैं। अपने दौरे के परिणाम के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि शायद माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इसे सभा में मैंने बार बार कहा था कि

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

मैं सहायता प्राप्त करने के लक्ष्य से नहीं गई थी। मैं विशेषतया विभिन्न देशों के राजाध्यक्षों के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करमे के लिये बाहर गई थी। भविष्य में यदि हमें सहायता की आवश्यकता होगी तो भी यह सम्पर्क अच्छे सिद्ध होंगे।

श्री रंगा : प्रधान मंत्री ने अपने साथियों की कोई सहायता नहीं ली थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जाने से पहले मैंने अपने साथियों से परामर्श कर लिया था। यह संसद का बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन था अत: यह संभव नहीं था कि मंत्रीमण्डल के अधिक सदस्यों को साथ ले जाया जाता। हमारी आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को काफ़ी लाभ हुआ है। इसका समर्थन सारा देश करता है, चाहे श्री रंगा इस का समर्थन करें अथवा नहीं।

श्री दाजी (इन्दौर) : माननीय प्रधान मंत्री के दो वक्तव्यों ने बड़ी शंका उत्पन्न कर दी है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि चीन से मुख्यतया राजनैतिक खतरा है और वह विएतनाम में अमरीकन हितों तथा इरादों से सहानुभति रखती हैं। मैं इन दो वक्तव्यों का स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कहा था कि चीन से हमें केवल सामरिक खतरा ही नहीं है बल्कि भारत के सम्पूर्ण आदर्शों को खतरा है। भारत तथा चीन में जो आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में पद्धतियों हैं वह एक-दूसरे से भिन्न हैं। हमारे यहां लोकतंत्रात्मक प्रणाली है।

विएतनाम में अमरीका के जो लक्ष्य तथा हित हैं उनसे मेरा मतलब है कि हम विएतनाम में राष्ट्रपति जौनसन के शान्ति लिये सच्चे प्रयत्नों का सम्मान करते ह।

श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि मिज़ो विद्रोहियों को अस्त्र-शस्त्र दे कर, राजस्थान और पंजाब की सीमा पर सेना का जमाव करके अपने हाथियारों में चीन से मंगाये हुए हथियारों द्वारा वृद्धि करके तथा कश्मीर के बारे में ताशकंद समझौते के बावजूद भारत के विरूद्ध शत्रुतापूर्ण व्यवहार रख कर पाकिस्तान जान-बूझ कर ताशकंद घोषणा को भंग कर रहा है, क्या हमारे प्रधान मंत्री ने रूस के प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में सूचित किया है ? साथ साथ "प्रावदा" ने यह समाचार प्रकाशित किया है कि रूस के प्रधान मंत्री ने ताशंकद घोषणा के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों को तथ्यों से अवगत करा दिया है। क्या प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में भी रुस के प्रधान मंत्री से बात चीत की है ? यदि हां, तो रूस के प्रधान मंत्री द्वारा पाकिस्तानी, अधिकारियों को भेजे गये पत्र की क्या प्रक्रिया हुई है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : इस सम्बन्ध में श्री कोसिजिन से बात-चीत हुई थी और जैसा कि स्वंय माननीय सदस्य ने कहा है, उन्होंने इस बारे में पाकिस्तान से बात-चीत करने के लिये किसी को भेजा है। मुझे नहीं मालूम कि इस बात-चीत का क्या परिणाम निकला है।

Shri Bade (Khargone) **:** Did the honourable Prime Minister during her stay in the U.S.A., say that China had manufactured atome bomb? If so, what was their reaction? Did she also have a talk with the British Prime Minister regarding British propaganda against India during the recent Indo-Pak Conflict? What did the British Government say ?

Shrimati Indira Gandhi : Yes, I had a talk with Prime Minister Wilson. He told me that it was due to some misunderstanding that such a propaganda was made against India.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या माननीय प्रधान मंत्री यह बतायेंगी कि पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा को बराबर भंग किये जाने के सम्बन्ध में अमरीका का क्या रुख है ? क्या ऐसी आशा है कि अमरीका भारत को हथियार सम्बन्धी सहायता पुनरारंभ करेगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सम्बन्ध में बात चीत हुई थी। ताशकंद घोषणा को भंग किये जाने पर अमरीकी अधिकारी प्रसन्न नहीं हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farruckhabad) : The honourable Prime Minister has just said that she would appreciat the ideas of President Johnson regarding the Vietnam problem. The joint communique also says that President Johnson wants to maintain peace and independence in Viet Nam. Did the honourable Prime Minister had any talks with the U.S.S.R. Prime Minister ? If so, why any joint communique was not issued this time ?

Shrimati Indira Gandhi : I had an informal meeting with him. I had stayed in Moscow for a very short period and the question of issuing joint communique does not arise at all.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Did the honourable Prime Minister also had any exchange of views with President Johnson on the question of a plebiscite in Kashmir ? If so, have their stand since changed or it is still the same as was before ?

Shrimati Indira Gandhi : I had communicated to him the opinion of our Government and that of our people and told him that a plebiscite was not possible in Kashmir ?

श्री कन्डप्पन (तिरूचेंगोड़) : क्या माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति डिगाल से बात-चीत के दौरान विएतनाम के बारे में कोई चर्चा की थी और क्या चीन और पाकिस्तान के बीच सैनिक साठ-गांठ बारे में भी कोई चर्चा हुई थी ? यदि हां, तो राष्ट्रपति डिगाल की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति डिगाल से बात चीत हुई थी और उनके विचारों के बारे में सभा को पता है। चीन और पाकिस्तान की साठ-गांठ के सम्बन्ध में उन्होंने कोई विचार प्रकट नहीं किये।

Dr. Ram Manohar Lohia : So the talks were held on old and backneyed issues.

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTIONS TO COMMITTEES

(1) प्राक्कलन समिति

श्री अ० चं० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित नीति से, 1 मई 1966 से अरम्भ होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई 1966 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से तीस सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

(2) लोक लेखा समिति

श्री मुरारका (झुनझुनू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1966 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1966 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से पन्द्रह सदस्य चुनें !"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री मुरारका : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1966 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिये राज्य सभा के सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1966 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये इस सभा को लोक-लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिये राज्य सभा के सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो और राज्य सभा द्वारा नाम-निर्देशित किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

बस्तर ज़िले के अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति के बार में प्रस्ताव

MOTION RE: SITUATION IN SCHEDULED AREAS OF BASTAR DISTRICT

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे । इस संदर्भ में मुझे कुछ बातें कहनी हैं ।

जैसा कि सदस्य जानते हैं इस चर्चा की अनुमति नियम 188 के परन्तुक के अन्तर्गत दी गई है । उक्त नियम में यह उपबन्ध किया गया है कि साधारणतया किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जो किसी जाच आयोग के विचाराधीन हो । परन्तु चूंकि यह एक लोक-महत्व का विषय है अतः उक्त नियम के परन्तुक के अन्तर्गत मैंने अपने स्वविवेक से इस विषय को सभा में उठाने की अनमति दे दी है । इस परन्तुक के अन्तर्गत हम केवल प्रक्रिया, विषय और मामले की वर्तमान अवस्था पर चर्चा कर सकते हैं । परन्तु जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है कि ये मौतें कैसे हुई, इस के लिये कौन ज़िम्मेदार है और इसका प्रयोजन क्या था, हम इन के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हम प्रयोजन पर तो चर्चा कर सकते है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का पता लगाना तो जांच आयोग का काम है। जब तक तथ्यों का पता नहीं लग जाता तब तक हम उनपर चर्चा नहीं कर सकते है। हम न्यायपालिका में विश्वास रखना चाहिये और न्यायाधीश पर अथवा न्यायपालिका पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिये। हां, ऐसी बातें अवश्य कही जा सकती हैं कि जांच आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाये, इस के निर्देश-पदों में परिवर्तन किया जाय, प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाये, आदि। मुझे आशा है कि चर्चा करते समय सदस्य मेरी ये बातें ध्यान में रखेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन यह है कि हम आप द्वारा निर्धारित की गई उक्त सीमाओंसे तो पूर्णतया सहमत हैं परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह एक बहुत ही दुःखद घटना थी, चर्चा के लिये नियत किये गये समय को बढ़ाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के नेता से पुछूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, Sir, we should have the right to discuss the political responsibility in this matter.

Mr. Speaker : I do not think so.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : क्या हम यह कह सकते हैं कि न्यायाधीश मुख्य मंत्री का सम्बन्धी है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, भाषणों में इस का उल्लेख किया जा सकता है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : From the reports published in the newspapers in respect of what happened in the other House, it can be observed that no such limitations were prescribed there. What would be the use of this discussion if we are not allowed to discuss as to how that situation arose, why they had to resort to firing and how the death bodies were removed and concealed. We want to express our views before the commission but our views would not reach him. The views which we will express here in this House, might reach the commission in the form of a request.

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : केवल आप ही चर्चा की सीमा पर प्रतिबन्धों के बारे में कुछ कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपत्ति की गई है कि गृह-कार्य मंत्री ने दूसरी सभा में समाचार पत्रों में छपी कुछ बातों का उल्लेख किया था परन्तु जहां तक मेरे प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है यह ग्राह्य नही होगा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : राज्य-सभा के नियम भिन्न हैं। वहां पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। परन्तु राज्य-सभा के नियमों में जो उपबन्ध हैं यहां के नियमों के उपबन्धों से भिन्न हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : यदि सभा गैर-सरकारी कार्य पर चर्चा नही करना चाहती है तो इस प्रस्ताव के लिये समय में वृद्धि करने में मुझे कोई आपत्ति नही है।

अध्यक्ष महोदय : एक सुझाव यह दिया गया है कि गैर-सरकारी कार्य पर विचार एक घंटा और बाद में आरम्भ किया जाय।

श्री सत्य नारायण सिंह : यदि सभा को यह स्वीकार है तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस से सहमत है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने ठीक ही कहा है कि नियम 188 के अन्तर्गत इस प्रस्ताव पर चर्चा की व्याप्ति सीमित है । इस के साथ साथ हमें जांच आयोग अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को भी पढना होगा जिस के अन्तर्गत यह आयोग नियुक्त किया गया है । सभा इस विषय पर बिल्कुल चर्चा ही नहीं कर सकती । चूंकि केन्द्रीय सरकार और इस सभा का इस आयोग से अब कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः इस विषय पर इस सभा में चर्चा नहीं उठाई जा सकती ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : इस चर्चा की अनुमति नियम 184 और नियम 188 के परन्तुक के अन्तर्गत दी गई है । चर्चा की व्याप्ति पर प्रकाश डाल कर आप ने ठीक ही किया है । जो बातें अध्यक्ष महोदय ने कही हैं यदि उनको सभा स्वीकार कर लेती है तो स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा करते समय न्यायाधीश, मुख्य मंत्री तथा आयुक्त के विरूद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें अपनी न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिये ।

राज्य-सभा में जो कुछ हुआ उसे समाचारपत्रों में पढ़ कर मुझे बहुत दुःख हुआ, परन्तु राज्य-सभा में जो कार्यवाही हुई है उसमे हमारा कोई सरोकार नहीं है ।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : क्या स्वर्गीय महाराजा के बारे में हम कुछ कह सकते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि मुझे बोलने दिया जाय तो मैं कई बातें कहना चाहता हूं ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : गृह-कार्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उस पर चर्चा करने से यह नियम हमें नहीं रोकता है ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : हमें ऐसे प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिये जिनमें नियम 188 प्रभाव-शून्य हो जाय । चर्चा की व्याप्ति के बारे में स्थिति यह है कि यदि आपका समाधान हो जाय कि इस चर्चा से जांच आयोग के विचाराधीन मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा तो हम इस सीमा तक इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं ।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : There is no point of order. Let me regulate the debate. If any objectionable thing crops up later on, the hon. Members might draw my attention to that.

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले के अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी लोगों के लिये, जो वहां बहुत अधिक संख्या में हैं, कल्याणकारी उपायों की उपेक्षा किये जाने के कारण उन में लम्बे अर्से से विद्यमान अशान्ति एवं असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाय ।"

हाल ही की दुःखद परिस्थितियों में मारे गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में भिन्न भिन्न समाचार मिले हैं । कुछ लोगों का विचार है कि केवल 20 व्यक्ति मरे हैं । इन लोगों में गृह-कार्य मंत्री भी शामिल हैं । यह भी अफवाह है कि 100 व्यक्तियों से भी अधिक व्यक्ति मारे गये हैं । मैं स्वर्गीय महाराजा भंजदेव तथा उन अन्य व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के लाखों आदि-वासियों, पिछड़े तथा अनुसूचित वर्गों के लिये अपने जीवन की आहुति दी है ।

भूतपूर्व महाराजा मुख्य रुप से अपने लोगों के कल्याण के लिये चिंतित थे । उन्हें आशा थी कि स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात वहां के लोगों के लिये वास्तव में स्वशासन होगा और उन्हे स्वराज्य

का लाभ प्राप्त होगा । परन्तु उनकी इन सब आशाओं पर पानी फिर गया और उनके स्वप्न अधुरे रह गये । आरम्भ में तो वह कांग्रस में शामिल हुए परन्तु जब उन्होंने देखा कि काग्रेस सरकार उन से न्याय नहीं करेगी तो उन्होंने इस को छोड़ दिया । वह स्वतंत्र रहना चाहते थे तथा अपने क्षेत्र में जहां उनका अपने लोगों पर काफी प्रभाव था और जहां लोग उन्हें एक देवता मानते थे उन्होंने कांग्रेस को एक चुनाव भी जीतने नहीं दिया । उनके विरूद्ध शिकायत का वास्तव में यही मुख्य आधार था ।

श्रीमान् हमारा देश में बहुत बुराइयां हैं । परन्तु सब से बड़ी व्याधि यह है कि आज हमारे पास महात्मा गांधी जैसा नेता नहीं है । यही कारण है कि पिछले पांच सप्ताहों में देश भर में संकट उत्पन्न हो जाने के कारण पांच स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हैं ।

बस्तर में जो कुछ हुआ है उसके बारे में सरकार अपनी अनभिज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती है । यह स्थिति सरकार द्वारा अपने कर्त्तव्य की नितांत उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुई है । वहां पर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं । इन्होंने न केवल इन दुर्भाग्यपूर्ण, अल्प-विकसित और अशिक्षित आदिवासियों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों की उपेक्षा ही की है परन्तु वे अपनी जिम्मेदारियों को ही बिल्कुल भूल गये हैं । गृह-कार्य मंत्री ने भी यह ज़िम्मेदारी अपने साथी योजना तथा समाज कल्याण मंत्री पर डाल दी है । इन लोगों के कल्याण के बारे में संविधान में जो उपबन्ध हैं उनकी उपेक्षा करके सरकार ने उस क्षेत्र के प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा नही किया है । इस के विपरित गृह-कार्य मंत्री कहते हैं कि यह कार्य समाज कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया है । यह कितनी लज्जाजनक बात है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान्, जहां तक जिम्मेदारी का सम्बन्ध है, यह बिल्कूल सही है कि अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से सम्बन्धित कार्य समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है । अतः मैं ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो गलत हो ।

श्री रंगा : उस क्षेत्र के कल्याण में वहां के लोगों के नेता का संरक्षण भी शामिल है । इन लोगों ने सरकार को बार बार अभ्यावेदन भेजे । परन्तु इन अभ्यावेदनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । एक बार जब प्रधान मंत्री वहां का दौरा करने गये थे । चूंकि भूतपूर्व महाराजा को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी । अतः वह प्रधान मंत्री का अभिवादन न कर सके । परन्तु तत्पश्चात यह शिकायत की गई कि उन्होंने प्रधान मंत्री का अपमान किया है । इसे भी एक बड़ा अपराध माना गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह महिडा (आनन्द) : यह सही नहीं है । जब राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद वहां गये थे तब भी शासक ने उनका अभिवादन करने से इन्कार कर दिया था ।

श्री रंगा : मैं अपनी भूल सुधारने के लिये तैयार हूं परन्तु क्या यह कोई अपराध है । वे इसे अपराध मानते हैं । अब नागाओं ने विद्रोह किया है । उन के नेताओं को तो दूसरी बार दिल्ली आने के लिये आमन्त्रित किया जा रहा है । परन्तु महाराजा द्वारा यह कहे जाने के कारण, कि वह एक स्वतंत्र नरेश हैं, वह अपने लोगों के लिये स्वशासन चाहते हैं; उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा था । जब भी उन्होंने अपना अभ्यावेदन भेजा, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । स्थानीय कलक्टर उनके साथ दुर्व्यवहार करत रहे । तत्पश्चात पुलिस उन के तथा उन के लोगों के पीछे बुरी तरह पड़ गई । यद्यपि सरकार ने महाराजाओं को आश्वासन दिया था कि उनका संरक्षण करना राज्य की ज़िम्मेदारी होगी । परन्तु जब उन्होंने राज्य स्तर पर तथा ज़िला स्तर पर विद्रोह किया तो उन के विरूद्ध मुकदमे चलाये गये । तत्पश्चात उन्हें महाराजा के पद से हटा दिया गया । इसके भाई को महाराजा की पदवी दे दी गई । ऐसे व्यवहार के प्रति उनकी चाहे कैसी ही भावना क्यों न रही हो उन्होंने अपनी भावनाओं की कुछ परवाह नही की परन्तु उन्होंने अपने लोगों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा ।

भारत के कई भागों में सूखा पड़ा हुआ है और खाद्य-पदार्थों की कमी बनी हुई हैं । भारत सरकार अन्य स्थानों पर शीघ्र अनाज भेज रही है परन्तु वह बस्तर के निस्सहाय लोगों के प्रति अपना कर्त्तव्य

[श्री रंगा]

निभाने के लिये तैयार नहीं है । बस्तर केरल राज्य जितना बड़ा है । इस की जनसंख्या केवल 11 लाख है । ये साधारण लोग हैं । न ही इन के पास अधिक सम्पत्ति है और न ही अधिक भूमि है । सरकार ने केवल 100,000 एकड़ भूमि उन को दी है जिस पर 9 लाख व्यक्ति निर्भर हैं । जहां तक साक्षरता का सम्बन्ध है, 3500 गांवों के लिये केवल 287 प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं । फिर कहा जाता है कि महाराजा ने पिछले 100 वर्षों में कुछ नही किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने वहां पर कौन से चार चांद लगा दिये हैं । तीन योजनाओं में सरकार ने 6.8 करोड़ रुपये राशि नियत की जिस में से केवल 83 लाख रुपये खर्च किये गये । इस समय बस्तर की यह दशा है और इसका कारण यह है कि सरकार अपना कर्त्तव्य पूरा नही कर रही है ।

सरकार की ओर से कहा गया है कि बिजली लगाने पर हमने लगभग एक करोड़ रुपया खर्च किया है । परन्तु बिजली केवल जगदलपुर में ही लगाई है और कहीं नहीं । अन्य देहातों को केवल मिट्टी के तेल पर ही गजारा करना पड़ रहा है ।

जहां तक सड़कें बनाने का सम्बन्ध है उन्होंने दावा किया है कि हमने 117 मील के क्षेत्र पर सड़के बनाई हैं । परन्तु इन के बनाने का खर्च किस ने वहन किया है । आदिम जाति लोगों ने इन सड़कों का खर्च वहन किया है ।

बस्तर पहला ही स्थान नही है जहां सरकार को असफलता मिली है । उनसे नागा पहाड़ियों, मिजो पहाड़ियों आदि में भी असफलता मिली है। परन्तु बस्तर में केवल अन्तर इतना ही था कि जब उन्होंने देखा कि गत अठारह वर्षों में उनके क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है तो वे इकट ठे हो गये । वहा पर प्रशासन व्यवस्था भी उचित नहीं थी ।

बस्तर में सरकार की असफलता से लोकतंत्र के नाम को धब्बा लग गया है । इस लिये वहां की दुःखद घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार को उन लोगों के लिये कुछ उपाय करने चाहिय । उनको मध्य प्रदेश सरकार के कड़े प्रशासन से हटा कर केन्द्रीय सरकार के अधीन कर देना चाहिये । परन्तु यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी और वर्तमान नीति का अनुसरण करती जायेगी तब तो एक नहीं बल्कि कई बस्तर बन जायेंगे । मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमें उन से बचाये ।

मैं विरोधी दल के सदस्यों को एक चुनौती देना चाहता हूं कि जब महाराजा जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तब आम जनता की क्या दशा हो सकती है, इस बारे में विचार किया जाना चाहिये । दूसरे उसने अपराध भी क्या किया था ? उसका अपराध यही था कि उसने सरकार के कुप्रशासन के लिये सरकार को चुनौती दी थी । वह लोगों का इतने वर्ष देवता बना रहा, उसने लोगों को इकट्ठा किया और उनका नेता बना । बस्तर के उन गरीब लोगों की यह शान है कि उन्होंने इस प्रकार विद्यमान स्थिति सहन करने से इंकार कर दिया । अतः हमारे लिये यह चुनौती है । वहां के मुख्य मंत्री की 25 पुलिस वाले रक्षा करते हैं । मुझे पता नहीं हमारे प्रधान मंत्री अथवा अन्य मंत्रियों के हाथ कितने पुलिस वाले रक्षा के लिये होते है । यह पुलिस भी अब लोगों का संरक्षण करने वाली पुलिस नहीं रही है । पुलिस तो आजकल राजनीतिक पुलिस बन गई है और सत्तारूढ़ लोगों के हित के बारे में ही सोचती है । दूसरा उसका यह उद्देश्य होता है कि विरोधी दल को कमजोर किया जाये । अतः यह घटना विरोधी दल के लिये चुनौती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री बड़े : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता पार्टी के नेता ने जो तर्क प्रस्तुत किये है वे बस्तर में मारे गये लोगों के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस प्रशासन के विरुद्ध हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मेरे विचार से यदि वह कभी प्रधान मंत्री बन गये होते तो वह भी वही उपाय करते जो वर्तमान प्रशासन ने किये हैं । म तो केवल उनके उचित प्रश्नों का उत्तर ही दूंगा ।

उनका अन्तिम प्रश्न यह था कि केन्द्र को बस्तर राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये और यह संघ राज्य क्षेत्र होना चाहिये । उनका यह सुझाव ठोस है परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके इस सुझाव से लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा । इस से लोकतन्त्र तथा सुप्रशासन को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । हमने संघ सरकार प्रणाली अपनाई है जिससे लोग अपने कार्य स्वयं कर सकें ।

इस संदर्भ में मै यह बताना चाहता हूं कि हमने देश को अधिकतर भाषा के आधार पर ही विभाजित किया हुआ है । य राज्य भी इतने बड़ हैं कि कई मंत्री और राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों का दौरा नहीं कर पाते ह । मुझ पता लगा है कि बहुत से मंत्रियों ने बस्तर का दौरा नहीं किया हैं । इसलिये यदि उनका यह सुझाव हैं कि हमें सभी राज्यों को फिर से बनाना चाहिये ताकि प्रशासन में सुधार हो सके तब तो और बात है परन्तु यदि वह राज्यों को छोटे छोटे राज्य बनाना चाहते हैं तथा उन्हें संघ राज्य क्षेत्र बनाना चाहते हैं तब तो यह लोक तंत्र के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है । दूसरे यदि केन्द्र की शक्तियां और उत्तर दायित्व बढ़ गया तो प्रशासन पर अवश्य ही कुप्रभाव पड़ेगा । भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के सीधे उत्तरदायित्व को केन्द्र द्वारा लिये जाने का विचार लोकतंत्र के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है । अन्त में प्रत्येक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र को एक अथवा दूसरे निकटवर्ती राज्य में शामिल किया जायेगा इसी आशय से हम यह स्थिति सहन करते जा रहे हैं । अत: श्री रंगा का यह सुझाव लोकतंत्रात्मक ढांचे के विरुद्ध है । यदि भोपाल बस्तर पर अच्छी तरह प्रशासन नहीं कर सकता तब दिल्ली जो कि भोपाल से दुगुनी अथवा तिगुनी दूर है भोपाल पर कैसे प्रशासन कर सकती है । इस लिये यह सुझाव न तो लोकतंत्रात्मक है और नहीं बस्तर के लोगों के लिये लाभकारी है ।

श्री रंगा ने नागाओं के बारे में भी उल्लेख किया था । परन्तु उस से तो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के कथन का समर्थन होता है । मुख्य मंत्री ने कहा था कि राजा और उसके अनुयायी विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे । इस लिये हमें मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा तुरन्त कार्यवाही करने और महाराजा तथा उनके अनुयायिओं की गतिविधियों के बारे में पहले ही अनुमान लगा लेने पर उनकी प्रशंसा करनी चाहिये ।

बस्तर की उपेक्षा नहीं की गई है । पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारत सरकार ने उस क्षेत्र के आदिवासियों की दशा सुधारने पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किये थे । तीसरी योजना में उस क्षेत्र के लिये 6.79 करोड़ रुपये नियत किय गये हैं । अत: कुल राशि 11.79 करोड़ रुपये हो जाती है । यह कोई कम राशि नहीं है । दूसरे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण कमयां केवल बस्तर में ही नहीं हैं । तथाकथित उन्नत क्षेत्रों में भी हर एक गांव में बिजली की व्यवस्था तथा स्कूल व कुए आदि नहीं है । इस लिये यदि हम बस्तर की तुलना भारत के अन्य भागों से करें तो यह कहना उचित नहीं है कि उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है । अत: यह कहना बिल्कुल गलत है कि उपेक्षा के कारण लोगों ने विद्रोह किया था । वहां के लोगों ने विद्रोह सुविधाओं के अभाव के कारण नहीं किया था बल्कि उनके सामने विभिन्न विचारधारायें थी । सभा के सदस्यों को जिन्होंने देश की अखण्डता बनाये रखने की शपथ ली हुई है बस्तर अथवा नागालैण्ड या मिजो पहाड़ियों में किये गये आन्दोलनों का समर्थन नहीं करना चाहिये ।

विरोधी दल के लोग तो ऐसी घटनाओं का लाभ उठाना ही चाहते हैं । परन्तु ऐसा लाभ उचित ढंग से उठाया जाना चाहिये । उन्हें सरकार की कमियों को बताना चाहिये । परन्तु बस्तर में तो सरकार सफल रही है । सरकार ने वहां पर तुरन्त कार्यवाही की और जांच आयोग नियुक्त कर

[श्री हनुमन्तैया]

दिया । मैं जांच आयोग के बारे में एक बात स्तष्ट बताना चाहता हूं । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह आयोग अपनी मंशा से नहीं बनाया था । उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सलाह ली थी । तब मुख्य न्यायाधिपति ने यह नाम रखा और घोषणा की । अब यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिये । निश्चय ही तब भारत के मुख्य न्यायाधिपति पूछेंगे कि जब पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्त किया जा चुका है तो इस की क्या आवश्यकता है । परन्तु उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश बिना दोष सिद्ध किये किसी न्यायाधीश पर शक नहीं करेगा । इस लिये न्यायाधिकरण में हम जिसे चाहे नियुक्त नहीं कर सकते हैं । अत: किसी पर शक करना ठीक बात नहीं है । दूसरे यह जांच गुप्त रूप से नही की जायेगी । उत्पीड़ित लोग योग्य वकील कर के साक्षियों से जिरह कर सकते है । आदिवासियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता भी मिल सकी है । इन बातों के अलावा जब जांच आयोग प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा हम उस पर चर्चा कर सकते हैं । हमारे विचार भिन्न भी हो सकते हैं । हम सरकार के जरिये प्रतिवेदन के निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हैं । हमारे पास आयोग के प्रतिवेदन पर अपील करने का अधिकार है ।

श्री दाजी (इंदौर) : मुझे इस प्रस्ताव पर बोलते हुए बहुत दु:ख हो रहा है । इस का कारण यह है कि मुझे बस्तर के लोगों की दुखद कहानी के बारे में बोलना है । बस्तर का क्षेत्रफल 13,000 वर्ग मील है और वहां की संख्या 16 लाख है । अर्थात्, वह केरल राज्य से भी बड़ा है । बस्तर के लोगों की कहानी शोषण की कहानी है । वहां के आदिवासियों का हमेशा शोषण किया गया है, उन पर जुल्म ढाये गये हैं और विधि तथा व्यवस्था के नाम पर उन के साथ नृशंस अपराध किये गये हैं । वहां पर जो कुछ हुआ है वह स्वतत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व अपराध है ।

अब हमें यह देखना है कि इन सब बातों की पृष्टभूमि क्या है । हमें यह देखना है कि हमने बस्तर के लोगों के लिये क्या किया है । बस्तर में कोई रेलवे लाइन नहीं है । निकटतम रेलवे लाइन 180 मील दूर है । वहां पर परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर आधुनिक सभ्यता क्या कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है । वहां पर अब भी ऐसे भाग हैं जहां आदिवासी धन का प्रयोग करना नहीं जानते । उनका जीवनयापन ऐसा है जैसे कई वर्ष पुराना हो । वहां की विद्यमान परिस्थियां स्वतंत्र भारत के लिये एक कलंक है । सरकार के लिए जोकि इस के लिये उत्तरदायी है यह शर्म की बात है । वहां की स्थिति का मैं एक उदाहरण दूंगा । वहां के आदिवासी प्राय: मेवों का व्यापार करते हैं । तब वे उन्हें बाजार में बेचने आते हैं तो ठेकेदार लोगों उनको उतना नमक तौल कर दे देते हैं । वहां की यह हालत आज 1966 में हैं जबकि स्वतंत्रता प्राप्त किये हमें 18 वर्ष हो चुके हैं । वे इतने पिछड़-पन की दशा में रह रहे हैं । इसलिये यदि उनका किसी महाराजा की शक्ति में विश्वास था तो यह कोई विचित्र बात नहीं है । इसका कारण यह है कि हम उन्हें ऐसी परिस्थितियों से निकाल नहीं पाये हैं । वहां के आदिवासियों को उचित मूल्य मिलाने के लिये भी कोई तरीका निकाला नहीं गया है ।

बस्तर की कहानी इस प्रकार है । स्वर्गीय महाराजा को 1947 में महाराजा बनाया गया था । 1957 में वह काँग्रेस में आ गये । तब वह मेरे साथ विधान सभा के सदस्य चुने गये । उस समय हम महाराजा का समर्थन नहीं कर रहे थ बल्कि काँग्रेस कर रही थी । तब उन्हें कहा गया कि तुम्हारी जायदाद वापिस कर दी जायेगी परन्तु यह वचन पूरा न किया गया । अत: उन्होंने काँग्रस से त्यागपत्र दे दिया । 1962 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को पराजित किया । तब उन्हें अकस्मात नज़रबन्द किया गया परन्तु उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उन्हें नज़रबन्द करना मान्य नहीं है । तब उन्हें रिहा करना पड़ा । तब 1962 में कांग्रस को उस क्षेत्र से एक भी चुनाव जीतने की आशा नहीं रही क्योंकि वहां पर महाराजा की देवता के समान पूजा की जाती थी । अत: काँग्रेस ने महाराजा के छोटे भाई को उस के विरुद्ध खड़ा किया और लोगों से कहा कि उसकी देवता के समान पूजा की जाये । रायपुर के बाजार में सभी को पता है कि नया महाराजा क्या था और क्या किया करता था । आदिवासियों

को आदेश दिया गया कि वे उसकी देवता भांति पूजा करें परन्तु आदिवासियों ने कहा कि "वह हमारा महाराजा हो सकता है परन्तु हम उसे देवता नहीं कहेगें।" तब यह संघर्ष चलता रहा कि देवता कौन है और देवता के समान किस की पूजा की जाये। तब प्रति वर्ष दशहरे तथा रामनवमी के दिनों में महाराजा दरबार लगा सकता था। जब नया महाराजा बनाया गया तो कांग्रेस ने लोगों से आग्रह किया कि वे नये महाराजा की देवता के समान पूजा करें। परन्तु लोगों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। इस कारण वहां अत्याचार आरम्भ किया गया और महाराजा की पूजा के लिये रामनवमी के अवसर पर आदिवासियों के वहां इकट्ठा होने पर यह घटना हुई। अतः मेरा सुझाव है कि वहा पर यह देवता की पूजा का संघर्ष समाप्त होना चाहिये। वहां पर झगड़े की जड़ यही थी।

यह कहना कि बस्तर की गड़बड़ मिजों तथा नागालैण्ड की भांति है जले पर नमक छिड़कने के समान है। इस में कुछ भी सच्चाई नहीं है।

इस घटना के दो दिन पूर्व आदिवासियों ने आयुक्त को याचिका भेजी थी कि हमें खराबी होने की अशंका है। तब वह काँग्रेस के नेता के पास गये और उससे चावल की मांग की। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विद्रोह की निशानी है ? यदि यह विद्रोह था तो सभा को सूचित क्यों नहीं किया गया तथा सेना से सहायता क्यों नहीं मांगी गई। इस लिये यह कहानी तो मेरी समझ में नहीं आती।

अब जांच करने के लिये आदेश दे दिया गया है। परन्तु मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के कारण कुछ नहीं कहना चाहता हूं फिर भी यह अवश्य कहूं कि यह बात रिकार्ड में आनी चाहिये कि केवल अध्यक्ष के विनिर्णय के कारण ही हमें जांच आयोग की नियुक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर सके।

जांच तो केवल आँख में धूल डालने के समान है। वहां पर आंतक फला हुआ है। वकील लोग भी इस बारे में बातचीत करते नहीं देखे जाते है। अच्छे से अच्छा न्यायाधीश भरसक प्रयत्न करने पर भी ठीक स्थिति नहीं समझ सकता। आदिवासी लोग अपनी पैखी नही कर सकेंगे। अतः मेरा सुझाव है कि उनकी सहायता के लिये एक स्वतंत्र अभिकरण स्थापित किया जाना चाहिये। इस का लाभ यह होगा कि वे जांच आयोग के समक्ष अपनी पैखी कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि वहां किसी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। वही के वही अधिकारी वहां पर है जिन्हों ने उसे मारा था। ऐसी हालत में जांच में कैसे विश्वास किया जा सकता है।

बस्तर जिले का प्रशासन भी केन्द्रीय सरकार को ले लेना चाहिये। यदि वहां के लोगों में विश्वास पैदा करना है तो ऐसा करना नितान्त आवश्यक है।

अन्त में मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों का बदला चुकाने के लिये हम ने शपथ ले ली है और हम चुका कर रहेंगे।

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : Shri Daji has used the words as is the habit of his party to use. There is nothing new in it. But the sentence that he has used at the end of his speech namely that they are prepared to avenge it with interest, compound interest etc. requires consideration.

I am as much distressed at the happenings in Baster as my other friends. The Chief Minister of Madhya Pradesh has also expressed his sarrow and has ordered for the enquiry. The Government and people of Madhya Pradesh have all the sympathies for the Adivasis. Already Government have the plans for the development of that area. They are taking full interest in the welfare and progress of the Adivasis.

As Shri Daji has said it is true that there are no roads, railway system and that schools there are in less number. But it is not true that these things have not been taken careof. In First, Second and Third Five years Plans more money

[Shri Radhelal Vyas]

was spent for the development of that area as compared to any other area in that state. The Government have been doing its best for the development of that area within its limitations of financial resources. It does not mean that we are satisfied with the efforts being made for the development of that area. We want that more efforts should be made and more money should be spent for the development of that area. It is good that members of the opposition parties are also showing interest today in the welfare of the Adivasis but no one raised the voice for them hence before.

So far as the firing is concerned, the Madhya Pradesh Government have already set up an Enquiry Commission. Therefore, it is not proper to say that there was massacre in Bastar. At the time when enquiry is going on it is against all cannons of democracy to utter such irresponsible words.

Only thirteen persons have been killed in Jagdalpur—12 Adavasis and one head Constable. These figure have been quoted by the Chief Minister of Madhya Pradesh in Assembly. Exaggerated figures are being quoted for the sake of propaganda. For the last few years efforts are being made to incite the adivasis to indulge them in lawlessness activities.

Shri Bade (Khargone) : As I had been there in the Baster recently I am fully aware of the situation. Nothing has been done to improve the condition of the Adavasis during the last 18 years. Government have not taken the people of that area in confidence.

Famine conditions are prevailing in that area Rice is absolutely not available there. But even under such bad and difficult conditions one percent levy is being charged from the people. Officers responsible for collecting the levy are treating the persons in a most inhuman manner.

The Adivasis gathered in the palace for the celebration of Navratri and not for any rebellion. It is wrong to say that situation like Mizo Hills or Nagaland has developed there. Shri Bhanjadeo wrote to Chief Minister for the transfer of the Chief Commissioner who have been there for the last so many years. But no action has so far been taken in this connection. These people are demanding food but they are being beaten with shoes. In fact today police is supreme there. I would therefore suggest that my motion regarding sending of a Parliamentary delegation to take the first hand knowlege of the situation may be accepted.

श्री फतेहसिहराव गायकवाड (बड़ौदा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के दौरान बहुतही ऐसी बाते कहीं गई जो कि नहीं कही जानी चाहिये थीं। जगदलपुर की दु:खद घटनाओं से लोगों तथा विशेषकर सद: सदस्यों के ह्रदय बहुत क्षुब्ध है । तुरन्त जाच कराने की घोषणा करके सरकार ने विरोधी दल को ऐसी जाच कराने के क्षेत्र से वंचित कर दिया है । विरोधी दल राज्य सरकारों की आलोचना से कभी नही चुकते । यदि राज्य सरकारें तुरन्त जाच कराती है तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ऐसा अपने बुरे कामों पर पर्दा डालने के लिये किया है और यदि वे जाच कराने में कुछ देरी कर देती है तो उनको निष्ठुर तथा असांवधान कहा जाता है । यदि विरोधी दल यह कहना चाहते हों कि जगदलपुर की घटना पर वे हम से अधिक चिंतित है तो यह उनकी भूल है । हमारा दल अपनी जिम्मेदारी को पुरी तरह महसूस करता है और प्रत्येक चुनाव में लोगों ने इस दल का समर्थन किया है । निकट भविष्य में किसी भी विरोधी दल के इस देश पर शासन करने की सम्भावना नहीं है ।

मेरे दल पर आरोप लगाया गया है कि उसने एक राजनैतिक कत्ल किया है । यदि यह बात है तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रवीण चन्द्र भंजदेव तथा दूसरे आदिवासियों की हत्यासे कांग्रेस को किस प्रकार लाभ होने वाला है । मैं विरोधी पक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि कल मैं टक्सी चालकों के संघ का संसद भवन के सामने प्रदर्शन करता हूं और वह प्रदर्शनी हिंसात्मक रवैया अपना लेती है और इसके परिणामस्वरुप वहां पर गोली चल जाती है तथा मुझे गम्भीर चोट आ जाती है तो उस समय मेरी क्या स्थिति होगी ?

श्री दाजी : यदि आपकी हत्या आपके घर में कर दी जाये तो फिर क्या स्थिति होगी ? उनको उनके घर के ड्राइंगरुम में गोली मारी गई है । केवल यही फर्क है ।

श्री फतेहसिंहराव गायकवाड : मैं श्री रंगा की यह मानता हूं कि उनको संरक्षण देना गृह-कार्य मंत्री का कर्तव्य था। परन्तु यदि मै कोई प्रदर्शन कराता हूं और वहां पर ऐसी घटना घट जाये तो क्या संरक्षण मांगना ठीक होगा.....(**अन्तर्बाधा**)

सच यह है कि जगदलपुर में जो कुछ हुआ ऐसा पुनः नहीं होना चाहिये। इस सारे मामले की जांच की जा रही है और देश इसके फसले की प्रतीक्षा कर रहा है । मैं गृह-कार्य मंत्री से अपील करता हूं कि चाहे जो कुछ भी फैसला हो वह जल्दी से जल्दी बतायें। यदि यह बात सिद्ध हो जाये कि सरकारी अधिकारियों ने ज्यादती की है तो उनको कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये ।

यह सच है कि बस्तर जिले में स्थिति असंतोषजनक है । उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है । उस क्षेत्र का विकास नहीं किया गया है । इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूगा कि वह बस्तर के विकास पर तुरन्त ध्यान दे ।

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी (जोधपुर) : महाराजा बस्तर, श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव के साथ भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार ने जो अनुचित व्यवहार किया है उसके लिये सभा बहुत चिन्तित है। वतमान घटना बहुतसी घटनाओं की समारित है ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि न्यायपालिका तथा किसी विशेष न्यायाधीश के बारे में बिना आधार कुछ कहना ठीक नहीं है । परन्तु प्रश्न केवल न्यायाधीश की सदभावना या ईमानदारी का ही नहीं है बल्कि इस प्रश्न के लिये ऐसा जांच आयोग बनाने का है जिसको कि समूचे राष्ट्र का आदर प्राप्त हो और इसके लिये भारत सरकार को इस प्रकार कार्य करना चाहिये जिससे उस में विश्वास उत्पन्न हो जाये ।

आयोग के निर्देश पद पूर्णतया असंतोषजनक तथा सीमित हैं । मैं गृह-कार्य मंत्री से अपील करूगा कि वह इनका पुनरीक्षण करे तथा इनको विस्तृत करें ताकि समस्त मामले की अच्छी तरह से जांच हो सके। महाराजा के साथ किये गये व्यवहार तथा अनुचित रवैये के फलस्वरूप हुई घटनाओं की जांच की जानी चाहिये। बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में सामान्य अशांन्ति के प्रश्न की भी जांच की जानी चाहिये ।

सभा में एक सुझाव दिया गया है कि संसद सदस्यों की एक समिति को बस्तर में जाना चाहिये। गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि यदि एक सद्भावना शिष्ट मण्डल बस्तर जाना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । मालूम नहीं मंत्री महोदय ने सद्भावना शिष्ट मण्डल का शब्द क्यों चुना है । देश के एक भाग में दूसरे भागसे शिष्टमण्डल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि उस क्षत्र में कुछ लोगों को भेजना चाहिये जो विशिष्ट घटनाओं के बारे में ही नही बल्कि बस्तर की समूची घटनाओं से सम्बन्धित बातों के बारे में जांच करे। इसलिये सरकार को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिये जिससे कि समूचे देश को बस्तर की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो।

[डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

अब समय आ गया है जबकि केन्द्रीय सरकार को अपने कार्य से सम्बन्धित प्रश्न पर पुन: विचार करना चाहिये। महोदय, संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार आन्तरीक गड़बड़ के कारण किसी भी क्षेत्र का शासन अपने हाथों में ले सकती है। यदि देश के लोगों में इस कार्यवाही से विश्वास की भावना बन जाये तो माननीय मंत्री को राजनैतिक कारणों के कारण यह कार्यवाही करने से चुकना नहीं चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय स्वायत्तता के नाम पर यह सभा निरंकुश शासन अथवा एकतन्त्र सहन नहीं कर सकती।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

माननीय मंत्री का यह कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने दूसरे सदन में जो भाषण दिया है, उसका इस सदन से कोई सम्बन्ध नहीं। न ही इस सम्बन्ध में श्री माथुर के विचार ठीक हैं क्योंकि नियम 51 मंत्री के भाषण अथवा वाद-विवाद पर लागू नहीं होता।

श्री नन्दा : मैं ने यह कभी नहीं कहा कि इस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं श्री नन्दा द्वारा देश की प्रशासनिक समस्याओं को हल करने के प्रयत्न की बहुत प्रशंसा करता हूं। परन्तु यह कहना उनके मंत्री पद के कर्तव्य का भाग नहीं है कि बस्तर में हुई घटनाओं के लिए वहां के महाराजा स्वयं ज़िम्मेवार हैं। यह कहना कि इस चर्चा से जांच पर प्रभाव पड़ सकता है, न्यायाधीशों की योग्यता को कम समझना है।

जांच आयोग के पुनर्गठन की मांग का यह कारण नहीं है कि मुझे सम्बन्धित न्यायाधीश की बुधिमत्ता में कोई सन्देह है बल्कि इसका कारण यह है कि यह लोकतन्त्रात्मक सिद्धातों के समनुरूप एकमात्र तरीका है। सरकार को स्वस्थ परम्पराऐं बनानी चाहियें और अधिक सूचना तथा तथ्य देने चाहिये। यदि आवश्यक हो, तो निर्देश पद विस्तृत किये जाने चाहियें। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच के परिणामों का निर्भीड़ता से सामना करना चाहियें। और मंत्री महोदय को इस बात का आश्वासन देना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम) : सभापति महोदया, मैं स्वयं आदिवासी हूं और मैंने पिछले 28 वर्ष से आदिवासियों के बीच कार्य किया है। मैं उनके सम्बन्ध में बहुत कम कहना चाहता हूं क्योंकि इस समूचे मामले को बहुत बुरी तरह तोड़-मोड़ कर पेश किया गया है। एक महाराजा की उसके अनुयाइयों के साथ हत्या के कारण समूचे देश का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट हो गया है। आदिवासियों की स्वतंत्रता के बाद से हत्या की जा रही है। सरायकेला, करसवान, म्यूरभंज और नागालैंड में आदिवासियों की हत्या की गई, नागाओं के विद्रोह का क्या कारण है ? आदिवासी शीघ्र ही भड़क उठते हैं। सरकार गोली चला कर अथवा उनकी हत्या करके उन्हें नहीं दबा सकती। इस समय देश की सुरक्षा-विशषतया उत्तर पूर्वी सीमान्त क्षेत्र की सुरक्षा—आदिवासियों की निष्ठा पर निर्भर करती है। इस समस्या के बारे में दलगत आधार पर सोचा जा रहा है। यह राष्ट्रीय समस्या है। संविधान के अन्तगत आदिवासियों के बारे में केन्द्रीय सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है परन्तु उसने उनकी समस्याओं पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया है। यदि सरकार उनको उपेक्षा करती रही तो वे हिंसा पर उतर आयेंगे।

जगदलपुर की घटनायें आकस्मिक ही नहीं हुई हैं। जब तक महाराजा बस्तर कांग्रेस दल में थे, उन्हें अच्छा आदमी माना जाता था परन्तु जैसे ही उन्होंने कांग्रेस दल में धन देना बन्द कर दिया अथवा उसके सदस्य नहीं रहे, तभी वह बुरे व्यक्ति बन गये। महाराजा बस्तर की मानसिक दशा चाहे कुछ हो परन्तु सरकार ने उन के लाखों अनुयायियों की परवाह न कर के बहुत बड़ी गलती की है। सरकार वैसी ही गलती सब स्थानों पर कर रही है। आसाम, नागालैंड, नेफा, झारखण्ड आन्दोलन के बारे में भी यही गलती की जा रही है।

सरकार ने आदिवासियों के साथ बुरा व्यवहार किया है । सरकार ने आदिवासियों पर जो करोड़ों रुपये खर्च किये है उससे उन्हें कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ है । आदिवासियों की समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना जाना चाहिये । सरकार को उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिये । आदिवासियों को भी नागरिक ही समझा जाना चाहिये ।

आदिवासियों के लिए एक विशेष अधिकारी है । उसके प्रतिवेदन पर कभी विचार नहीं किया जाता है । व्यस्क मताधिकार के कारण आदिवासी स्थिति को समझने लगे हैं । जगदलपुर की घटनायें एक आन्दोलन का अन्त है । सरकार महाराजा तथा उसके अनुयायियों के पीछे कई वर्षों से थी । बस्तर के मामले में जांच कराने के लिए राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को जांच आयोग के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : There is an imperative head of for the constitution of a permanent Commission, on the lines of Language Commission and Commission for Government servants, to go into the behaviour of the Government or the people and the firing by the Police or riots.

An Enquiry Commission consisting of the highest judicial person in America was constituted to go into the question of murder of President Kennedy, but it could not be found out who was responsible for his assassination. In such circumstances, how can our Commissions be successful ? A judge from the High Court in any other State or a judge of the Supreme Court should be associated with this enquiry unless that is done, this enquiry will have no meaning.

I had raised my voice in the matter of Kharswan and I had said that that was worse than even the Jallianwallah Bagh incident. There was an incident of a murder in police custody in Raipur district but it could not arouse as much interest as has been aroused in the matter of the murder of Maharaja of Bastar. I am not in favour of Maharajas. I would like that their Privy purses are stopped but their life should be safe. Some police officers have said that they have put an end to the life of the leader of adivasis in Bastar and, therefore, there is no problem now. That is the attitude of the government in such matters.

The former ruler of Bastar had said in his last statement that people from outside are given land free of cost in Bastar while the adivasis can neither buy land nor take wood from the forests. The people of Bastar have even no right of fishing in the tanks.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस वक्तव्य का स्रोत बताया जाये और उसे सभा-पटल पर रखा जाये ।

सभापति महोदया : जिस वक्तव्य को सभा पटलपर रख दिये जाने के लिये कहा जा रहा है उस वक्तव्य को अध्यक्ष महोदय के पास भेज दिया जाये । वह ही उस बारे मे निर्णय करेंगे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान जी इस समय आप को अध्यक्ष महोदय के पूरे अधिकार प्राप्त हैं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6068/66 ।]

Dr. Ram Manohar Lohia : What happened in Bastar is being repeated everywhere until the riots took place, the government made recoveries from even those farmers who had one acre land. Now in Bengal it has been decided not to make recoveries from those farmers who have less than 5 acres of irrigated land or 10 acres of unirrigated land. When right decisions are taken only after riots, one can imagine the reaction of the people.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

Attempts have been made to criticize the character of Shri Bhanjdeo. It has been said that he wanted to disintegrate the unity of the country with the help of Nizam, but the Maharaja of Khairagarh, who is a congressman, has said that when the Nizam wanted to disintegrate the country Shri Bhanjdeo, sided with India against such activities of the Nizam. The Government tries to defame others by telling lies. They are trying the same tactics against us.

The Home Minister said in this House a few days ago that the activities of Mizo hostiles have been quelled and now there is no hostile but the Chief Minister of Assam has said that the back bone of Mizo rebels is as before. I don't know which of them is telling a lie.

The Government is bringing forward third class people on the forefront in Mizo Hills, Nagaland and Kashmir. They cannot help India in any way.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं नियम 292 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जाये ।

श्री नाथ पाई : यदि हम समय बढ़ाने के लिए सहमत हो जायें तो श्री नन्दा को विचार करने के लिए कुछ समय मिल जायेगा ।

श्री जगन्नाथ राव : अध्यक्ष महोदय ने समय से पहले ही एक घंटा बढ़ा दिया है । और समय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

सभापति महोदय : मैं इस प्रश्न को सभा में मतदान के लिए रखती हूं । जो सदस्य समय बढ़ाने के पक्ष में है वे 'हां' कहे ।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां' ।

सभापति महोदय : जो इस के विरूद्ध में हैं, 'न' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : 'न' ।

सभापति महोदय : समय बढ़ाने के लिए सभा सहमत नहीं है ।

Shri Uikey (Mandla) : I am pained at the happenings in Bastar and such an incident had happened in 1961 also. We would, therefore, have to find the cause of discontentment among Advivasis of Bastar although maximum amount is spents on the welfare of this district. But at the same time it should be appreciated that welfare work is not easy among illiterate, poor and superstition-ridden people speaking six different languages. The former ruler had been exploiting their weakness to serve his own personal ends by keeping alive anti-Government and anti-progressive feelings. At present, there are about one crore adivasis spread over 43 districts of Madhya Pradesh. The feelings expressed by this House regarding justice and punishment for those guilty are shared by the Chief Minister of Madhya Pradesh as also by the whole country. But it is really strange to demand the resignation of that very persons—I here mean the Chief Minister of Madhya Pradesh–who has done so much for the welfare of the Adivasis. He had very cordial relations with the former ruler of Bastar. Immediately after taking over office he took steps to remove the difficulties of Adivasis and established a Credit negotiation Board, Tribal Development Corporation and he is also taking steps towards forest development. Since these steps caused great financial loss to the traders, community who were exploiting the labour Class, therefore, they started instigating the Adivasis to create trouble for the Government.

I have some suggestions to offer to Government for improving the lot o the Adivasis. First, Bastar should have two districts as against one at present. Secondly, collectors having full powers should be appointed in Adivasi majority districts. thirdly, employees shold not be sent there as a punishment-rather disinterested and indifferent employees should be removed from there. fourthly, a Parliamentary Goodwill Delegation should be sent there. Fifthly, the number of police station should be augmented and each police station should be provided with a telephone.

In the end I would say that instead of creating political unrest among Adivasis which might spell their ruin, we should give a serious thought to their problems and work for their economic betterment.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस समय केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार को अपने दिल टटोलने का अवसर मिला है। जिसे वहां के मुख्य मंत्री ने विद्रोह की संज्ञा दी है वह वास्तव में दीर्घ काल से हो रहे सामाजिक-आर्थिक असंतोष और राजनीतिक मतभेद का परिणाम है। गत 25 व 26 तारीख की घटनाओं से संविधान पर कलंक लग गया है और गांधीजी की परम्परा को चोट पहुंची है परन्तु सरकार इसी पर गर्व कर रही है।

श्री भंजदेव को सनकी, पागल और न जाने क्या क्या कहा गया है परन्तु ऐसे मनुष्य को भी तो जीने का अधिकार है। मैं श्री भंजदेव से परिचित था। वह गीता, रामायण, फ्रायड और हेवला एलिस आदि के बारे में बातें किया करते थे। वह चाहते थे कि योजनायें नीचे से आरंभ हों, सबसे छोटे मनुष्य को सबसे पहले लाभ हो। यदि वह कांग्रेसी नेताओं का स्वागत करने हवाई अड्डे तक नहीं जाते थे तो क्या यही उनका सबसे बड़ा अपराध था ?

इस दुःखद घटना से कुछ ही मास पूर्व वह दिल्ली आये थे और उन्होंने गृह मंत्री और शायद प्रधान मंत्री जी को भी बताया था कि वह स्वयं और बस्तर निवासी अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। हमारे दल के अध्यक्ष को भी उन्होंने लिखा था कि नौकरशाही सरकार से बस्तर की जनता को राहत दिलाई जाये। संसद् सदस्यों का एक शिष्टमंडल वहां भेजने संबंधी सुझाव अच्छा है और उन्हें वहां जा कर आदिवासियों की शिकायतों और कठिनाइयों की जांच करनी चाहिये। इस घटना से 3 दिन पूर्व मध्य प्रदेश में मेरे दल द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई जिसे 15 दिन तक रोक रखा गया। संसदीय लोक तंत्र के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है। यदि समय पर ध्यान दिया जाता तो यह घटना न होती।

श्री अशोक मेहता ने एक विवरण सभा-पटल पर रखा था परन्तु इसमें बिना पानी के कुओं, बिना अध्यापकों के स्कूलों और बिना डाक्टरों के अस्पतालों आदि बातों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वहां के लोगों को अपमानजनक तौर पर 'आदिवासी' कहने के बजाय पूर्ण भारतीय नागरिक कहना चाहिये और उनके कल्याण के लिये कार्य करना चाहिये। सरकार को उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को सर्वथा बदलना चाहिये।

इस दुर्घटना से कुछ ही समय पूर्व बस्तर के उन गांवों में भी जहां सूखे के कारण भूराजस्व की वसूली स्थगित कर दी गई थी अनिवार्य अन्न वसूली लागू की गई जो वहां पर असंतोष का एक कारण था। निर्धन और सीधे साधे आदिवासियों को गोलियों और लाठियों के बजाये प्यार से जीता जा सकता है। सरकार ऐसा करने में असफल रही है। राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा बयान में कहा गया कि जब पुलिस वहां पहुंची तो महाराजा को मृत पाया परन्तु साथ ही अदालती जांच की घोषणा कर दी गई। हम इस जांच आयोग को बदलना नहीं चाहते। परन्तु हम चाहते हैं कि उनके साथ ही किसी अन्य राज्य का न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश भी इसकी जांच करे। यदि जांच पूरी होने तक मिश्र मंत्रिमंडल त्यागपत्र देकर हट जाता तो प्रसन्नता की बात थी और इससे लोगों की आशाओं तथा लोक जीवन का उच्च स्तर बना रहता। यदि यह नहीं हो

[श्री हरी विष्णु कामत]

सकता फिर भी सरकार बस्तर का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। यदि यह भी न किया जाये तो कम से कम वहां के कलक्टर और आयुक्त को तो वहां से अवश्य ही बदल दिया जाना चाहिये **(अन्तर्बाधा)** ।

बस्तर जिले के मामलों पर ध्यान देने के लिये केन्द्रीय सरकार का एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाये। मेरा विश्वास है और मैं पूरा बल देकर यह कहूंगा कि वहां जो कुछ हुआ है वह राजनीतिक बदला लेने की भावना से हुआ है और निर्दयता से किया गया है।

डा० उ० मिश्रा (जमशेदपुर) : बस्तर की स्थिति को नागालैंड या मिज़ो पहाड़ियों के समान कहना उचित नहीं है। बस्तर, जसा कि आदिवासियों नेता श्री जयपाल सिंह ने कहा है एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आदिवासियों की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वे तो केवल यही चाहते है कि उन के साथ मानव की तरह से व्यवहार किया जाय। उनकी स्थिति अब भी ऐसी ही है जैसी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले महाराज के अधीन उन की जो आर्थिक स्थिति थी, अब भी वैसी ही है। तब भी पुलिस के अधिकारी तथा अन्य छोटे अधिकारी आदिवासियों से अनुचित लाभ उठाते थे और अब भी पुलिस के अधिकारी उन से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आज जो स्थिति में परिवर्तन हुआ है, वह यह है कि जब उन अनुचित लाभ उठाने वालों की संख्या यदि 4 थी तो अब 300 हो गई है। समाज कल्याण के नाम पर वहां लगभग 3000 अधिकारी काम कर रहे है, जो वेशभूषा आदि से देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं, परन्तु उन्हें आदिवासियों की भलाई से कोई सरोकार नहीं है।

ग्रामों के स्तर पर वहां कांग्रेस के कारण एक नया वर्ग बन गया है, जिन्हें ठेकेदार कहा जाता है। यह निहित हितों का वर्ग है तथा इस वर्ग के लोग आदिवासियों से लगान इकट्ठा करने का काम करते हैं। आदिवासियों ऐसे ही एक व्यक्ति के घर गये थे, जो लगान वसूल करता था। वे उस से चावल मांगने गये थे। परन्तु वे चावल प्राप्त नहीं कर सके, और न ही उस से मिल सके, क्योंकि वह घर पर उपस्थित नहीं था। वे वहां सारी रात ठहरे, परन्तु उन्होंने उस के मकान तथा परिवार के सदस्यों को कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्यों कि वे शांति भंग नहीं करना चाहते थे। इस के बाद वहां पुलिस पहुंच गई और उन्हें तितर बितर कर दिया गया। इसके बाद वे श्री प्रवीण चन्द्र के पास यह शिकायत करने गये थे कि उन्हें चावल प्राप्त नहीं हो सके। उनका रवैया विध्वंसकारी नहीं था। यदि उनका रवैया मिज़ो लोगों की भांति युद्धात्मक होता, तो वे भी उपद्रवी कार्य कर सकते थे, क्योंकि उनकी संख्या चार सौ थी।

इसके बाद 18 तारीख को आदिवासियों को पीटा गया। 22 मार्च को 26 आदिवासियों ने हस्ताक्षर करके आयुक्त को एक याचिका दी जिस में उन्होंने कहा कि वे शांत रहना चाहते हैं। हम समझे है कि तीर और कमान ले कर चलना शांति के विरूद्ध है। परन्तु यह तो उनकी प्रथा है। वे शांति प्रिय लोग है और यदि उन में मिज़ोओं अथवा नागाओं जैसी भावना होती तो वे 22 तारीख को याचिका पेश न करते। मुझे विश्वास है कि यदि आयुक्त ने ध्यान दिया होता, तो वहां पर यह घटना नहीं होती।

मैं वहां गत तीस वर्षों से चिकित्सक का कार्य कर रहा हूं तथा अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि वे बहुत सरल व्यक्ति है और मिज़ो लोगों से उन की तुलना करना सर्वथा गलत है। वहां जो हत्यायें की गई, वे राजनैतिक उद्देश्य से की गई।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि जांच आयोग नियुक्त किया जा चुका है तथा इस मामले पर चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा था कि यह घटना

राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र में आती है तथा केन्द्र सरकार को इस मामले में कुछ नहीं करना है। फिर उन्हें राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करने में 48 घण्टे लगे और 48 घण्टों के बाद फिर उन्होंने वही बात दोहराई कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तथा केन्द्र सरकार को इस मामले में कुछ नहीं करना है। इस के बाद इस मामले को समाज कल्याण मंत्री के जिम्मे सौंप दिया गया तथा समाज कल्याण मंत्री ने जो पत्र सभा पटल पर रखे उन में उस क्षेत्र की भूगोलिक स्थिति आदि का उल्लेख किया हुआ था और उन में उस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई थी। परन्तु यह सही तरीका नहीं है। सभा के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

केन्द्र सरकार का यह कहना कि उस की घटना के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल अनुचित बात है। केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य को वित्तीय सहायता देती है और कोई भी राज्य सरकार केन्द्र की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकती। यदि किसी राज्य में विधि तथा व्यवस्था भंग हो जाती है, तो केन्द्र सरकार उस राज्य की सरकार को सेना का प्रयोग करने की मंजूरी देती है। इस का अर्थ यह है कि केन्द्र राज्य सरकार का समर्थन करता है। केन्द्रीय सरकार जब वित्तीय तथा अन्य मामलों में राज्यों की सहायता करती है तो यह वहां पर विधि तथा व्यवस्था की जम्मेदारी से नहीं हट सकती। वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार वहां हस्तक्षेप करती है, जहां वह चाहती है। जब वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, या जहां कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता है तब वह कुछ नहीं करती और यह कह कर टाल देती है कि यह राज्य सरकार का मामला है, केन्द्र का इस के बारे में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। हमारी सरकार यह घोषणा करती रहती है कि हर अन्तर्राष्ट्रीय विवाद को शान्तिमय तरीकों से हल करना चाहिये, परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि देश के अन्दर वह सभी मामलों को गोली के जोर से हल करना चाहती है। मुझे याद है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन जब कभी एक बार भी गोली चलाई जाती थी तथा एक व्यक्ति भी गोली का शिकार हो जाता था, तो हमारा क्रोध सीमायें पार कर जाता था। परन्तु आज कांग्रेस राज के अधीन प्रत्येक राज्य में विधि तथा व्यवस्था के नाम पर दिन प्रतिदिन हत्यायें की जा रही हैं। कांग्रेस सरकार के लिये यह अधिक अच्छा होगा यदि वे स्पष्ट कह दें कि वे देश का नियंत्रण करने में असमर्थ हैं और लोगों पर उन का प्रभाव नहीं है। जहां कहीं उपद्रव होते हैं, हम वहां स्वयं जाते हैं, जांच करते है और लोगों को सलाह एवं सांत्वना देते हैं कि वे हिंसात्मक कार्यवाही न करें, हम उन के पक्ष का समर्थन करेंगे। मध्य-प्रदेश मंत्री महोदय घटना स्थल पर पहुंचने को बजाये दिल्ली आये है, इस का क्या कारण है? क्या वह गृह मंत्री से यह कहने आये हैं कि आप इस में हस्तक्षेप न करें, यह हमारा मामला है।

हमें बताया गया है कि वहां लगभग 24 घण्टे तक गोली चलती रही। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिलाधीश अथवा पुलिस अधीक्षक 22 घण्टे गोली चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे।

सभापति महोदया : इन बातों की परीक्षा जांच आयोग करेगा।

श्री जी० भ० कृपलानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 22 घण्टों तक गोलियां चलती रहीं।

श्री हनुमन्तैया : इस की तो जांच की जायेगी।

श्री जी० भ० कृपलानी : मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधीश के आदेशानुसार इतने अधिक समय तक गोलियां चल सकती हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री महेश दत्त मिश्रा : क्षेत्रीय आयुक्त ने वक्तव्य दिया है कि 61 गोलियां चलाई गई थी। सरकार ने इस बात को गलत बताया है कि 22 घण्टे गोलियां चलती रहीं।

श्री जी० भ० कृपलानी : मुझे यह ज्ञात नहीं था कि कांग्रेस में इतनी गिरावट आ जायेगी कि वह उनकी आवाज बन्द करेगी जो न्याय के लिये आवाज उठायेंगे। यदि कांग्रेसियों को ऐसी घटनाओं पर शर्म नहीं आती, तो मुझे उनपर शर्म आती है।

श्री हनुमन्तैया : उन्हें दल को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सभापति महोदया : श्री हनुमन्तैया कृपया बैठ जायें।

एक माननीय सदस्य : वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

सभापति महोदया : मुझे सभा पर नियंत्रण करने दीजिये। श्री हनुमन्तैया का क्या व्यवस्था का प्रश्न है? उन्होंने तो केवल यह कहा है कि वह कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें कुछ कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय सदस्य ने यह तो नहीं कहा है कि वह व्यवथा का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री हनुमन्तैया : वास्तव में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सभा में इतना शोर हो रहा था कि मेरी बात सभापति महोदया तक नहीं पहुंच सकी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया हुआ है कि उन बातों पर चर्चा नहीं की की जानी चाहिये जिन की जांच का कार्य जांच आयोग को सौंप रखा हो। श्री कृपलानी इस का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरे सभा में किसी पर आक्षेप एवम् कटाक्ष नहीं किये जाने चाहिये। वह सारे कांग्रेस दल को बदनाम कर रहे है। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा उनकी इन बातों को सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदया : मैं माननीय सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न को नहीं समझ सकी। वह अपने दल की रक्षा करना चाहते हैं। इसमें केवल यही व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य को उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिये, जो जांच आयोग के परीक्षाधीन हैं। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है मैंने श्री कृपलानी से कहा है कि वह उन बातों को न उठायें। श्री हनुमन्तैया ने कहा है कि कुछ आक्षेप किये गये हैं। यदि कोई असंसदीय आक्षेप किया गया हो तो वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं, परन्तु जहां तक मैं समझती हूं कि कोई असंसदीय बात नहीं कही गई है। जो आरोप लगाये गये है उनकी सफाई के लिये अभी माननीय मंत्री को अवसर दिया जायेगा। इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जी० भ० कृपलानी : मुझे इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये न्यायाधीश के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। परन्तु सार्वजनिक मामलों में केवल यही आवश्यक नहीं है कि ठीक कार्य किया जाये, परन्तु ठीक कार्य हो रहा है ऐसा लोगों को अनुभव भी होना चाहिये। इस मामले में लोग नहीं समझते कि मध्य प्रदेश सरकार ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। यदि सरकार लोगों को प्रभावित करना चाहती है तो उसे बाहर के किसी न्यायाधीश को पहले नियुक्त किये गये न्यायाधीश से सम्बध्द कर देना चाहिये। इस के अतिरिक्त दोनों सभाओं के एक आयोग को पूरे मामले के राजनैतिक पहलू पर विचार करना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : बस्तर की घटना के कारण एक अत्यन्त गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और इससे भारत की एकता तथा अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया है।

पिछले कुछ महीनों में जब हम पर आक्रमण हुआ था, तो हम ने आश्चर्यजनक एकता प्रदर्शन किया था। परन्तु दुर्भाग्य से आज सर्वत्र विघटनात्मक शक्तियां कार्यशील हैं। हिंसा के तथाकथित फैलाव की हम निन्दा कर रहे हैं, परन्तु हमें इस का कारण भी समझने

का प्रयत्न करना चाहिये। हिंसात्मक घटनायें होने का कारण शोषित तथा पददलित लोगों के प्रति सत्तारूढ़ लोगों की अत्याधिक उपेक्षा है। लोगों तथा सरकार द्वारा की जा रही इन हिंसात्मक घटनाओं को अवश्य रोका जाना चाहिये।

मैं किसी न्यायाधीश पर आक्षेप नहीं करता हूं और न ही मैं यह कहता हूं कि यह व्यक्ति विधि सचिव था अथवा अधीनस्थ न्यायाधीश के अधीन मुनसीफ था, इसलिये यह नियुक्ति के लायक नहीं है। अपितु मेरा कहने का अर्थ यह है कि पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों के मामलों की जांच के लिये भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री एस० आर० दास को नियुक्त किया गया था और बख्शी गुलाम मोहम्मद के मामले की जांच के लिये भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री गोपाला आयंगार को नियुक्त किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार इस प्रक्रिया का पालन करने में क्या आपत्ति थी। मैंने गृह-कार्य मंत्री से यह अपील की थी कि उन्हें मध्य-प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह सूचना भेजनी चाहिये कि चूंकि उन के विरुद्ध गंभीर प्रकार के आरोप लगाये गये हैं इसलिये यह बात उनके हित में ही होगी कि उन्हें उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को अथवा भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति का स्वागत करना चाहिये। परन्तु गृह इस मामले में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके साथ साथ राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान कल गृह-कार्य मंत्री ने बस्तर के महाराज पर गंभीर आरोप लगाये थे और कहा था कि वह आदिवासियों की अपने प्रति स्वामी भक्ति, निष्टा एवं प्रेम का अनुचित लाभ उठा रहे थे। यह कहना उचित नहीं है। यदि यह मामला न्यायाधीन है तो सब के लिये न्यायाधीन है और उन्हें यह आक्षेप नहीं लगाने चाहिये।

उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा है कि जांच आयोग की सिफारिशों से सरकार को यह निर्णय करने में सहायता मिलती है कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिये। यह कोई विधि न्यायालय नहीं है। उसने यह भी कहा है कि आयोग को शिकायतें दूर करने के लिये कार्यवाही करने के हेतु सिफारिशें करने के लिये नहीं कहा जा सकता। इसलिये उस की शक्तियां तथा कार्य सीमित हैं। उस क्षेत्र के अन्दर भी आदिवासियों के हल में हमारे सुझाव को स्वीकार किया जा सकता था।

आप जानते हैं कि हमने भारत के नागरिकों के लिये एक विख्यात संविधान बनाया है, जिस में प्रत्येक नागरिक के लिये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय तथा समता की गारंटी दी गई है। परन्तु क्या हम सामाजिक एवं आर्थिक न्याय कर रहे हैं या केवल उसका उपहास कर रहे हैं। वे भूखे थे और चावल की याचना कर रहे थे। उनके पास बहुत थोड़ी मात्रा में चावल था, जो एक किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी कम था। यदि उन्हें चावल दे दिया जाता, तो यह घटना न होती। गृह-कार्य मंत्री इस मामले में जो असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार कमजोर हो जायेगी और प्रांतीय मुख्य-मंत्रियों को नबाबों की तरह व्यवहार करने की अनुमति दे दी जायेगी तो देश का विघटन हो जायेगा। भारत की एकता और अखंडता के हित में यह अत्यावश्यक है कि केन्द्रीय सरकार अपने अधिकारों का उपयोग करे और राज्य सरकारों को बता दे कि उनकी क्या स्थिति है। उन्हें केन्द्र सरकार पर प्रभावी नहीं होने दिया जाना चाहिये।

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : समाज कल्याण विभाग के लिये उत्तरदायी होने के कारण मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया तथा आदिवासियों के लिये सहानुभूति प्रकट की है। चौथी योजना में आदिवासियों के विकास के लिये कार्यक्रम निश्चित करते समय मैं इस सभा के तथा दूसरी सभा के उन माननीय सदस्यों को आमंत्रित करूंगा जिन को आदिवासियों के विकास में गहरी दिलचस्पी है तथा उन के सहयोग से आदिवासियों के विकास में बहुत सहायता मिलेगी।

[श्री अशोक मेहता]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

विभिन्न कार्यकारी दलों ने कुछ प्रस्ताव बनाये है, परन्तु उनकी आगे जांच की जायेगी। मैं श्री जयपाल सिंह तथा अन्य संसद सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा।

मध्य प्रदेश हमारे अल्प-विकसित राज्यों में से एक है और उस राज्य में सब से पिछड़े हुये जिले वे हैं जिन में अधिकांशतया आदिवासी रहते हैं। बस्तर सबसे पिछड़ा हुआ जिला नहीं है। सब से पिछड़ा हुआ जिला झबुआ है और फिर सरगुजा है। बस्तर का स्थान चौथे दर्जे पर है। उन सब पिछड़े हुये जिलों पर विशेष ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य से उन क्षेत्रों के विकास के लिये उपलब्ध सीमित साधनों से उनके विकास पर बहुत समय लगा है।

मध्य प्रदेश के आदिवासियों के कल्याण के लिये प्रथम योजना में 186 लाख रुपये उपलब्ध किये गये थे। उस योजना के दौरान केवल 66 लाख अर्थात् उसका 33 प्रतिशत ही व्यय किया जा सका है। दूसरी योजना में जब 907 लाख रुपये रखे गये थे तब 575.5 लाख रुपये खर्च किये जा सके थे। इसलिये उपभोग क्षमता 33 प्रतिशत से बढ़ कर 55 प्रतिशत हो गई है। केवल तृतीय योजना में ही लगभग 1,385 लाख रुपये की व्यवस्था की जा सकती है। उस राशि का 98 प्रतिशत अब व्यय किया जायेगा। आखिरकार प्रशासनिक संगठन बन गया है और उपभोग क्षमता बनाई जा चुकी है ताकि हम विभिन्न विकास नीतियां तथा कार्यक्रम पर्याप्त रूप से आरम्भ कर सकें। सदस्यों की ओर से सरकार सुझावों का स्वागत करेगी।

बस्तर के विकास के लिये जो कार्य किया गया है उसकी सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। हो सकता है जो विकास कार्य किये गये है, वे पर्याप्त न हों। बस्तर एक काफी बड़ा जिला है और वहां पर संचार तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना सरल काम नहीं है। फिर भी सचाई यह है कि बस्तर के साथ मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक अच्छा व्यवहार किया गया है। परन्तु इसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि इस के संसाधनों का पूरा विकास करने के लिये बहुत समय लगेगा।

बस्तर दण्डकारण्य परियोजना का भाग है। इस लिये इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसाकि हम सबको ज्ञात है कि इस क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता बहुत अधिक है, परन्तु इस संबंध में कुछ समय लगेगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन में विकास कार्यक्रम बहुत महंगा पड़ता है। आदिम जातियों वाले क्षेत्रों के विकास के लिये अधिक संसाधनों के उपलब्ध किये जाने का स्वागत किया जायेगा। यह केवल इस लिये नहीं कि वहां पर सुविधायें उपलब्ध करनी हैं बल्कि इसलिये भी कि वहां के विकास से सारे देश को बहुत लाभ होगा।

सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उस में एक गलती हो गई है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। बाद में प्राप्त सूचना के अनुसार ज्ञात हुआ है कि बस्तर जिले में 1145 स्कूल हैं जिन में से 931 प्राथमिक स्कूल हैं।

हमें वहां पर हुये कार्य से संतोष नहीं है परन्तु यह समझना होगा कि इस स्थान पर अब तक कुछ नहीं हुआ था परन्तु अब वहां एक नई जागृति आ गई है। अब प्रयत्न किया जायेगा कि वहां की जनता और आगे प्रगति करे।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मेरा विचार इस चर्चा में भाग लेने का नहीं था। माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पेश किया था कि आदिवासी लोगों के लिये कल्याणकारी उपायों की उपेक्षा किये जाने के कारण उन में विद्यमान असंतोष पर विचार किया जाये। मैं समझता हूं कि मेरे

माननीय सहयोगी ने वहां की स्थिति के बारे में जो वक्तव्य दिया है, उस से माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस चर्चा में बस्तर में हुई दुःखद घटना का उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि वह मामला जांच आयोग के विचाराधीन है । मुझे खेद है कि इस बारे में संयम से काम नहीं लिया गया है ।

श्री रंगा : हमें खेद नहीं है ।

श्री नन्दा : मैं दूसरी सभा में पहले ही बता चुका हूं कि इस की सभापति ने अनुमति दी थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, यह आप पर आक्षेप है । वह आप के विरुद्ध ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन का उत्तर तो सुनिये ।

श्री नन्दा : अध्यक्ष पीठ द्वारा बारबार चेतावनी देने के बावजूद इस बात पर जोर दिया गया था । कई व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे ।

श्री रंगा : उनको इस प्रकार बोलने का कोई अधिकार नहीं है । वह यह सब बातें अध्यक्ष पीठ के बारे में कह रहे हैं । अध्यक्ष पीठ पर चाहे कोई भी पीठासीन हो हम अध्यक्ष पीठ की अनुमति पर ही बोले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर सुन लीजिये ।

श्री नन्दा : इस बारे में जांच आयोग जांच कर रहा है और इस समय यह कहना जांच-कार्य के हित में नहीं होगा कि वहां पर हत्या की गयी और इसमें 500 व्यक्ति मारे गये और यह हत्या एक सुनिश्चित और व्यवस्थित ढंग से की गयी । इस प्रकार बढ़ा चढ़ा कर आंकड़े बताने से भी आतंक फैलता है । यह भी कहा गया कि गोली बारी 24 घंटों तक होती रही । ये सब बातें करना ठीक नहीं है ।

श्री त्यागी (देहरादून) **:** यदि गृह मंत्री मारे गये व्यक्तियों के बारे में कोई निश्चित संख्या बता सकें तो काफी हद तक भ्रम दूर हो सकता है ।

श्री नन्दा : मैं ऐसा नहीं बता सकता । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जो लोग मारे गये हैं तो अज्ञात तो हैं नहीं उनके परिवार भी हैं । उनके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है । इसलिये हमें जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी **(अन्तर्बाधा)**

मैं मानता हूं कि देश में कहीं पर भी गोली चलाने से मृत्यु होना बड़े खेद की बात है लेकिन इसके साथ ही देश में हिंसा का प्रचार करना भी बुरा है । मैं यह अपील करता हूं कि इस मामले को एक दलीय मामला न बनाया जाए और यह एक राष्ट्रीय मामला समझा जाए । महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राष्ट्र के हित के लिये, लोकतंत्र की रक्षा के लिये हमें सामाजिक, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है । अतः सब दलों को एक होकर यह सुनिश्चित करना है कि कि भविष्य में कभी ऐसी घटनाएं न हों । लेकिन अगर हिंसा फैलती है और इसके फलस्वरूप राष्ट्र की और व्यक्तियों की सम्पत्ति नष्ट होती है और लोगों का जीवन खतरे में होता है तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करे । मैं यह आश्वासन देता हूं कि जांच आयोग के परिणाम स्वरूप दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को कडा से कडा दंड दिया जायगा, चाहे वे व्यक्ति किसी भी श्रेणी के हों ।

[श्री नन्दा]

नियम ऐसे हैं कि राज्य सरकार द्वारा एक बार जांच आयोग स्थापित कर दिये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। हमें कानून के अनुसार चलना पड़ता है। विधान सभा ने उस जज की नियुक्ति में पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। चाहे जो भी सुझाव दिये जा सकते हैं। उन्हें राज्य सरकार के पास भेज दिया जायगा। कोई निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। हम इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और इसका भी कारण है... **(अन्तर्बाधा)**

मैं वहां की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हम सभी को इस बारे में चिन्ता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उस क्षेत्र में कल्याण कार्यों की उपेक्षा का इस वर्तमान स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सच है कि वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। उनको सुविधाएं नहीं दी गयी हैं और उनका कल्याण-कार्य बड़े निम्न स्तर पर है। आदिवासी कई जिलों में रहते है। उनमें से बस्तर की स्थिति काफी अच्छी है। अन्य जिलों की अपेक्षा वहां पर विकास कार्य पर काफी धन व्यय किया गया है। इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय किसी भी अन्य जिले में प्रति व्यक्ति व्यय से अधिक बैठता है। लेकिन हमें और कार्य भी इसमें करना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या वहां पर फैले असंतोष का उस क्षेत्र का सभी संभव विकास न कर सकने से कोई सम्बन्ध है। ऐसा नहीं है।

जहां तक शुल्क का सम्बन्ध है, वहां पर उत्पादन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है और इस शुल्क का बहुत थोडे आदिवासियों पर प्रभाव पडता था। शुल्क के रूप में जो कुछ भी वसूली की गयी वह बस्तर क्षेत्र के लिये की गयी। उस क्षेत्र से अनाज का एक दाना भी बाहर नहीं ले जाया गया। कुछ फालतू अन्न वाले स्थानों से ही अनाज लेकर दूसरे क्षेत्रों को भेजा गया। शुल्क वसूल करने वाले अफसरों को घेरने और उनसे शुल्क की राशि छीन लेने के लिये उन्हें उकसाया गया। इससे पहले वहां कई बार प्रदर्शन आदि हुए। इस झगड़े का कारण शुल्क नहीं था।

वहां पर जो भी प्रदर्शन आदि हुये वे सब प्रवीर चन्द्र भंजदेव की ओर से मांगें पेश करने के लिये थे कि जब्त की गयी सम्पत्ति छोड़ी जाय। दस-ग्यारह बार इस बारे में प्रदर्शन किये गये।

हमें इस घटना पर बड़ा खेद है और यह मामला जांच आयोग पर छोड़ दिया जाय।

यहां पर थोड़े से समय में हमने संचार, शिक्षा आदि के बारे में काफी कार्य किया है। लेकिन इसका आशातीत परिणाम नहीं हुआ। इतना काम संतोष की बात नहीं है। उनके स्तर को ऊंचा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : आपने आरम्भ में कहा था कि इस बारे में संक्षिप्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रश्न पूछे गये थे कि क्या वहां पर कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जायगा, क्या जांच कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जायगा, क्या इस जांच का कार्य-क्षेत्र बढ़ाया जायगा और क्या आयोग में और व्यक्ति रखे जायेंगे ? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय पर इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये जोर तो नहीं डाल सकता।

श्री रंगा : मैं सरकार को बधाई नहीं दे सकता। वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पाई है। उन्होंने विरोधी दलों से अपील की है कि व हिंसात्मक कार्यवाहियां न करें। दूसरे

बंद के समय कलकत्ता क्या कोई हिंसक कार्यवाही हुई पहले बंद के समय केरल में क्या कोई हिंसक कार्यवाही हुई ? फिर हिंसात्मक कार्यवाही कौन कर रहा है ?

जहां तक सहयोग का सम्बन्ध है, विधान सभा में मुख्य मंत्री के उत्तर को देखत हुए विरोधी दलों से सहयोग की कैसे आशा की जा सकती है। सरकार चाहती है कि एसे प्रश्नों को राष्ट्रीय आधार पर निपटाया जाना चाहिये। यदि वह चाहते हैं कि इन सभी प्रश्नों को राष्ट्रीय आधार पर निपटाया जाय तो पहले सरकार त्यागपत्र दे।

मैं श्री कामत, डा० सिंघवी और श्री कृपालनी के इन सुझावों से सहमत हूं कि तथ्यों का पता लगाने के लिये जो भी कार्य किया जाय वह संतोष जनक ढंग से किया जाय ताकि देश भर में लोग यह समझ सकें कि सरकार ऐसी घटनाओं से सबक सीखने को तैयार है ताकि वह यह कह सके कि सरकार केवल अपनी इज्जत बचाना नहीं चाहती बल्कि वह जनता की राय सुनने को भी तैयार है। अन्यथा उन्हें विरोधी दलों से सहयोग मांगन का कोई अधिकार नहीं है।

मैं राजनीतिक दल के नाते नहीं बल्कि एक नागरिक के नाते, एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के नात बस्तर के लोगों के साथ हूं। वहां पर मेरा दल कार्य भी नहीं कर रहा है। यह कहना गलत है कि विरोधी दलों ने यह मामला इस लिये उठाया कि इसमें उनका कुछ हित निहित है।

यह कहना गलत है कि हम प्रस्ताव में निहित विषय से दूर चले गए। देश में जो कुछ भी हो रहा है, उससे आंख तो नहीं मूंदी जा सकती।

यह सच है कि सरकार असफल रही है। बस्तर आदिवासी बहुत हैं। अतः बस्तर की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महाराजा ने अपने लिये झगडा नहीं किया। उन्होंने आदिवासियों की भलाई के लिये गद्दी छोड़ दी और अपने जीवन की भी आहुति दे दी। उनको आठ गोलियां लगीं। उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई। उन्होंने शांतिदूत के समान कार्य किया। अतः मंत्री महोदय की निन्दा की जानी चाहिये।

श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री रंगा को यह कैसे पता लगा कि उनको आठ गोलियां लगीं ?

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बडे का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बड़े का स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में 31; विपक्ष में 127/Ayes 31, Noes 123

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। *The motion was negatived*

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमान् जी मुझे सभा को यह सचित करना है कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के बाद स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय की मांगों को लिया जायेगा। उसके बाद श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय की मांगों को लिया जायगा। इस बारे में सम्बन्धित मंत्रियों ने सहमति प्रकट की है।

देश में खाद्यान्नों को निर्बाध लाने ले जाने के बारें में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE: FREE MOVEMENT OF FOODGRAINS IN THE COUNTRY—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री तनसिंह का संकल्प सभा में मतदान के लिये रखना है। प्रश्न यह है :—

"इस सभा की राय है कि अनिवार्य एकाधिकार वसूली पद्धति और देश भर में खाद्यान्नों के निर्बाध रूप से लाने ले जाने के मार्ग में समस्त क्षेत्रीय तथा अन्य प्रतिबन्धों को तत्काल समाप्त किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The motion was negatived*

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चौरासीवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौरासीवें प्रतिवेदन से जो 5 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौरासीवें प्रतिवेदन से जो 5 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

साम्यवादी चीन के विस्तारवाद के विरुद्ध प्रशान्त क्षेत्र में एकता के बारें में संकल्प

RESOLUTION RE: PACIFIC CONCORD AGAINST COMMUNIST CHINESE EXPANSIONISM

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"इस सभा की राय है कि साम्यवादी चीन के विस्तारवाद को रोकने की दृष्टि से सरकार को प्रशान्त क्षेत्र में एकता बढ़ाने के लिये, जापान, और आस्ट्रेलिया तथा अन्य संबंधित लोकतंत्रात्मक देशों के साथ ठोस रक्षात्मक समझौतों के रूप में कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिये।"

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्रीमान जी, वामपंथी साम्यवादियों सहित सभी राजनैतिक दल इस बात पर सहमत है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और हमारे देश के प्रति चीन का रवैया अनुचित है। इस तथ्य पर सभी सभी दल सहमत है कि चीन से भारत की स्वतन्त्रता तथा प्रादेशिक अखण्डता को बहुत खतरा है। सरकार भी इस बात को जानती है।

तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता को मान्यता देकर हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। मैंने उस समय भी इसका विरोध किया था। हमने 2,700 मील के क्षेत्र में चीन को अपना निकटतम पड़ोसी बना लिया है। चीन एक विस्तारवादी देश है। इस प्रकार यह हमारे देश के लिये एक बड़ा खतरा है। प्रशान्त सागर के क्षेत्र के अन्य देश को वैसा ही खतरा है।

हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने हमें कई बार बताया है कि हिमालय की सीमा पर चीन अपनी सेनाएं जमा कर रहा है और वह बर्मा के साथ मित्रता स्थापित कर रहा है। और इस क्षेत्र के बहुत से अन्य देशों को भी चीन का भय बना हुआ है। ऐसी स्थिति न तो भारत और न ही इस क्षेत्र का कोई और देश इस स्थिति में है कि अकेले रूप से चीन का मुकाबला कर सके। फिर चीन और पाकिस्तान में गठजोड़ हो गया है। हाल ही में रावलपिंडी में चीनी हथियारों और विमानों का प्रदर्शन किया गया है। ऐसी स्थिति में हमें चीन का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना होगा।

हमें इस बारे में किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि रूस हमें चीन के विरुद्ध सहायता देगा। इस लिये हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम ऐसे देशों से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करें कि जिनको चीन के विस्तारवाद से हमारे समान खतरा है। श्रीलंका मलयेशिया, थाइलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, फिलिपीन और जापान आदि अपनी सुरक्षा के लिये सेनाओं के विकास के लिये पूरी पूरी कोशिश कर रहे है। इन सब देशों को चीन के विरुद्ध तैयारी करनी है। परन्तु इन के संसाधन सीमित है।

हमारा सुझाव है कि यदि ये सभी देश ऐसा प्रबन्ध करें और आपस में ऐसी विचार-धारा उत्पन्न करे कि सभी की तैयारी में समन्वय हो। ताकि चीन के आक्रमण का प्रभाव-शाली ढंग से उत्तर दिया जा सके। इससे सभी देशों को लाभ होगा।

जापान और आस्ट्रेलिया भी यही चाहते हैं क्योंकि उनका हित भी इसी प्रकार की एकता में है। आज चीन हमारे विरुद्ध राजनैतिक क्षेत्र बहुत बहुत कुछ कर रहा है। हम केवल अमरीका पर निर्भर नहीं कर सकते। पिछली बार जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय अमरीका तथा इंगलैंड की सहायता के प्रस्ताव के कारण चीन ने युद्धविराम कर दिया था। परन्तु हम सदैव अमरीका या इंगलैंड पर निर्भर नहीं कर सकते। इसलिये यदि प्रशान्त महा सागर तथा हिन्द महासागर के क्षेत्रों में एक प्रकार की एकता का समझौता कर लें। ऐसी स्थिति में अमरीका तथा इंगलैंड की सहायता का अधिक लाभ उठाया जा सकता है। हम रूस से भी सहायता ले सकते हैं। जापान एक उन्नत देश है। फिलिपीन लोकतन्त्रीय आदर्शों म विश्वास रखने वाला देश है। इसलिये हमें इस ओर कार्यवाही करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हुकुमचन्द कछवाय : श्रीमान जी सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है इसलिये सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 11 अप्रैल, 1966/21 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 11th April, 1966/Chaitra 21, 1888 (Saka)

भा. स. मु. ना.—वि.-6-52 लोक सभा/66—24-8-67—600.